हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 दिसम्बर, 1978

खण्ड 3 अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 28 दिसम्बर, 1978

पृश्ठ संख्या

अध्यक्ष द्वारा घोशणा	(4) 1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4) 2
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4) 21
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(4) 49
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– गिरफ्तार किये गैर सरकार स्कूलों के अध्यापकों को छोड़ने संबंधी	(4) 51
वक्तव्या– (1) ि ाक्षा मन्त्री द्वारा गिरफ्तार किये गये गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को छोड़ने संबंधी	(4) 53
बहिगर्मन	(4) 54
वक्तव्य – (पुनरारम्भ)	

(2) सिंचाई तथा बिजलीह मन्त्री द्वारा– रावी व्यास के पानी के आबंटन सम्बंधी	(4) 54
(3) मुख्य संसदीय सचिव द्वारा– हरियाणा रोडवेज की बसों की दयनीय तथा बुरी हालत संबंधी	(4) 57
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– हरियाणा सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा राज्य में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतनमानों को पुनरीक्षत करने तथा उनकी सेवा भातों बारे आन्दोलन सम्बंधी	(4) 59
वि ोशाधिकार प्र न– रेडिया, प्रैस तथा टैलीविजन पर सदस्यों के भाशण के प्रसारण सम्बंधी	(4) 64
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(4) 66
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4) 66
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(4) 67
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1978	(4) 100

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैडमैंट) बिल, 1978	(4) 109
दोपहर के भोजन के लिए सदन का स्थगन	(4) 117
आधे घण्टे की चर्चा – चण्डीगढ़ से कार्यालयों के स्थानांतरण सम्बंधी	(4) 118
सरकारी संकल्प– संविधान (45वां सं ाोधन) विधेयक, 1978 के अनुसमर्थन सम्बंधी	(4) 127

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 28 दिसम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

सदन की मर्यादा को कायम रखने तथा गौरव बनाए रखने तथा बढ़ाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members, before we take up question, I have announcement to make.

Hon. Members, in a democratic State and an open society, it is one pre requisites to have free and frank discussions amongst the elected representatives of the people. Equially important is the that the public at large should know and be able to witness such and fair discussions. The unprecedented scenes witnessed yesterday their aftermath have pained me greatly as, I am sure, it has need all others who have a staunch and unshakable faith in democratic functions. I would like, in my mind, to attribute the incidents

of to day the the over exuberance and over enthusiasm of youth. But calculated way in which half a dozen incidents took place after of ten to twelve minutes each left me no choice but to conclude ther must have been a modicum of pre planning behind thees events. It has been brought to my notice that even today certain elements to repeat yesterday's. I can only hope that this incident is not correct. However, I have over ruled the advice to get entris cleared today and I am allowing visitors who have come and wide to witness the proceedings of their duly elected. It is my duty, however, as it is of lla other hon. Members purpuse to maintain the decorum and uphold and enhace the in this House. Therefore, I feel it my duty to make ti quite at in case of any disturbances or attempts to interfere with the feelings of the House, I will be obliged to have the galleries cleared gainst my will – I can only hope that I will not be forcecd to this step.

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहिबान, अब सवाल होंगे।

Checking of unathorised cuts made in Sukhchain minor

***781. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government is aware of the fact that unauthorised cuts are made in the Sukhchain Monor by Punjab Farmers while it passes through the territory of Punjab, is so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to avoid the loss to

the farmers of Haryana in the supply of irrigational water from the afore-said Minor ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verenkder Singh): Yes, Investigations are being made for aligning Sukhchain Distributary within Haryana Territory.

चौधरी जगदी I कुमार बैनिवालः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी तक तिनी जांच पड़ताल हुई है और अब किस स्टेज प0र है ? दो साल से वहां पानी नहीं पहुंच रहा है और लोगों में त्राही–त्राही मची हुई है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः जांच किस स्टेज पर है इस बारे में इस समय नहीं बता सकता हूं। आनरेबल मैम्बर को इतना वि वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी जांच पड़ताल खत्म करके वहां पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हरियाण की टैरेटरी में से नहर निकालने का विचार किया जा रहा है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि वह कितनी लम्बी नहर हरियाणा की टैरेटरी में बनेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब पंजाब की टैरेटरी में से आजकल यह नहर गुजरती है। वहां पर 43583 आर0डी0 से लेकर 47780 आर0डी0 तक एक रिज है और दूसरी रिज 51905 से

106700 आर0डी0 तक है। इसको हम हरियाणा की टैरेटरी में लाना चाहते हैं।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, कालवा माइनर नरवाना सब डिवीजन में है। यह नहर भी पंजाब में से गुजरती ळै। वहां पर भी इसी तरह की दिक्कत है। क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि उस नहर को भी हरियाणा की टैरेटरी से निकाले जाने की कोई स्कीम है या कोई स्कीम बनायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर ऐसी ही कोई दिक्कत है तो उसको एग्जामिन करवा लेते हैं। एग्जामिन करने के प चात् ऐसी ही दिक्कत महसूस हुई तो उसका भी समाधान किया जायेगा।

श्री फतेह चन्द विज: मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा है कि दो साल से बातचीज चल रही है। जो बातचीत पंजाब सरकार से चली उसका क्या रिस्पोन्स मिला है और कब तक इस बारे में फैसला हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: पंजाब गवर्नमैंट से रिस्पोंस मिलने की बात नहीं है। पंजाब की टैरेटरी में से यह नहर गुजरती है। वहां के फार्मर कट कर लेते हैं अगर पंजाब गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात लायी जाये तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि इस नहर को हरियाणा की टैरेटरी से निकाला जाये।

चौधरी संत कंवर : पंजाब के लोग हमारी नहर में कट करते हैं, अगर यह बात सही है और जांच से यह साबित हो जाता है कि वे कट करते हैं तो सरकार उन कटों को किस तरह से रोकेगी ? मैं मिनस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार उस माइनर को पक्का करके कटस को रोकेगी या पंजाब सरकार को निवेदन करके रोकेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया था कि हम इस नहर को ही हरियाणा की टैरेटरी में से निकाल रहे हैं। जहां तक कट करने का सवाल है वह तो पंजाब के फार्मर ही नहीं, हरियाणा के फार्मर भी करते हैं और उनके खिलाफ भी केसिज दर्ज होते हैं।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल कट होने की वजह से ही यह नहर बदली जा रही है या बदलना ही निहायत जरूरी है ? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बनाने पर कितना खर्च आयेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कटों की वजह से यह नहर इसलिए बदली जा रही है कि हमारे हरियाणा की टैरेटरी में पानी ही नहीं पहुंचता है। इसलिए हरियाण की टैरेटरी में से निकालने के सिवाए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमैंट कट करने वाले फार्मर्ज के खिलाफ कोई केस भी देर्ज करे तो हमारे फार्मर्ज

को कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसी कारण से यह विचार किया गया है कि हरियाणा की बाउन्डरी में से यह नहर निकाली जाये।

चौधरी पीर चन्दः जैसे पंजाब में भी कट होते हैं और हरियाण में कट होते हैं क्या सरकार कोई नया सैल कायम करने जा रही हे जिससे ये कट रोके जा सकें ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैम्बर साहेबान को पता है कि सारी नहरों की लाइनिंग होने जा रही है। हमारे यहां पर कट के केसिज बहुत कम होते हैं, पूरी वाच एंड वार्ड रखी जाती है। अगर फिर भी कट होते हैं तो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ केस रजिस्टर किये जाते हैं।

श्री भले रामः मैं मंत्री महादेय से यह पूछना चाहूंगा कि अगर यहां भी इसी प्रकार से कट होते रहे तो आप क्या स्टैप्स लेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी पीर चन्दः मैंने पहले मंत्री जी से सवाल किया था परन्तु उसका माकूल जवाब न मिलने के कारण से मैं उनसे दोबारा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में कोई ऐसा नया सैल कायम करने की योजना है जिससे नहरों के कटों को रोका जा सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः नया सैल कायम करने की आव यकता महसूस नहीं की जा रही है।

चौधरी संत कंवरः मिनिस्टर महोदन ये जो रिटन रिप्लाई दिया है उसमें बताया है कि जांच कार्य चल रहा हे, जब जांच कार्य खत्म हो जायेगा तब कदम उठायें जायेंगे। दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब ने बूरा साहब के सप्लीमेंटरी का उत्तर देते हुए कहा कि कट ज्यादा होने के कारण से हरियाणा की टैरेटरी में इस नहर का पानी नहीं पहुंचता है, इस कारण से यह नहर निकाली जा रही है। तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जांच कार्य किस बात के बारे चल रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः माननीय सदस्य समझे नहीं। यह तो अलाइनमैंट की जांच हो रही है, कटों के बारे में जांच नहीं हो रही है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, हम सवाल करते हैं और मिनिस्टर जवाब दे देते हैं लेकिन तीस साल से रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आ रहा है। हम कट रोकना चाहते हैं लेकिन रूक नहीं पा रहे हैं मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि जहां कट हों उन कटों को रोकने के लिए ला की एग्जीक्यु ान को छोड़ कर जनता को मोबलाइजकर दिया जाये।

(उत्तर नही दिया गया।)

Opening of New Primary Health Centres in the State

***788. Shri Gulzar Singh.** Will the Minister for Health be please to state-

(a) whether ther is any proposal under consideration of the Government to open new Primary Health Centres in the State during the current financial year; and

(b) if so, the number of Primary Health Centres to be opened in the Rajound Constituency during the period mentioned in part (a) above ?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma):

(a) No.

(b) Question doen not arise.

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब के पार्ट 'क' में 'नहीं' कहा है इसका कारण क्या है ? मैंने जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, उसमें राजौंद के लिये पूछा था क्योंकि वहां पर कई गांवों की आबादी 10000 से भी ज्यादा है, अगर वहां पर भी यह कोई छोटा मोटा प्राइमरी हैल्थ सैंटर नहीं बना सकते तो इसके कारण बतायेंगीं ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः कारण यह है कि एक ब्लाक में एक पी0एच0सी0 खोलना है। यह सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम है। उसके अनुसार हरियाणा में अभी भी 89 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज हैं जबकि हमारे यहां ब्लाक्स सिर्फ 87 हैं। जब किसान खण्डों की

डिलिमिटे ान हुई थी, उस वक्त कुछ ब्लाक्स के अन्दर दो दो प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज आ गये थे। इस वक्त 7 ऐसे ब्लाक्स हैं जहां पर 2–2 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज हैं और 5 ब्लाक्स ऐसे हैं जहां पर एक भी पी0एच0सी0 नहीं है। हमने जो आने वाली पांच साला प्लान बनायी है, उसमें पहले उन 5 ब्लाकों में जाहं पर एक भी पी0एच0सी0 नहीं है, वहां पर खोलना है। राजौंद के अन्दर पहले से ही पी0एच0सी0 है। इसलिये वहां पर अभी नहीं खोला जा सकता।

चौधरी राम कि ानः मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि 17–18 महीने इस सरकार वजूद में आये हुए हो गये हैं, इस सरकार ने अपने वजूद में आने के बाद कितने प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज या डिस्पैंसरीज प्रान्त में नयी खोली हैं खासकर जिला जीन्द में कितनी खोली गयी हैं ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः पिछले डेढ़ साल के समय में 6 रूरल डिस्पैंसरीज खोली गयी हैं और 6 और रूरल डिस्पैंसरीज हमारा मार्च तक खोलने का विचार है। इसके अलावा एक सबसीडियरी हैल्थ सैंटर जहाजगढ़ में खोला गया है। ये जो रूरल डिस्पैंसरीज खोली गयी हैं, ये निम्नलिखित जगहों पर खोली गयी हैं :–

रोहतक में ि ावाजी कालोनी;

सिरसा में खारियां;

अम्बाला में साहबेपुर;

करनाल में जलमाना;

कुरुक्षेत्र में अलाहर;

हिसार में पुट्ठी मंगल खां।

चौधरी ई वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि उनका नयी डिस्पैंसरी खोलने का कोई विचार नहीं है लेकिन जो पुरानी इमारतो में खुली हुई हैं। जैसे पेहवा में और गहला में है, उनकी छतें गिर गयी है, इमारतें बिल्कुल टूटी हुई हैं। उनकी इमारतों को नया बनाने का कोई विचार है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः पेहवा के अन्दर तो नया हस्पताल बन रहा हे, एस्टीमेटस पी0डब्ल्यू0डी0 के पास हमने दे दिये हैं जो पुरानी बिल्डिंग कन्डम हो चुकी हैं, उसको रिपेयर करने का कोई विचार नहीं है।

चौधरी खुर ीद अहमदः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जहां पर ब्लाक्स में प्राईमरी हैल्थ सैंटर नहीं हैं, और वहां पर बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है, जैसे घामेड़ा है वहां पर बिल्डिंग बिल्कुल कम्पलीट हो चुकी है क्या वहां पर हैल्थ सैंटर खोलने का कोई विचार है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अब प्राईमारी हैल्थ सैंटर खोलने का विचार नहीं है अब हम सबसिडीयर हैल्थ सैंटर खोलने का विचार रखते हैं। जहां पर बिल्डिंग कम्पलीट हो और 25000 की आबादी होगी, वहां पर यह खोले जायेंगे।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी एलनाबाद में यानी प्रौपर एलनाबाद में जहां पर कि आबादी 40000 है, वहां पर नाम मात्र की डिसपैंसरी बनी हुई है, क्या उसको अपग्रेड करने का कोई केस विचाराधीन है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः आने वाले 5 साला प्लान के अन्दर हमने यह निर्णय लिया है कि हर चार पी0एच0सीज0 के बाद एक एच0सी0 को 30 बैड का हास्पिटल बनाया जायेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरे हल्का पाई में जब से यह सरकार वजूद में आयी है, कोई भी काम नहीं हुआ है। पाई में 40–50 हजार की आबादी है, क्या मेरे हल्के पाई में कोई प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलने की मेहरबानी करेंगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः आप वहां पर बिल्डिंग बना कर दें,वहां पर हम सबसिडियरी हैल्थ सैंटर खुलवा देंगे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, भाहरों में क्या कोई ऐसी कन्डी ान है कि भाहर वाले बिल्डिंग बनाकर दें

तभी वहां पर डिस्पैंसरी या हस्पताल खोले जायेंगें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब देहात के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिये मैं सरकार से आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर देहात में बिल्डिंग बनाने की भार्त हदा दी जायेगी ? (व्यवधान व भाोर)

(उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मेरे हलका नारायणगढ़ में से सारी नदिया निकलती हैं और नदियों को पार किये बगैर आदमी वहां पर नहीं जा सकता, बहिन जी को इसका खासकर पता है। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर कोई सबसिडियरी हैल्थ सैंटर खोलने का विचार है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः देखिये अभी मैंने एक बात कही थी कि गांव में बिल्डिंग बना दें, जरूर खुलवा देंगे। अभी हमने अगले पांच साला प्लान में 75 सबसिडियरी हैल्थ सैंटर खोलने हैं और इस साल हमने 6 सबसिडीयर हैल्थ सैंटर्ज अन्य खोलने हैं।

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, बार बार यहां पर हैल्थ सैंटर्ज खोलने के बारे में पूछा जा रहा है। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जो डिस्पैंसरीज या हैल्थ सैंटर्ज खुल हुए हैं वहां पर काटन, बैंडेज तक नहीं मिलती है जिसकी वजह से

गांव के लोगों को हस्पतालों में जाना पड़ता है। जहां पर जाने की वजह से उनका टाईम वेस्ट होता है, क्या मंत्री महोदया वहां पर दवाईयों के लिए पूरा इन्तजाम करेंगी ताकि उन्हें इधर उधर न भागना पड़े ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: यह कमी मरीजों के बढ़ने की जवह से हो जाती है। ज्यों ज्यों मरीज बढ़ते जाते हैं, दवाईयों कम पड़ती जाती है। खैर, इस साल हमने 20 लाख रुपये का अधिक बजट दवाईयों के लिए पास किया हुआ है हम कोि ा ा करेंगे कि सब जगह यह दवाईयों मिलें।

चौधर हुकम सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बातने की कृपा करेंगें कि जो आप प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज उन ब्लाक्स के अन्दर बनायेंगें, जाहं पर कि वह पहले से नहीं हैं; क्या उनकी बिल्डिंग सरकार बना कर देगी या गांव वाले बनायेंगे ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: सरकार बनायेगी।

श्री अध्यक्ष: और जमीन ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: जमीन पंचायती।

स्वामी अग्निवे ा: मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जो 50 बैड का अस्पताल 45 लाख रुपये की लागत से चौटाला गांव के अन्दरर बनाया जा रहा है .... (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः इस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, स्वामी जी ने जो कुछ कहा ळे, इसमें सचाई नहीं है। वह हस्पताल 50 बैड की बजाय 25 बैड का है। गवर्नमैंट की यह पालिसी है कि आइन्दा हस्पताल बड़े बड़े गांवों में बनायें जायें ताकि मरीजों के वारिसों को अपने रि तेदारों के यहां ठहरने में जगह मिले। इसी पालिस के तहत एक हस्पताल कलानौर में खोलने का फैसला किया है। एक नारनौंद में फैसला किया है और एक चौटाला में। चौटाला का बार बार नाम लिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक हिस्टोरीकल विलेज है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है और जिसकी वजह से मैं यह बात फख्र के साथ कह सकता हूं कि जनता पार्टी का वजूद हुआ है और उसके साथ साथ चौटाला के 3 रिप्रजैंटेटिव भी यहां हैं। अगर रिप्रजैंटेटिवज के हिसाब से भी देखा जाये तो भी चौटाला के तीन एम0एल0ए0 है। जितनी भी चीफ मिनिस्टर्ज आज तक आये हैं, वे सिरसा को इग्नोर करते आये हैं चाहे वे कांग्रेस आई के हों किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। इसलिये मैं यह वाजह करना जरूरी समझता था।

श्री अध्यक्षः और चौधरी साहब पापुले ान के हिसाब से ?

चौधरी देवी लालः पापुले ान के हिसाब से भी है क्योंकि वहां की आबादी 18000 है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने बताया है कि जाहं पर 25 हजार की आबाचदी होगी वहां पर सबसिडीयरी हैल्थ सैंटर खोला जाएगा। यह बात पिछले सै ान में भी आई थी। मैं चाहता हूं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां की आबादी 25 हजार होगी और इस तरह से कही भी हैल्थ सैंटर नहीं खोला जा सकेगा। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस 25 हजार की भार्त को हटाने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को मैं समझाना चाहती हूं कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उसी गांव की आबादी पच्चीस हजार की होनी चाहिए तभी हैल्थ सैंटर खोला जाएगा। मेरा मतलब यह है कि सबसिडियरी हैल्थ सैंटर तभी खोला जाएगा जब कि उन सैंटर से आस पास के गांवों की 25 हजार की आबादी दवाई लेकर लाभ ले सके। (चौधरी जगजीत सिंह पोहलू की ओर से विघ्न)

**उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): ये इन्दिरा कांग्रेस के नाम पर कान को हाथ लगाया करते थे और अब ये इंदिरा कांग्रेस में चले गए हैं। (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान (व्यवधान) सबसे पहले हरियाणा में बी0के0डी0 का 1971 में हल का नि ाान लाने वाला हरियाणा प्रान्त में मैं हूं। सब से ज्यादा तकलीफ भुगतने वाला मैं हूं।

* * * * (व्यवधान)

एक आवाजः * * * * (व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, * * * * का लफ्ज है यह अनपार्लियामेन्टरी है यह ऐक्सपंज होना चाहिए। This is not parliamentary.

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): * * * * (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं समझता हूं ** * * (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, * * * * का भाब्द इस्तेमाल किया गया है वह कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो लैला और मजनूं के बारे में ऐक्सचेन्जि हुई हैं, these should be deleted from the proceding.s

Revision of Churricla for Primary and High Education

***837. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Education be please to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the curricula of Primary and High School Education; if so, the name of the agency which has been entrusted with this task ; and

(b) whether imparting of moral and social values and of the principles of self knowledge and spiritual education is included in any course either at the Primary, Middle, High or at the University state ?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

(a) Yes. The Borad of School Education, Haryana and the State Institute of Education, Gurgaon, have been entrusted with this task. The Government is creating a State Council of Educational Research and Training by merging the State Institute of Education and the State Institure of Science Education at Gurgaon.

(b) Yes.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या नैतिक, सामाजिक मूल्यों तथा आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक ि ाक्षा के बारे में प्राईमरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा यूनिवर्सिटी स्टेज पर जो कोर्सिज हैं उनमें किसी स्तर पर इन सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए कोई विशय रखा गया है। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर 'हां' में दिया है। जहां तक मेरा ज्ञान है

प्राईमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल लैवर पर नैतिक, सामाजिक मूल्यों तथा आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक ि ाक्षा के सिद्धान्तों को पढ़ाने का कोई इन्तजाम नहीं है और न कोई ऐसा विशय है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि उनके नोटिस में कोई ऐसे कोर्सिज हैं जिनमें इन विशयों पर ि ाक्षा दी जाती हो ?

Mr. Speaker: I think this is a very good question.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, पाठ्यक्रम में इनको भाामिल करने के लिए कार्यक्रम भाुरू कर दिया गया है। जहां तक सामाजिक न्याय, मौरल तथा सो ाल जस्टिस की बात है इनके बारे में पुस्तकों में बहुत से महापुरूशों की जीवनियां मिल सकती हैं और संबंध में प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। ई वर भाई पटेल की 10+2+3 सिस्टम के बारे में जो रिकमेन्डे ान है उस सम्बन्ध में भी कार्य किया जा रहा है। गुड़गांव में दो इंस्टीट्यू ंज हैं। उन दोनों इंस्टीट्यू ंज को मर्ज करने का फैसला ले लिया गया है और दोनों को मर्ज करके एक कौंसिल बनाने का फैसला कर लिया है जिसके काम के लिए वर्कआउट किया जा रहा है।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, जैन साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया है और ि ाक्षा मंत्री ने बताया है कि हम नैतिक ि ाक्षा को कोर्सिज में डालने की कोि ा ा कर रहे हैं। क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि क्या सरकार ि ाक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन के लिए कोई ठोस कदम उठाने

की सोच रही है जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं। । क्या इस प्रकार की कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री हीरा नन्द आर्यः इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने बताया है कि ई वर भाई पटेल की रिकमेन्डे ांज दे ा में कुछ जगहों पर लागू की गई हैं और हरियाणा में भी 1–4–1979 से वे रिमेंडें ांज लागू करने के लिए वर्क आउट कर रहे हैं। हमारे यहां तक कौंसिल बनाई जा रही है और उस कौंसिल का काम होगा कि वह इस बारे में सलाह करके कैरिकुलम तैयार करे।

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, प्राईमरी स्कूलों में दूसरी और तीसरी क्लास का जो सलेबस है वह बहुत हैवी है और इस कारण बच्चों का बस्ता इतना भारी हो जाता है कि उनसे उठाना भी नहीं जाता। क्या मंत्री महादेय बताने की कृपा करंगे कि उस सलेबस को हलका करने का कोई विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कौंतिल बनाने का जो फैसला किया है उसमें इन सारी चीजों पर विचार किया जाएगा और उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं।

चौधरी सरदार खांः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फिरोजपुर झिरका और तहसील नूह में प्राईमरी, मिडिल और हाई स्कूल लैवर पर उर्दू पढ़ाने का कोई इंतजाम करने का सरकार का विचार है ?

Mr. Speaker: It is a matter of general policy. इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैं समझता हूं चौधरी सरदार खां ने बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल पूछा है। मंत्री महोदय इस बारे में बता दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः चौधरी सरदार खां ने उर्दू के बारे में जिक्र किया है। सरकार उर्दू को काफी महत्त्व देती है। सरकार ने पिछले दिनों ओ0टी0 की ट्रेनिंग में उर्दू को पढ़ाने के लिए एक यूनिट की स्थापना करने का फैसला किया है।

10.00 बजे

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हर क्लास की किताबें जल्दी से जल्दी बदल दी जाती है, जिससे पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को तकलीफ होती हैं, क्या सरकार कोई ऐसा सलेबस नि चत करने का विचार रखती हे जिससे कि किताबें कम से कम तीन, चार या पांच साल के लिये न बदलें ताकि पढ़ने और पढ़ाने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर इसके लिए अलग से नोटिस दें तो बता दिया जाएगा। (ोर)

श्री अध्यक्षः मैं आनरेबल मैम्बर्ज से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर एक आनरेबल मैम्बर सवाल पूछ रहे हों तो मंत्री महोदय को जवाब देने का मौका दें।

सरकार सुखदेव सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि उर्दू की तरफ खास तवज्जोह सरकार की तरफ से दी जा रही है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार पंजाबी की तरफ भी कोई ध्यान दे रही है कि नहीं ?

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर को यह बता देना चाहता हूं कि हमें पंजाबी भाशा से कोई परहेज नहीं है। हम भी इस भाशा को महत्त्व देते हैं। और पंजाबी की ओ0टी0 के लिये जिला अम्बाला के नारायणगढ़ में हमने आलरेडी एक केन्द्र खोल भी दिया है।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह रिकमेन्ड किया है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता हरियाणा के स्कूलों में समाप्त की जाए। जो पढ़ना चाहे, उसको पढ़ाया जाए, वह अनिवार्य न की जाए, इसी तरह से पंजाबी, उर्दू, तेलगू, संस्कृत आदि भाशाओं को पढ़ााय जाए और हिन्दी ही केवल अनिवार्य हो और कोई अन्य भाशा अनिवार्य न हो, बाकी अन्य तीन भाशाएं अव य पढ़ाई जाएं, यह रिकमेन्डे ान हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड ने सरकार को की हुई है, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस रिकमेन्डे ान को लागू करवाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इसके लिये स्वामी जी अगर अलग से नोटिस दें तो हम उन्हें बता देंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हम बहुत दिनों से बड़े बड़े लीडरों के भाशण सुनते आ रहे हैं कि इस ि ाक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये, इन्होंन कहा कि 10+2+3 की पद्धति लागू कर रहे है। तो में ि ाक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब जो सरकार की नीति है। क्या उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या इससे ि ाक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन हो जाएगा ?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या कोई इतनी सरल नहीं है कि जिसका हल चन्द ही महीनों के निकल आए। इस बड़े प्रोसेस के लिये हमारी जनता को भी हमारा साथ देना होगा जिसके लिये हमारे समाज को काम करना पड़ेगा।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अपने प्र न में, मैंने जिन नैतिक, सामाजिक और अध्यात्मिक तीन बातों का जिक्र किया है, जो कि आज के कोर्सिज हैं, क्या इनसे हमारी सरकार संतुश्ट है, अगर नहीं तो सरकार क्या इनमें परिवर्तन करना चाहती है ?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, सरकार इससे सन्तुश्ट नहीं है, इसके सुधार के लिये विचार किया जा रहा है और इसके लिए समिति बना दी गई है और हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड ने इस पर कार्यवाही भी भाुरू कर दी है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि प्राईमरी और हाई स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कुछेक ऐसी जीवनियां पढ़ाई जाती थीं जैसा कि इन्दिरा गांधी की जीवनी, बंसीलाल की जीवनी चूंकि यह पाठ्यक्रम के परि ाोधन से सम्बंधित है। इसलिये क्या सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहती है कि आगे से कभी भी किसी प्राईम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री की जीवनियों को पाठ्यक्रम में न डाला जाए बल्कि वे नेता तो जो हमारे आद र्ा बन सकते हैं, केवल उन्हीं की जीवनियां ही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएं क्या इस बात को सं ाोधित कर दिया गया है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर के सवाल पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि क्या उनको सं ाोधित कर दिया गया है कि वे जीवनियां अब पाठ्यक्रम से निकाल दी जाएंगी ?

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आपके सवाल पर विचार किया जाएगा।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, यहां पर ऐजुके ान रिफार्म में स्टेन्डर्ड आफ जजमेन्ट की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जा रही है। क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि जिस क्लास को हम बिलोंग करते हैं,पोलिटीकल क्लास क्या

उसमें भी एजुके ान रिफार्म की कोई बात डाली जा रही है जिससे आने वाले भी इस बात पर गौर करेंगे कि हमारा भी कुछ स्टेन्डर्ड आफ जजमेन्ट हो, मौरल हो, करैक्टर हो।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर के सवाल का जवाब इस क्वै वन के जवाब के पार्ट 'बी' में कवर हो चुका है।

Small link drains in the State

***763. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government has made any arrangements to keep in regular working condition even the small link drains in the State;

(b) if so, the details therof; and

(c) the details of steps taken to keep in regular working condition all the small and big drains of the Development Block of Nilo Kheri ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) & (b) Subject to the availability of funds, maintenance works including clearance of weeds and jungle growth and strengthening of damaged sections, are undertakeni on these drains to keep them in working condition.

(c) The following drains in Nilokheri Development Block have been cleared of weeds and Jungle growth. Their irregular sections have been strengthended :-

1	Sham Garh Drain
2	Jhinjari Drain
3	Nilikheri Drain along Railway line and along G.T. Road.
4	Ramba Drain
5	Sultanpur Drain
6	Sanwat Drain
7	Link Drain 1, 2, 3 & 5
8	Link Drain 4RD 7000-11000`
9	Indir Drain RD 10250 to 165500
10	Kachwa Drain

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदन ने अपने जवाब में कहा है 'यदि धान उपलब्ध होगा तो' क्या उनको अभी भी धान की कमी है जबकि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इनको मिल रहा है। क्या वे धान तब मांगेगे जबकि उन्हें जरूरत महसूस होगी ? जब ड्रेन्ज रूकने के कारण लोगों की खेती मारी जाएगी, तब फिर कहेंगे कि हमें धान इकी जरूरत है। अगर ड्रेन्ज को चालू

हालत में रखें तो फ्लड का डर ही खत्म हो जाएगा तो मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि वे पहले ही इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते ताकि फ्लड के कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सवाल तो बड़ा लम्बा चौड़ा है। खैर यह वे ड्रेंज जिनके बारे में सवाल था, जो पुरानी ड्रेन्ज हैं, पहले की खुदी हुई हैं उनके लिये हमारे पास धनराि ा की कमी है लेकिन फिर भी इस साल 61 लाख रुपये ड्रैन्ज की मेनटैंस के लिये रखे गये हैं और उसका बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कंरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, जीन्द, सिरसा और हिसार इन सारे जिलों को 26 लाख रुपया अलाट किया गया है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट को 14 लाख रुपया अलाट किया गया, गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ जिलों को 21 लाख रुपया अलाट किया है।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि सरकार के पास ड्रेन्ज की रिपेयर के लिये पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताएंग कि ऐसे हालत के अन्दर यह उचित होगा कि जब पुरानी ड्रेन्ज के लिये तो सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है और नई ड्रेन्ज पर पैसा खर्च किया जा रहा है ? क्या मंत्री महोदय इस स्थिति को कलेरीफाई करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जो पुरानी ड्रेन्ज हैं, वे

लिंग ड्रेन्ज हैं, वे खुदी हुई हैं और जो नई हैं, उनमें से जो जरूरी समझी गई, वह इस लिये खोदी गई ताकि जो बहुत ज्यादा फ्लड का पानी आता था उसके निकास में मदद मिल सके। लिंग ड्रेन बनाने का यही फायदा है कि थोड़े से एरिया मैं जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको निकाल दिया जाए। ज्यादा एरिया में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीयर करने के लिए नई ड्रेन्ज का खोदना बहुत जरूरी है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो उसके सम्बंध में मंत्री जी ने हाउस में कहा था कि नजफगढ़ नाले की कपैसिटी बढ़ाकर ......

श्री अध्यक्षः इस नाले से इस सवाल का सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी संत कंवरः संबंध है जी। इन्होंने कहा था कि 10 हजार क्यूसिक पानी निकालने की क्षमता की जाएगी। जितनी ड्रेन्ज रोहतक जिले में बनाई हैं उन पर गवर्नमैंट का 14 लाख रुपया लगा है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा काम किया है लेकिन हमारी ये तमाम ड्रेन्ज नजफगढ़ नाले में जाती हैं और जब तक नजफगढ़ नाले की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती तब तक इन ड्रेन्ज को बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसकी कपैसिटी बिना यह प्रोब्लम हल नहीं हो सकती।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्षः आप बेसिक सवाल से संबंधत सवाल पूछें।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैंने इनको भी लिखा है और इंजीनियर्ज को भी लिखा था कि जितनी ड्रेन्ज बन रही हैं और लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, ये सब ड्रेन्ज बादली हलके में चली जाती हैं। नजफगढ़ नाले की कपैसिटी कम होने के कारण पानी आगे जाता नहीं। जब तक इस पानी को जमना में डालने का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक इसका हल नहीं है और यह इलाका खत्म हो जाएगगा अगर इसका प्रबन्ध नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, दोनों सदस्यगण का सवाल एक ही है और इसका संबंध मूल सवाल से नहीं है चूंकि यह इनका अपना हलका है, इसलिए जवाब देना चाहता हूं। नजफगढ़ ड्रेन की कपैसिटी 10 हजार क्यूसिक तक बढ़ाने की स्कीम मंजूर हो चुकी है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रे ान बहुत जल्दी इस काम को भाुरू करने जा रहा है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, इस साल फ्लड से काफी तबाही हुई है और गवर्नमैंट ने काफी ड्रेन्ज बनाई हैं, लेकिन ड्रेन्ज डिपार्टमैंट वाले कहते हैं कि हम काम करने में देर नहीं लगाते, जल्दी करना चाहते हैं लेकिन सरकार मार्च से

पहले हमें पैसा नहीं देती। क्या वजीर साहब उनको जल्दी पैसा देकर काम भाुरू करवाने की कृपा करेंगे ताकि हरियाणाा तबाही से बचाया जा सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, पैसा तो बहुत पहले का दिया हुआ है लेकिन कुछ नई स्कीमें हैं जिनकी मंजूरी लेना चाहते हैं और वे स्कीमें गवर्नमैंट के पास आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जनवरी में उन स्कीमों पर काम भाुरू करवा देंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि ड्रेन्ज बनाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि "आगे दौड़ पीछे चौड" वाली बात हो जाए। पीछे जो काम किए हैं उनका ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जंगल और झाड़ियां साफ करने के लिए पैसे की जरूरत है, इस काम को पूरा करने के लिए सरकार को अभी से प्रबंध करने भाुय कर देने चाहिएं लेकिन जो पुरानी ड्रेन्ज हैं उनको साफ करने की तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं देती ? इसके इलावा जो नई और पुरानी ड्रेन्ज हैं, उन पर जाहं जहां पुलों की आव यकता है वहां पुल साथ साथ क्यों नहीं बनाये जा रहे ? एक इंदरी ड्रेन है, इस पर पुल बनना निहायत आव यक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः सवाल तो मेरे दो ही हैं। एक यह है कि पुरानी ड्रेन्ज की सफाई क्यों नहीं हुई और उन पर

साथ साथ पुल क्यों नहीं बनाये गए। इंदरी ड्रेन के साथ दूसरी ओर हथलाना गांव की जमीन लगती है उसको पार करने के लिए पुल बनाया जाना आव यक है। इसके इलावा एक तरावड़ी गांव है जिसकी आबादी दस बारह हजार के लगभग है। यह एक छोटा सा कस्बा है। इस ड्रेन पर कच्चा पुल बना हुआ है जो हर बार टूट जाता है। सरकार को ऐसी ड्रेनों पर पक्का पुल बनाने की आव यकता का समझना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हें कि इन ड्रेनों पर पुल बनाने की योजना क्यों नहीं बनाई और अगर अब बनाना चाहते हैं तो कब तक बना दिए जाएंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः नीलोखेड़ी ब्लाक के अलावा हरियाणा के दूसरे हिस्साचें में भी चौधरी साहब घूमे होंगे और दूसरे इलाकों के एम0एल0ए0 साहिबान भी यहां पर बैठे हैं, इनको पता होगा कि हर जगह पुरानी ड्रेन्ज की सफाई का कार्य तेजी से भाुरू है। जिन 10 ड्रेनौं का मैंने अभी नाम लिया है, ये पुरानी ड्रेनें जिन सदस्यों के हलकों से गुजरती हैं, उनको मालूम है कि इन ड्रेनों की सफाई करवा दी गई है। अगर एक आध ड्रेन रह गई हो तो वह मुझे बता दें, उसको भी साफ करवा दिया जायेगा। इसके अलावा जिन पुलों का बनाना आज जरूरी समझते हैं उनके बारे में लिख कर दे दें, वे बनवा दिए जाएंगे।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, इसमें तो कोई भाक नहीं कि सरकार ने फ्लड के दिनों में खूब काम किया है। लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह मेरे हलके में खुद देख आये हैं कि कालका के

इलाके में एक गुरूद्वारा .... (व्यवधान) .... आप मुझे सवाल पूछ लेने दो। हर आदमी बार बार खड़ा होता है उसको आप सवाल क्यों नहीं पूछने देते ? .... (व्यवधान) .... नारायणपुर गांव का गुरूद्वारा पानी में बह गया है .... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्षः इसका सवाल से कोई संबंध नहीं है, आप बैठ जाइए।

चौधरी लाल सिंहः वहां पर एक स्पर लगाना जरूरी है, वह लगा दीजिए .... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्षः इसका इससे सम्बंध नहीं है।

श्री ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जो पुरानी ड्रेन्ज खुदी हुई हैं। उनकी सफाई के लिए 14 लाख रुपया खर्च किया और नई ड्रेन्ज खोदने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सोनीपत में फ्लड नहीं आते ? अगर आते हैं तो वहां पर नई ड्रेन्ज क्यों नहीं खोदी जा रही। पिछले 12 साल से वहां कोई ड्रैन नहीं खुदी और न ही पुरानी ड्रैनों की सफाई हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेन्टेनैंस के लिए जो पैसा एलाट किया है, माननीय सदस्य ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। 26 लाख रुपये की रा ि अलाट की गई है जिसमें सोनीपत भी भाामिल है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लिंग ड्रेन्ज के लिए जो 14 लाख रुपया रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लिए मुकरर्र किया है, उसी तरह से झज्जर सब डिविजन के लिए भी रुपया मंजूर किया जाना चाहिए। झज्जर सब डिवीजन में फ्लड का पानी खड़ा है,उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कितना रुपया अलाट किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप कन्फ्यूज हो गए हैं। यह जो मैंने 14 लाख रुपया बताया है। यह उन ड्रेनों की सफाई के लिए अलाट किया है जो पहले की बनी हुई हैं।

Primary Health Centres and Dispensaries in the State

***721. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Health be pleasee to state-

(a) the number and the names of places where the Primary Health Centres and dispensaries have been opened during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open Primary Health Centres or dispensaries at the places where these do not exist in the State; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to provide medical facilities to the residents of the places as referred to in part (b) above ?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma):

(a) Two dispensaries at Kharia, District Sirsa and Shivaji Colony (Rohtak) and one Subsidiary Health Centre at Jahazgarh, Distt. Rohtak were opened. No Primary Health Centre was opened during the period.

(b) & (c) Proposals to open 5 Primary Health Centres in 5 blocks (Jind, Mohindergarh II, Kathura, Rewari & Bawni Khera) which have not so far been provided with a Primary Health Centre and 75 Subsidiary Health Centres in the various Districts of the Staate are included in the Five Year Plan (1978-8.) of the department.

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, 4 जुलाई 1977 से 30 जून 1978 तक इन्होंने केवल दो डिसपैंसरियां और एक सबसिडियरी सैंटर खोला है। इनमें से एक सिरसा में है और दो रोहतक में जबकि रोहतक में मैडिकल कालेज भी है तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि किस आधार पर सबसिडियरी सैंटर और डिसपैंसरियां खोली गई और बाकी जिलों को क्यों इग्नोर किया गया ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ि ावाजी कालोनी के अन्दर आलरेडी बिल्डिंग थी और चूंकि वहां आसपास के लोगों को बड़ी कठिनाई थी इसलिए वहां पर डिस्पैंसरी को

खोला गया। जहाजगढ बिल्कुल कोने पर है। आबादी काफी होने के बावजूद भी वहां मैडिकल एड की सुविध नहीं दी। इसलिए वहां पर सब सिडियरी सैंटर खोला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहती हूं कि इनको खोलने में कोई पक्षपात नहीं बरता गया है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बिल्डिंग वहां बनी हुई थी अगर इसी तरह की बिल्डिंग और बनी हुई हो और अन्य बातें भी पूरी होती हों तो क्या वहां भी डिसपैंसरी खोली जाएंगी ?

श्री भले राम: स्पीकर साहब, क्या बात है आज आप मुझे टाईम नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: अभी लो।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, रोड़ी हल्का काफी दिनों से इग्नोर्ड हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या इस ब्लाक में भी कोई सबसिडियरी सैंटर या डिसपैंसरी खोलने की स्कीम है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को वि वास दिलाती हूं कि यदि ये वहां बिल्डिंग बनवा दें तो डिसपैंसरी खोल दी जाएगी।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, कथरा ब्लाक में एक बनवासा गांव है। वहां के लोगों ने लगभग 20 हजार रुपया प्राईमरी हैल्थ सैंटर के लिए जमा करवा दिया है। पता लगा है कि वह केसी डी0सी0 साहब ने गवर्नमैंट को भेज दिया है। क्या मंत्री महोदया जी बताने की कृपा करेंगी कि वह केस कब तक फाइनेलाइज हो जाएगा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः जिस दिन बिल्डिंग पूरी हो जाएगी उस दिन खोल देंगे।

श्री बलदेव तायलः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि बिल्डिंग के स्थान पर अगर पर्याप्त धनरा‍ि ा बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार को उपलब्ध करा दी जाए तो क्या सरकार वहां प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलने पर विचार करेगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष मोदय, मैंने प्र न के उत्तर में बताया है कि प्राईमरी हैल्थ सैंटर केवल पांच ब्लाकों में बनाएंगे। बाकी स्थानों पर सबसिडियरी सैंटर्ज खोलने की योजना है। हर चार पी0एच0सीज0 के बाद एक पी0एच0सी0 को 30 बैडिड होस्पिटल बनाएंगे। इसके अलावाव मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि यह सब तो सैंट्रल गवर्नमैंट की स्कीम के अन्तर्गत काम होगा लेकिन स्टेट गवर्नमैंट की आरे से हम गांव के अन्दर 30 बैडिड रूरल होस्पिटल भी खोलेंगे। उनमें से मुडालका

स्वीकृत है, चौटाला के अन्दर बना रहे हैं, आदमपुर , कलानौर और नारनौंद में खोलने की योजना बन चुकी है।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आज डिसपैंसरी या पी0एच0सी0 वगैरा खोलने के लिए बिल्डिंग बना कर देने की भार्त लगाई जाती है। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता था कि यदि कोई गांव बिल्डिंग बना कर देने की बजाय उसके लिए पर्याप्त धनरा‍ि ा उपलब्ध कर दे तो क्या सरकार वहां डिसपैंसरी या पी0एच0सी0 वगैरा खोलने पर विचार करेगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी पी0एच0सी0 नहीं बनेंगे, सबसिडियर सैंटर बनेंगे।

Mr. Speaker: I suggest, you discuss this matter with her later on.

चौधरी सरदार खांः अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं सरकार से गुजारि ा करना चाहता हूं कि चूंकि फ्लड इफैक्टिड गांव वाले लोग बिल्डिंग बना सकते इसलिए क्या वहां सरकार की ओर से प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोले जाएंगे ?

श्री अध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं सरकार से गुजारि ा करना चाहता हूं कि चूंकि फ्लड इफैक्टिड गांव वाले बिल्डिंग बना सकते इसलिए क्या वहां सरकार की ओर से प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोले जाएंगे ?

श्री अध्यक्षः प्राईमरी हैल्थ सैंटर के बारे में पहले पूरा जवाब आ चुका हैं

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने मंत्री महोदया से पूछा था कि क्या हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के ऐलनाबाद हलके में, जहां 45 और 50 हजार की आबादी है और 50 किलोमीटर के एरिया में कोई हस्पताल नहीं है, कोई हस्पताल खोलना इन्होंने जरूरी नहीं समझा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, जरूरी समझा है। पांच साला प्लान में वहां मैडिकल ऐड प्रोवाइड किये जाने की मांग विचाराधीन है।

श्री अध्यक्षः क्या उस ब्लाके में कोई प0ी0एच0सी0 नहीं हैं ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई पक्षपात नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि यह पक्षपात नहीं तो क्या है ? ि ावाजी कालोनी मैडीकल कालेज के नजदीक है लेकिन वहां इन्होंन सबसिडियरी सैंटर भी खोल दिया और डिस्पैंसरी भी खोल दी। दूसरे इलाकों में जैसे गुड़गांव का मेवला इलाका है, जहां लोग दवा का नाम भी नही जानते, वहां यह सुविधा क्यों नहीं दी गई ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कोई पक्षपात नहीं किया गया है। ि ावाजी कालोनी एक मजदूर कालोनी है। अत्यंत गरीब लोग वहां पर रहते हैं। वह इलाका पानी से धिरा रहता है। इसलिये वहां पर लोगों की सुविधा के लिये डिस्पैंसरी खोली गई हैं। मेवात के लिए चूंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं इसलिये हमने जो 75 सबसिडियरी सैंटर्ज खोलने हैं उसमें उसको प्राथमिकता दी जायेगी।

Expenditure on the Haryana State Electricity Board

***798. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the percentage of establishment expenditure to the total expenditure on the Haryana State Electricity Board and whether it is a fact that this is the highest expenditure of all the Electricity Boards in the country; and

(b) how much percentage is likely to increase if tghe demands of the employees are accepted ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh):

(a) (i) The percentage of establishment expenditure to the operatingh expenses of Haryana State Electricity Board on the baisis of auditerd accounts for the year 1977-78 was 31.31.

(ii) No.

(b) In case the demands of Haryana State Electricity Board workers' union are accepted an additional expenditure of about Rs. 4 crocres per annum is likely to be involved and the percentage of establishment expenses to operating expenses will increase by about 7.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री बतायेंगे कि दूसरे प्रदे ाों के बिजली बोर्डों को क्या परसैंटेज है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः

आंध्र प्रदे ा	19.15 प्रति ात
आसाम	डैटा अवेलेबल नहीं है
बिहार	16.90 प्रति ात
गुजरात	20.11 प्रति ात
हिमाचल प्रदे ा	69.32 प्रति ात
दिल्ली	डैटा अवेलेबल नहीं है
कर्नाटक	37.31 प्रति ात
केरल	57.59 प्रति ात
मध्य प्रदे ा	36.07 प्रति ात

उड़ीसा	15.76 प्रति ात
पंजाब	38.16 प्रति ात
राजस्थान	34.07 प्रति ात
उत्तर प्रदे ा	25.47 प्रति ात
वैस्ट बंगाल	33.53 प्रति ात
हरियाणा	31.32 प्रति ात

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, वजीर साहब को मालूम होना चाहिए कि बिजली का जो काम है वह टैक्नीकल हैंड का है लेकिन इन्होंने बिजली बोर्ड का मैंबर एक अनपढ़ आदमी हो लगा है सिर्फ इस वजह से कि वह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गया था। उसको नौकरी देने के लिये यू0पी0 से कोई दबाव पड़ा था। उसका बड़ा भारी बोझ हरियाणा पर पड़ रहा है। (विघ्न) क्या वजीर साहब उसको हटा कर किसी टैक्नीकल हैंड को या अच्छे अफसर को उसकी जगह लगायेंगे ?

Shri Verender Singh% This supplementary has no relevancy with the main question. This is about establishment expenditure of the Electricity Board.

Mr. Speaker: This particular supplementary is not relevant to the question. If the Hon. Member gives a notice, I

am sure the Hon. Minister will answer that question. (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बिजली बोर्ड हिसार में िाफ्ट करने से ऐस्टेब्लि ामैंट के ऐक्सपैंडिचर में कितनी कमी हुई है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः ऐस्टेब्लि ामैंट ऐक्स्पैंडिचर तो कर्मचारियों की तनख्वाह पर ही होता है। स्टाफ चूंकि उतना ही रेहगा इसलिये इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है।

Mr. Speaker: Hon. Members, the Question House is over now.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

New Mandis

***753. Lala Balwant Rai Tayl:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of New Mandis which the Government wanted to set up from July 1977 to date together with the names of places where these are likely to be set up;

(b) the expenditure to be incurred on each New Mandi, separately; and

(c) whether the whole amount is likely to be spent out of the loans taken from Bank ?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) (i) Two New Mandi Townships at Gohana and Kurukshetra are being setp up by the Colonization Department; and

(ii) 23 Mandis, as per statement-I, laid on the Table of the House, are being set up by the Haryana State Agricultural Marketing Board.

(b) (i) No estimate has been prepared by the Colonization Department yet.

(ii) The estimated expenditure to be incurred by the Haryana State Agricultural Marketing Board, on each of the new Mandis, indicated in Statement-II, is laid on the Table of the House.

(c) Out of the estimated total expenditure of Rs. 13.48 crores, to be incurred on the development of these Mandis by the Board, a loan from the World Bank would be availabla to the extent of Rs. 88 crores. Teh remaining expenditure will be met by the Marketing Board. This amount will be spent during the period of loan, which is four years.

Statement 1

23 Mandis are being set up by the Haryana State Agricultural Marketing Board from July, 1977 to date. The names of which are given below :-

Gurgaon District	
1	Mandkola
2	Kasan
3	Khor
4	Pataudi (Vegetable)
5	Tauru
6	Mohna
7	Punhana
Kanral District	
8	Gharaunda
9	Panipat
10	Chhichhrana
Ambala/Kurukshetra District	
11	Shahabad
12	Ambala Cantt

13	Jagadhri
14	Yamuna Nagar
15	Barara
Mohindergarh District	
16	Kund
17	Mohindergarh (Vegetable)
Jind District	
18	Jind (Vegetable)
19	Mudhal
Rohtak District	
20	Dighal (Beri)
21	Badli
Sirsa District	
22	Maleka
23	Chautala

Statement II

The app. expenditure to be incurred on each new mandi is as under :-

1	Mandkota	3500000
2	Kasan	3500000
3	Khor	3500000
4	Pataudi (Vegetable)	2500000
5	Tauru	3500000
6	Mohna	350000
7	Punhana	3500000
8	Gharaunda	12500000
9	Panipat	12500000
10	Chhichhrana	2500000
11	Shahabad	12500000
12	Ambala Cantt	12500000
13	Jagadhri	12500000
14	Yamuna Nagar	12500000
15	Barara	6843000
16	Kund	3500000
17	Mohindergarh (Vegetable)	2500000
18	Jind (Vegetable)	2500000

19	Mudhal	3500000
20	Dighal (Beri)	3500000
21	Badli	3500000
22	Maleka	3500000
23	Chautala	3456000

Wages fixes for the Agricultural labourers

***777. Shri Jogi Ram;** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether any daily wages have been fixed by the Govt. for the agricultural labrourers in villages in the State;

(b) is so, whether the record of the fixed wages is made availbale to the Gram Panchayat; and

(c) whether the agricultural labourers are getting wages at the fixed rated in the State; if not, the reasons therefor ?

Public Works Minister (Shri Lachhmand Singh):

(a) Yes.

(b) No.

(c) Yes, some cases of less payment, however, have come to the notice of this department, as the labour is not properly organises in this Sector.

Construction of Bus Stands in the State

***822. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Chief Minister for be pleased to state-

(a) the reasons for which a building for Bus Stand at the Headquarter or District Jind has not been constructed so far;

(b) whether it is a fact that the buildings for Bus Stands have been constructed at the Headquarter of Sub Divisions and Tehsils in Haryana; and

(c) the income accrued so far to the State, from the shops given on contract by the department in the premises of the Bus Stand at Jind, from the beginning to date ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) A permanent building of bus stand at district headq uarters at Jind has not been constructed so far because of limited funds available for building programme and due to the priority given to the construction of regular workshops. However, a temporary structure to house the Bus Stand at Jind was raised as early as 1973 and is serving the purpose of the Bus Stand.

(b) Yes, but not in all the Sub Divisions and Tehsils.

(c) An income of Rs. 72910297 has accrued from the shops given on contract by the department in the premises of the Bus Stand at Jind from the beginning to date.

Kacha Rasta

***733. Shri Ram Singh Mann;** Will the Minister for Revenue be pleased to state- whether there is nay proposal under consideration of the Government to acquire the land between village Mandi Kehar to village Berla with a view to provide passage (Kacha Rasta) to the above said villages in district Bhiwani ?

Revenue Minister (Thakur Bir Singh): The matter is under the consideration of the Government.

Raising the prices of Foodgrains

***829. Chaudhri Jagjig Singh Pohloo:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to approach the Central Government to raise the support price of the Foodgrains namely, Wheat, Rice, Jowar, Maize and Bajra; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized ?

Minister for Food & Supplies (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) No, so far as current marketing year is concerned.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Water Supply Scheme for village Guriani

***796. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state-

(a) whether there is any proposal for the Water Supply Schem for village Guriani, Tehsil Jhajjar ; and

(b) whether it is a fact that the under ground water in village Guriani and surrouning villages is brackish ?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) Yes.

Bus Stand at Meham

***814. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Chief Minister for be pleased to state-

(a) whether there is any proposal of the Government to construct Bus Stand at Meham proper; and

(b) if so, the time by which the afore-said Bus Stand is likely to be constructed ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) Yes.

(b) No target date has been fixed. However, the land has been selected and action has been initiated for its acquisition. After the land is acquired, necessary action with regard to the construction of a Bus Stand at Meham will be initiated.

Opening of na office of District Soldiers, Sailors and Air Men's Board at Sirsa

***782. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Chief Minister for be pleased to state- whether there is any proposal under consideration of the Government to open the office of the District Soldiers, Sailor and Airmen's Board at Sirsa; if so, the time by which it is likely to be opened ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal): The Haryana Government has agreed in principle to estableish a Zila Sainik Board at Sirsa to look after the welfare of ex-servicemen and their families in the district. As the expenditure on maintenance of Zila Sainik Board is shared half and half between the State and Central Government, the Ministry of Defence of the Government of India has been asked to give their concurrence to share half the expenditure. On receipt of this concurrence, steps will be taken to establish a Zila Sainik Board at Sirsa.

Rural Drinking Water Supply Schemes

***789. Shri Gulzar Singh:** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state-

(a) the sources/agencies from where the State Government gets funds for the Rural Drinking Water Supply Schemes in the State;

(b) the criteria adopted by the State Government to select villages for providing drinking water in rural areas under World Bank Scheme, Central Govt. Schemes & State's owned Schemes; and

(c) the total number of Water Supply Schemes sanctioned for Rajaund Constituency during the period from 1st April, 1977 bto 30th November, 1978 ?

Public Works Minister (Srhir Lachhman Singh):

(a) (i) State Plan.

(ii) Central Grants.

(iii) World Bank Loan.

(b) Villages where acute drining water scarcity prevails are given priority.

(c) Five.

Model Institutes for Teachers Training

***838. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Model Institute for Teachers Training, in each district, in order to imporve the standard of teaching in the State; if so, the details thereof and the time by which these Institutes are likely to be set up; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government or decision taken to set up the State Council of Educational Research and Training; if so, the details of its functions and the time by which it is likely to be set up ?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

(a) Yes, only one 'Model Institute for Teachers Training' is proposed to be set up at a cerntrally located place in the State during the 1978-83 plan period.

(b) Yes, Government have accorded sancetion to the formation of the State Council of Education Research and Training by merging the State Institute of Education and the State Institute of Science Education at Gurgaon.

The main objective of the State Council of Educational Research and Training will be to bring about qualitative improment in the standard of school education. It will be set up shortly.

Per quintal cost of production of Wheat in the State

***764. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether the Government has got assessed per quintal cost of wheat during the year 1978 or earlier in the State; and

(b) is so, the name of the Institution from where it has been got assessed and the cost worked out ?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) Yes, the per quintal cost of wheat has been assessed for the year 1977-78 on the basis of data collected in 1976-77.

(b) The field data for working out cost of production is collected by the Economic and Statistical Organisation of Haryana and on the basis of that data, the cost is calculated by the department of Agriculture. The cost of production worked out by the State Government for the year 1977-78 for wheat crop is Rs. 127.00 per q uinatal.

Educated Unemployement Scheme

***722. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the consitutuency wase number of unemployed educated persons to whom loans were advanced under Educated Unemployed Scheme for rural Industries during the period form 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the Stae; and

(b) the constituency wise named of the Industries for which loans were advanced to educated persons ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

A statement in respect of ‘a” and ‘b’ is laid on the Table of the House alongwigh Annexures ‘A’ and ‘B’

STATEMENT

(a) Statement showing the consittuency wise number of unemployed educated persons to whom loans were advanced under Educated Unemployemnt Scheme for Rural Industries during the period form 4th July, 1977 to 30th June, 1978.

(b) Statement showing the constituency wise names of the Industries for which loans were advanced to educated persons.

Name of District/ Constituency	No. of educated unemployed persons advanced	No. of Units	Names of Industries

	loans			
Sirsa				
Ellenabad	11	7	1	M/s Depak Indsteris Ellenabad.
			2	M/s Janta Steel Works, Ellenabad.
			3	M/s Laxmi Udyog, Ellenabad.
			4	M/s Meenakashi Soap and Candle Works, Ellenabad.
			5	M/s Surya Dal & Flour Mills, Ellenabad.
			6	M/s Renus Agricultural Industries, Gobindpura.
			7	M/s Haryana Soap & Candle Works, Nanuana.
Dabwali	10	5	1	M/s Janta Agricultural And Allied Industries,

				Village Odhan.
			2	M/s Haryana Krishi Udyog, Chautala.
			3	M/s Janta Brick Kiln, Chautala.
			4	M/s Krishna Chemical Industries, Abubsahar.
			5	M/s Haryana Agriculture Corporation, Goriwala.
Sirsa	2	1	1	M/s Raj Paper Industries, Khaja Khera.
Sonepat				
Baroda	4	2	1	M/s Delite Continental Industries, Village Ahulana, Tehsil Gohana.
			2	M/s Shakti Exercise Book, Village Bichpari, Teh. Gohana.

Gohana	2	1	1	M/s Jai Sontoshi Maa Industries. Vill. Khanpur Kalan, Tehsil Gohana
Rai	11	5	1	M/s Veer Cables, Villages Khewra, Teh. Sonepat.
			2	M/s Bharat Dyes & Chemical, Village Rai.
			3	M/s Arya Oil Industries, Village Kundli.
			4	M/s Decro Industries, Village Kundli.
			5	M/s Laxmi Steel & Metal Industris, Village Khewra
Sonepat	4	2	1	M/s Haryana Metal and Steel Product, Village Faselpur.
			2	M/s Amar Milk Product, Village Sultanpur.

Rohtak	4	2	1	M/s Janta Exercise Book, Village Sisana.
Mohindergarh				
Narnaul	5	2	*1	M/s TAlot Embroidery Frames, Village Talot
			*2	M/s L.B. Lime Works, Village Shehbaspur
Ateli	8	4	1	M/s Kalba Wood Works, Village Kalba
			2	M/s Guari Shankere Marble Factory, Village Nasibpur.
			3	M/s M/s Rajesh Enterprises, Village Sheonathpura.
			*4	M/s Jawahar Industries, Village Bhungarka.
Bawal	12	6	*1	M/s Amar Industries, Vill. Qutabpur.

			*2	M/s Arya Slate Works, Kund Mandi.
			3	M/s Adarsh Rivets Industries, Village Qutabpur.
			4	M/s Kisan Cement Pipe Factory, Village Qutabpur.
			*5	M/s Gupta Floor & General Industries, Village Kund.
			*6	M/s K.R. Udyog, V.P.O. Hari Nagar.
Jatusana	8	4	*1	M/s Haryana Poultry Farm, Village Nainsukhpura.
			*2	M/s Nand Engg. Works, Dahina.
			*3	M/s Arya Industries, Vill. Gahra.
			*4	M/s Randhir Electrical & Engg. Works, Village Kanwali.

Rewari	6	3	*1	M/s Mamta Chemicals, Village Jaitpur.
			*2	M/s Mamta Products, Village Jaipur.
			*3	M/s Vishkarma Lime Kiln, Village Nandarmpur Dass.
Mohindergarh	4	2	*1	M/s Buchawas Lime Stone, Village Buchawas.
			*2	M/s Haryana Shamiana Udyog, Village Bhjagrana.
Karnal				
Samalkha	10	5	1	M/s Janta Handloom Industries, Village Atta.
			2	M/s Bharat Handloom Industries, Babail.
			3	M/s Aggarwal Handloom

				Industries, Village Sanauli Khurd.
			4	M/s Super Polytehne & Allied Industries, Village Samalkha.
			5	M/s Haryana Chemical Industries, Village Bapauli.
Naultha	3	4	1	M/s Haryana Handloom Industries, Village Bhadar.
			2	M/s Bharat Handloom Industries, Village Kutail.
			3	M/s Prince Handloom Industries, Village Barauli.
			4	M/s Haryana Handloom & Hosiey Industries, Village Kohand.
Nilokheri	2	1	1	M/s K.P., Engineers, Industries, Village

				Arjeberi
Kheri Jundla	2	1	1	M/s I.S. Axle and Allied Inustries, Village Jundla
Indri	2	1	1	M/s Golden Match Industries, Kunjpura.
Rohtak				
Hasangarh	4	2	1	M/s National Agro Fabricators, Village Ismaila.
			2	M/s Jan Sewak Gur Khandsari & Oil Mills, Village Ismaila.
Kiloi	17	6	1	M/s Haryana Beauty, Village Bohar
			**2	M/s Kanwal Udyog Sansthan, Village Assan.
			3	M/s Rama Paper Converting Industries, Village Makrauli Kalan

			4	M/s Jai Bab Udyog, Village Makrauli.
			5	M/s Rana Paper Products, Village Asthal Bohar.
			6	M/s Lion Handloom, Village Jindran.
Beri	3	1	1	M/s Dighal Farbricators, Village Dighal
Sahalawas	8	4	1	M/s Nawal Wooden Works, Village Kobli.
			2	M/s Adarsh Paper Converting Industries, Village Kosli.
			3	M/s Raj & Shiva Enterprises, Village Kosli.
			4	M/s Yadav Asbestos Cement Pipe Factory, Village Kosli.
Bahadurgarh	6	3	1	M/s Vijay Pen

				Industries, Village Parnala.
			2	M/s Rani Chalk Industries, Village Dekhora.
			3	M/s Haryana Agriculture Implements & General Fabrication Industires, Village Nana Majra.
Hissar				
Bhattu	4	2	1	M/s Sarvodya Printers & Candle Manufactrueing, Village Bhattu.
			2	M/s Haryana Agro. Tools, Village Bhattu.
Ratia	2	1	*1	M/s Vimal Soap Factory, Village Baliyala.
Tohana	4	2	1	M/s Gautam Soap Factory, Village Bhuna.

			2	M/s Auromica Laminates, Village Kanheri.
Barwala	2	2	*1	M/s Raj Soap Factory, Barwala
			*2	M/s Jaswant Agricultural Implements, Village Uklana.
Narnaund	8	4	1	M/s Haryana Copy House, Village Moth Kannail.
			*2	M/s Majra Handloom Industries, Village Majra.
			*3	M/s Shivshanker Handloom Industries, Village Badala.
			*4	M/s Hans Handloom Village Gurana.
Adampur	3	2	*1	M/s Kamla Handloom, Village Mangali.

			2	M/s Verma Soap Factory, Village Mangali.
Jind				
Jind	20	9	1	M/s Shiv Shanker Copy House, Village Gunkali.
			2	M/s Janta Copy Udyog, Village Pandu Pindara.
			3	M/s Friends Papers Udyog, Village Bishanpura.
			4	M/s Guatam Soot Gola Factory, Village Kandela.
			5	M/s Amerheri Plastics, Village Amerheri.
			6	M/s Suraj Lubricants Grease Factory, Village Amerheri.
			7	M/s Jai Bhagwati Oil Mills, Village

				Nirjan.
			8	M/s Radha Metal Works, Village Amerheri.
			9	M/s Haryana Polyphil Industries, Village Julani.
Safidon	2	1	*1	M/s Thigrania Industries, Village Shahpur.
Ambala				
Kalka	2	1	1	M/s Barwala Steel Furniture, Barwala.
Mullana	10	5	1	M/s Bhardwaj Enterprises, Barara.
			2	M/s Vishwakarma Agro. Industries, Barara.
			3	M/s Laxmi Metal Industries, Barara.
			4	M/s Krishna Surgical Industries, Mullana.
			5	M/s Parmod Kumar

				& Co. Dhanura.
Jagadhri	2	1	1	M/s P.Square Industries V.P.O. Domla.
Sadhaura	2	1	1	M/s Saraswari Uttam Metal Works, V.P.O. Bilaspur.
Kurukshetra				
Thanesar	2	1	1	M/s Janta Optical Inudstries, Village Umri, Teh. Thanesar, Kurukshetra.
Guhla	7	3	1	M/s Haryana Handloom Industries Village Chika, Tehsil Guhla.
			2	M/s Friends Automobiles, Village Chika, Tehsil Guhla.
			3	M/s Gupta Trunk House, Village Chika, Tehsil Guhla.
Kaithal	2	1	1	M/s Janta Steel &

				Allied Industries, Village Titram Tehsil Kaithal.
Shahabad	1	1	1	M/s Sinhmar Khandsari Udyog, Village Sarai Sukhi, Tehsil Thanesar.
Gurgaon				
Hathin	4	1	1	M/s Navyuvak Cotton Industry Village Mitrol.
Palwal	4	2	1	M/s BJhagola Printing Press, Village Bhagola.
			2	M/s Balbir Singh Dev Datt, Steel Industry, Village Bhagola.
Hasanpur	4	1	1	M/s Jai Durgai Agri. Implements Village Bamnikhera (Unit located in Palwal Constrituency).
Faridabad	3	2	1	M/s Haryana Wood Works, Village

				Sikri.
			2	M/s Grimin Wooden & Steel Fabrication, Village Gonchi.
Ballabgarh	2	1	1	M/s Modern Furniture Mart, Village Sikri (Unit located in Faridabad Constituency).
Tauru	2	1	1	M/s Pushp Handloom Industry, Village Hasanpur Tauru.
Nuh	4	2	1	M/s Model Fibre Industry, Village Ferozepur Namak.
			2	M/s Adarsh Handloom Udyog, Village Kherla.
Gurgaon	2	1	1	M/s Riyot Engg. Industry, Village Gurgaon.
Bhiwani				
Bhiwani	4	2	1	M/s Bharat Sugar Cane Crushing Co.,

				Village Saharwa.
			2	M/s Kishan Dal & Cotton Mills, Village Barwa.
Bhadra	7	3	1	M/s Janta Enterpises, Village Lad.
			2	M/s Dudiwala Rope & Ban Industry, Village Dudiwala.
			*3	M/s Bhadra Soap Works, Village Badhra.
Tosham	2	1	1	M/s Bharat Ice Factory Tosham.
Charkhi Dadri	2	1	*1	M/s Janta Limestone Crushing, Village Badhwana.
Mundhal Khurd	2	1	*1	M/s DO YARR Industries, Village Bond.
Loharu	2	1	*1	M/s Hindustan Soap Factory, Village Bas.

	272	131		

* Represents units granted Loan by the Industries Department.

** Represents units assisted by Khadi and Village Industries Board.

Other unit in the list were granted loan be different Banks.

ANNEXURE 'A'

Abstract of Progress of Rural Industries Scheme upto 15-10-78

Sr. No.	District	No. of units gone into production	Compostion of the Unit				Employment provided		
			Having 4 or more partners	Having 3 partners	Having 2 partners`	Sole Properietry	Enter preneurs	Others	Total
1	Ambala	20			14	6	34	65	99
2	Bhiwani	13		2	9	2	26	57	83
3	Gurgaon	17	1	1	13	2	35	55	90
4	Hissar	17			16	1	33	30	63
5	Jind	18		2	15	1	37	47	84
6	Karnal	20		2	13	5	37	90	127
7	Kurukshetra	9		1	8		19	25	44
8	Narnaul	25		1	24		51	86	137

9	Rohtak	26	1	1	22	2	56	100	216
10	Sirsa	19		2	17		40	134	174
11	Sonepat	23		3	14	6	43	95	138
	Total	207	2	15	165	25	411	844	1255

Industrywise break up of units set up under Rural Industries Scheme upto 15-10-78

No.	Item of Manufacture	Ambala	Bhiwani	Gurgaon	Hissar	Jind	Karnal	Kurukshetra	Mohindergarh	Rohtak	Sirsa	Sonepat	Total
1	Candles	6	1	2	1	6	1			4	3	1	25
2	Handloom			4	4	1	6	1		1	2	1	20
3	Agricultural Implements	1	1	2	4		1	2	4		3		18
4	Steel & Wooden Furniture	2	1	3			1	1		2	3	3	16
5	Steel Fabrication	3		1			1	1	1	4		4	15
6	Exercise books				2	3			1	3	1	3	13
7	Gur & Khandsari	3	2				1			3			9
8	Soap		2		4			1					7

9	Oil					1	1		1	1	1	2	7
10	Sheet Metal					1			1		1		3
11	Candle & Soap								1		2		3
12	Exercise books & Candles		2										2
13	Ban & Rope Making		1	1									2
14	Utensils					1						1	2
15	Polythene Bags					1	1						2
16	Leather Footwear					1				1			2
17	Khes & Bed Sheets						1					1	2
18	Cement Pipes								1	1			2
19	Fountain								1	1			2

	Pen & Ball Pen												
20	School Slate								1	1			2
21	Candles & Cement Jallies	1											1
22	Conduct Pipes	1											1
23	Surgical Bandages	1											1
24	Brass Utensils	1											1
25	Gram, Dal & Ginned Cotton		1										1
26	Lamination			1									1
27	Nuts			1									1
28	Auto			1									1

	Nipples												
29	Printing Press			1									1
30	Industrial Laminates				1								1
31	Salt Petre				1								1
32	Thread Ball					1							1
33	Plastic Cane					1							1
34	Grease					1							1
35	Comber Cloth & Khes					1							1
36	Detergent Soap												1
37	Hand Tools						1						1
38	Cotton Tape & Nawar						1						1

39	Detergent & Tarpaulins						1						1
40	Match Box						1						1
41	Optical Lenses							1					1
42	Buffing Compound							1					1
43	Ayurvedic medicines							1					1
44	Metal Rivets								1				1
45	Filter of machines								1				1
46	Wooden Embroidery Frame								1				1
47	Wood Sawing								1				1

48	Marble Chips								1				1
49	Poultry Products								1				1
50	Candle & Taripal								1				1
51	Shamiana								1				1
52	Atta Chaki & Wood Sawing								1				1
53	Chalk and coloured cranes								1				1
54	Readymade garments									1			1
55	Building hardwares									1			1
56	Locks									1			1
57	Lock and									1			1

	Safe												
58	Leaf Spring											1	1
59	Flour Machinery											1	1
60	P.V.C. Cables											1	1
61	Dyes & Chemicals											1	1
62	Coke Briquetts											1	1
63	Milk Products											1	1
64	Auto Filter											1	1
65	Bricks										1		1
66	Confectionery & Candles										1		1
67	Lime	1	2						4				7

	Total												

ANNEXURE 'B'

Intitution-wise break-up of advancementg of loans

Sr. No.	Name of the Institution	No. of Unit	Advanced Loan
1	Punjab National Bank	30	
2	State Bank of India	26	
3	Central Bank of India	13	
4	State Bank of Patiala	21	
5	Oriental Bank of Commerce	5	
6	Indian Bank	1	
7	Syndicate Bank	4	
8	Khadi & Village Industries	1	
9	Industries Department	30	
Total		131	

Re- appointments/re-instatements of the Employees in the Harayna Agro Industries Corporation

***848. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state with reference to the reply to Unstarred Question No. 159 replied on the 28th August, 1978 and state the authority who passed orders on the file and signed the letters of re-appointments/re-instatements, in respect of the emplyees who were taken back in the service of the Haryana Agro Industries Corporation ?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): The decision was taken by the then Mangaing Director in consultation with the Chairmand and letters of re-appointments/re-instatements were signed by Superintendent of the Corporation for Managing Director. These re-appointments/re-instatements were approved by the Board of Directors of the Corporation.

Haryana Television Corporation

***754. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) the date on which the Haryana Televisioni Corporation was set up; and

(b) the yearwise details of the balance sheet of the said corporation from beginning to date ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

(a) 21-12-1973.

(b) 1. The balance sheets as on 31-12-1974 and 31-12-1975 are placed on the Table of the House.

2. The accounts for the period 1-1-1976 to 31-3-1977 are still under audit.

3. The balance sheet as on 31-3-1978 has not yet been prepared.

Haryana Television Limited, Faridabad.

Balance Sheet as on 31st December, 1974

Liabilities	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Share Capital		6,00,000.00	**Fixed Assests**		7,65,050.31
Unsecured laons short term loans & Advances			**Capital work in progress pending Allocation :**		
(Including interest) From Director From others	 3,473.90 7,67,485.34	 7,70,959.24			
Current Liabilities & Provisions			**Current Assests, loans & advances**		
Current Liabilities			(a) Current Assests : Stock at cost		
Sundry Creditors for Goods	3,09,970.47		(As per inventroy taken valued and certified by the		

			Managementt)		
Sundry Creditors for other Finance	7,093.88		Raw materials	1,73,285.48	
Liabilities for Expenses	97,064.21	4,14,128.56	Loose Tools	100.05	
			Finished Products (Standard cost)	1,70,800.00	
			Semi Finished Products	1,06,435.00	4,50,620.53
			Cash and Bank Balances		
			Cash Balance in hand	5,497.06	
			Balances with Scheduled Banks on Current Account	1,798.76	7,295.82
Carried over		**17,85,087.90**			**13,51,644.67**
			(b) Loans & Advances :		
			Advances recoverable in	33,521.69	

			cash or in kind or for value to be received (including Rs. 400 due by an Officer of the Company. The maximum amount due by an Officer of the Company at any time during the year Rs. 500)		
			Security Deposit (including Rs. 3,500 deposited in Post Office Saving Account lodged with President of India for Excise Deposit)	26,209.00	59,730.69
			Miscellaneous Expenditure		
			(to the extent not written off or adjusted)		
			Preliminary	9,038.25	

			Expenses		
			Preproduction Expenses	1,78,244.60	1,87,282.85
			Profit & Loss Account		1,86.429.59
		17,85,087.00			**17,85,087.80**

Haryana Television Limited

Balance Sheet as on 31st December, 1975

Liabilities	Amount (Rs.)	Current Year Amount (Rs.)	Previous period Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)	Currect year Amount (Rs.)	Previous year Amount (Rs.)
Share Capital		15,61,250.00	6,00,000.00	**Fixed Assets**		14,97,265.91	7,65,050.31
Share Applications (on 11375 equity Shares of Rs. 10 each pending allotment)	1,13,750.00			Capital Work-in-progress Advances pad for construction works & other assests:-			
Secured Loans				Balance as per last act	1,28,678.01		
				paid during the year	1,13,425.00		
Syndicate Bank, Faridabad (on hypothecation of Raw materials, Semi finished goods and TV sets guaranted by two Directors Holding	16,03,663.15			Transter	2,42,103.01		1,28,678.01

Company)							
				Current Assests, Loans & Advances			
Syndicate Bank, Faridabad (on pledge of TV sets	1,07,096.10			(a) Current assets Stock (As per Inventory taken valued and certified by the Management)			
Haryana Financial Corpn. (Mortgage on fixed Assets Guaranted by two Directors and H.S.I.D.C. Holding Company)	8,34,000.00	25,44,759.25		Raw Material (At Cost)	5,92,078.27		1,73,285.48
				Loose Tools (At cost)	1,347.25		100.05
				Finished Products (At not reliable value)	14,44,444.00		1,70,800.00
Unsecured Loans				Semi Finished products (At cost)	6,69,399.68	27,07,269.17	1,06,435.00

Short Terms Loans & Advances (including interest)				Sundry Debtors (Unsecured considered Good)			
From Directors			3,473.90	Due for mor than 6 months	2,195.00		
From Others			7,67,485.34				
Other Loans & Advanced				Others (Including Rs. 80 due from a Director Maximum balance during the year Rs. 3,404).	3,09,074.04	3,11,989.04	
From Director	3,960.25						
From H.S.I.D.C. (Holding Company)	11,79,425.62			Cash & Bank Balance			
From others	4,227.54			Cash balance on hand	50,848.01		5,497.06
	11,87,613.41						
Interest Accrued & Due	1,25,391.97	13,13,005.38		Balances with Seheduled Bank on Current Account	6,411.16	57,259.17	1,798.76

Current Liabilities & Provisions				(b) Loans & Advances (Unsecured considered Good)			
Current Liabilities				Advances recoverable in Cash or in kind or for value to be received (including Rs. 4,628.25 due by an Officer of the Company previous period Rs. 400. The maximum amount due by the officers of the Company at any time during the year Rs. 6,628.25 previous period Rs. 500)			
Sundry Creditors for Goods	2,40,270.90		3,09,970.47				
Sundry Creditors for other finance	54,142.72		7,093.88				
Liabilities for expenses	5,70,936.49	8,65,355.11	97,064.21				
				Security Deposit (including Rs. 3,500 deposited in post office Saving Bank Account pass book lodged with President of India for	13,709.00	3,04,906.05	26,209.00

				Excise Deposit)			
				Miscellaneous Expenditure			
				(To the extent not written off or adjusted)			
				preliminary expenses	8,134.42		9,038.25
				pre production expenses	1,44,477.96		1,78,244.60
				Deferred Revenue Expenditure (Advertisement)	5,20,000.00	6,72,612.38	
				Profit & Loss Account			
				Balance as per last account	1,86,429.59		
				Loss for the year	6,60,388.43	8,46,818.02	1,86,429.59
		69,98,119.74	**17,85,087.80**			**69,98,119.74**	**17,85,087.80**

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Road from Village Hatla of Tehsil Palwal

205. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Public Works be please to state-

(a) whetehr there is any proposal to construct a road from village Hatla or tehsil Palwal, district Gurgaon to Mandkola tehsil Nuh Pradhola Dhatir; and

(b) is so, the time by which the said road will be constructed ?

Public Works Minister (Shri Lachhaman Singh) :

(a) No.

(b) In view of (a) above, questgion does not arise.

Completion fo incomplete roads in the

Hathin Assembly Constituency

206. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Public Works be please to state-the time by which the construction work on following incomplete roads in the Hathin Assembly Constituency are likely to be completed :-

i	From Sondh to Andhop;
ii	From Marruali to Khambhi;

iii	From Bahim to Hathin, via Manpur;
iv	From Aharvau to Wichpuri;
v	From Hathin to Reend;
vi	From Malai to Dhakkapur; and
vii	From Tumsare to Gaudharana ?

Public Works Minister (Shri Lachhaman Singh) :

(i) Villages Sondh and Andhop are already on metalled roads and there is no porposal at present to connect Sondh and Andhop.

(ii) Villages Marrauli and Khambhi are already on metalled roads and there is no proposal at present to connect Marrauli and Khambhi.

(iii) Villages Bahim, Hathin and Manpur are already on metalled roads and there is no proposal at present to connect all these village.

(iv) By June, 1979.

(v) The road stands completed except a gap of 0.56 Kms. in the end reach towards Reendka where a majour bridge is required to be constructed on Gaundhi drain. The proposal for construction of this bridge is under consideration of the

Government, hence no target date can be given for its construction.

(vi) No work has yet been undertaken on this road. This road will be completed in 6th Plan.

(vii) There is not village named Gaudharana in Palwan Tehsil. However, there is a village Gudrara and there is no proposal for construction of the link from Tumsara to Gudranra as both these villages already stand connecte with metalled roads.

Construction of Bus stand at Hathin

207. Swami Aditya Vesh: Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether there is any proposal under considertaion of the Governmnet to construct a Bus stand at Hathin; and

(b) if so, the time by which the Bus stand is likely to be constructed ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) No.

(b) –

Erosion on the Bank of Yamuna

208. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Irrigation Power be please to state-

(a) whether there is any schem under consideration of the Government to check erosion being caused by Yamuna River form village Thantri in tehsil Ballabhgarh to village Mahauli in tehsil Palwal; and

(b) is so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be materialised ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) Yes.

(b) 1979-80

Mr. Speaker: The I.P.M. had promised to make a statement on the Call Attention Motion by Rao Ram Narain, M.L.A., conscerning the re-opening of Ravi Beas Water issue. He may kindly do so.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

गिरफ्तार किए गए सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को छोड़ने सम्बन्धी

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, मैंने पिछले दिनों एक काल अटैन् ान मो ान दी थी जो बड़ी अरजैन्ट नेचर की थी लेकिन आपने यह कह कर रिजैक्ट कर दी कि यह अरजैन्ट नेचर की नहीं है। आपको मैम्बर्ज को लिखकर भेजना चाहिए कि किस

कारण से यह अरजैन्ट नेचर की नहीं। मैंने एक लिखित में प्र न भी पूछा था उसके बारे में जवाब नहीं दिया गया। एक प्र न ट्रांसफर के सम्बंध में था। पलवल गवर्नमैंट गरल हायर सैकेण्डरी स्कूल में एक टीचर लगा दिया है जबकि गवर्नमैंट की पालिसी यह है कि लड़कियों के स्कूल में चालीस साल से कम आयु का टीचर नहीं लगेगा लेकिन आपने वहां पर लगाया हुआ है। (ोर)....

श्री अध्यक्षः आपकी काल अटैन् ान मो ान डिस अलाऊ कर दी गई है। (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे ाः इसी तरह उटावड़ डिस्ट्रिब्यूटरी के बारे में काल अटैन् ान मो ान दी थी, वह भी रिजैक्ट कर दी गई है। यह डिस्ट्रिब्यूटरी सन् 1964 में बनी थी लेकिन आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा । (ोर)

श्री अध्यक्षः आपकी काल अटैन् ान मो ान डिस अलाओ कर दी गई हैं। आप त ारीफ रखिए। स्वामी जी आपको उत्तर दे दिया गया है। अब उत्तर देने की कोई आव यकता नहीं है। (ोर)

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, जो आधार दिया गया है, यह आधार नहीं है। उटावड़ डिस्ट्रिक्यूटरी सन् 1964 में बनी थी लेकिन अभी तक पानी ठीक तरह से नहीं पहुंच रहा है। (ोर) आपने अपने उत्तर में कोई रैलेवेन्ट बात नहीं दी है। आज तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना

पड़ रहा है। (ोर) कि प्राइवेट विद्यालय के अध्यापकों को सुधार घर चण्डीगढ़ में न बंद कर हवालात में बंद किया गया और कड़ाके की सर्दी में न उन्हें वस्त्र दिया गया और न भोजन।

(इस समय बहुत से मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्रीमती भाान्ति देवी: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन ान मो ान अध्यापकों के बारे में दी थी लेकिन वह रिजैक्ट कर दी गई है। उन अध्यापकों की डिमान्ड को पूरा किया जाना चाहिए। उनकी डिमान्डज जैनविन है। जब तक उनके बारे में कोई स्टेटमैंट ि ाक्षा मंत्री की ओर से नहीं दी जायेगी हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (ोर)

श्री अध्यक्षत: आपकी काल अटैन ान मो ान डिस अलाओ कर दी गई है। (ोर)

श्रीमती भाान्ति देवी: जब तक आप न्याय नहीं देंगें तब तक हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। स्पीकर साहब, आपको हाउस की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ि ाक्षा मंत्री से स्टेटमैंट दिलवानी चाहिए। (ोर)

कई मैंबर: जब तक मिनिस्टर साहब काल अटैन ान मो ान का जवाब नहीं देंगे तब तक हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (ोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब यह मुनासिब नहीं है कि ऐसे मौके पर इतना भाोर भाराबा किया जाये। जहां तक टीजर्ज की डिमान्डज का सवाल है जब तक उनकी एजीटे ान चलेगी तब तक डिमान्डज मानने का कोई सवाल ही नहीं है चाहे गवर्नमैंट क्यों ने टूट जाये। यह गवर्नमैंट फैसला है। (ाोर)

स्वामी आदित्यवे ाः माननीय मुख्य मंत्री इनकी बात सुनने की बजाए इन्हें कह रहे हैं कि मैं नहीं बात करूंगा, चाहे सरकार टूट जाए। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी का यह कहना सदन और सरकार की गरिमा के विरूद्ध है। अतः मुख्य मंत्री को अपने भाब्द वापिस लेने चाहिए। यदि सदन में जनता की आवाज की उपेक्षा की जाती है, आव यक बातों की अवहेलना की जाती है तो मुझे प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करना पड़ेगा।

Mr. Speaker: Hon. Members, I had received a notice of Call Attention motion from Shrimati Shanti Devi Rathee, M.L.A., concerning the release of private school teachers who were arrested on the 26th December. इस मो ान को मैंने डिसअलाऊ कर दिया है क्योंकि arrests, seaches, confiscation of goods or issue of prohibitory orders नार्मल प्रोसैस आफ ला एंड एडमिनिस्ट्रे ान में आते हैं और ये काल अटैन्ा ान मो ान का सब्जैक्ट नहीं बन सकते।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आपने उस काल अटै¬ ान मो ान को रिजैक्ट कर दिया परन्तु उन टीचर्ज के साथ जो रात को व्यवहार हुआ उसके बारे में तो ि ाक्षा मंत्री महोदय को या चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेटमैंट देनी चाहिये थी। लेडी टीचर्ज को भी रात को ओढ़ने के लिये कम्बल नहीं दिये गये। उन टीचर्ज के साथ डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे थे, उनका भी ठहरने का प्रबन्ध नहीं किया गया। चौबीस घण्टे तक वे भूखे रहे। इस बारे में तो चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ कहना चाहिये। आपने जो रूलिंग दी है उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम जी, जो टीचर्ज यहां पर आये थे वे हमारे ही बच्चे हैं, वे किसी गैर के या पराये नहीं हैं। जितनी आपके दिल में उनके प्रति हमदर्दी है उससे ज्यादा नहीं तो कम भी हमारे दिल में नहीं है। ि ाक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी के दिल में भी कम हमदर्दी नहीं है। गवर्नमैंट जो कार्यवाही कर रही है उसमें अगर किसी किस्म की कमी रह गई हो तो वह इस वजह से नहीं कि किसी के दिल में दर्द नहीं है। ज्यादा आदमी आ गये होंगे जिसकी वजह से कोई बात हो सकती है। आप ि ाक्षा मंत्री जी से मिलें, मेरे ख्याल में पूरा इन्तजाम किया जायेगा लेकिन वह काल अटै¬ ान मो ान मैं कतई एडमिट करने के लिये तैयार नहीं हूं।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): आप सब साहेबान बैठिए। भाोर न करें। काल अटै¬ ान मो ान डिस अलाऊ हो

चुकी है। इस बारे में किसी को भाक नहीं रहना चाहिये। काल अटैन ान मो ान कतई इन्ट्रोडयूस नहीं होगी। अगर ि ाक्षा मंत्री जी कोई स्टेटमैंट देना चाहते हों तो वे दे सकते हैं।

वक्तव्य

1. ि ाक्षा मंत्री द्वारा गिरफ्तार किए गए गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को छोड़ने सम्बंधी।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): मेरे बहुत सारे साथियों ने यहां हाउस में बहुत कुछ बातें कही हैं। अध्यापकों ने जो यहां पर वायलै ान की थी, उसके बारे में तो चण्डीगढ़ एड मिनिस्ट्रे ान ही जिम्मेदार है। जो भी उनको सुविधा देनी थी वह तो चन्डीगढ़ एडमिनिस्ट्रे ान ने देनी थी। जहाचं तक उनकी डिमांडज का संबंध है, वे आज ही पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी डिमांडज के बारें में काफी इन्फर्मे ान कुलैक्ट करनी हैं, जो आज ही कुलैक्ट नहीं की जा सकतीं। मेरे साथी कुछ अध्यापकों के लिये बड़े बेताब हैं। जितनी हमदर्दी उनकी है उससे ज्यादा हमारी है। हरियाणा के इतिहास में और मैं तो यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में जितना अध्यापाको का भला जनता पार्टी के समय में हुअस आज तक किसी पार्टी के टाईम में नहीं हुआ। जितनी हमने टीचर्ज की मदद की है उतनी कभी किसी ने नहीं की। कल परसों की बात है। वे यहां अपनी एक

रिप्रेजैन्टे ान लेकर आये थे, मैंने उनकी रिप्रेजैन्टे ान को लिया और उनकी दिक्कतों को सुनां आपको पता है कि उनकी रिप्रेजैन्टे ान सुनने की वजह से मैं क्वै चन आवर में भी लेट पहुंचा था और मैंने उस वक्त उनको यह आ वासन दिया था कि कि सरकार उनकी मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी एजीटे ान भाुरू रखने का फैसला किया। मैंने उनसे उसनकी मांगों में डेढ़ करोड़ से अधिकी की फाईनैं ाल इम्पलीके ान्ज इन्वाल्वड हैं। दूसरी जो उनकी मांग थी सिक्योरिटी आफ सर्विस की, उसके लिए सरकार ने पहले से ही आदे ा दिये हुए हैं और उस पर पूरी तरह से हम विचार कर रहे हैं लेकिन उन्होंन जिद्द की कि इसी वक्त हमारी सारी मांगों को मानने की अनाउन्समैंट करो, जिसे करने में मैं असमर्थ था। इस तरह से जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है, सरकार इस पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। ला एण्ड आर्डर को तोड़ना बर्दा त नहीं किया जा सकता था। क्योंकि एडमिनिस्टे ान बिना सख्ती किये नहीं चल सकता। मैं सरकार की तरफ से यह आ वासन दिलाना चाहता हूं कि अध्यापकों की मांगों के संबंध में सरकार उदारतापूर्वक विचार करेगी और जो उनकी जायज मांगें होंगी उनको मानने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं लेकिून सरकार किसी दबाव में आकर किसी के सामनु झुकने के लिए तैयार नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः इस प0र कोई डिस्क ान नहीं होगा।

श्रीमति भाान्ति देवी जो अभद्र व्यवहार मेरी बहनों और भाईयों के साथ किया गया है उसके बारे में तो मंत्री महोदय ने कुछ कहा ही नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः यह मामला यू0टी0 एडिमिनिस्ट्रे ान का है। इस वक्त मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर)

(इस समय स्वामी आदित्यवे ा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप बैठिए।

बहिर्गमन

स्वामी आदित्यवे ाः मैं तो वाक आउट कर रहा हूं। आप कहते हैं कि इस पर डिस्क ान नहीं होगा और हमें बैठ जाने के लिए आप कह रहे हैं। जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते तो मैं वाक आउट करता हूं।

(इस समय सर्व श्री स्वामी आदित्य वे ा और जगजीत सिंह पोहलू सदन से वाक आउट कर गये।)

Mr. Speaker: Now the I.P.M. may kindly make a statement--------- (Interruptions) Order please, order. The I.P.M. will make a statement now concerning the re-opening of Ravi-Beas Water issue.

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

2. सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा रावी व्यास पानी के आबंटन सम्बंधी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि केन्द्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भाक्तियों का प्रयोग करते हुए रावी व्यास के फालतू पानी में उत्तराधिकारी राज्यों का हिस्सा नियत किया तथा एक नोटिफिके ान तिथि 24 मार्च, 1976 द्वारा

रावी व्यास के फालतू पानी, जो व्यास प्रोजैक्ट के मुक्कमल हो जाने पर भूतपूर्व पंजाब राज्य को उपलबध होगा, में से हरियाणा राज्य को 3.5 एम0ए0एफ0 पानी का हिस्सा दिया।

2. तदनुसार हरियाणा में इस पानी को इस्तेमाल करने के लिये निर्माण कार्य की भाुरूआत जल्दी करने के लिये कदम उठाए गये। रावी व्यास के फालतू पानी में से हिस्से में आये 3.5 एम0ए0एफ0 जल का उपयोग मुख्यमः पि चमी यमुना नहर प्रणाली (162.5 पूर्ण सप्लाई दिन) को भाखड़ा नहर प्रणाली (278.2 पूर्ण सप्लाई दिन) के पैटर्न पर लाने के लिये किया जाएगा और उठान सिंचाई नहरों जैसे जवाहर लाल नेहरू, लोहारू, सिवानी और जुई बारहमासी को यमुना नदी से बाढ़ के दिनों में उपलब्ध होने वाले पानी की सप्नाई कि दिनों के अलावा रावी व्यास जल की सप्लाई द्वारा बारहमासी बनाया जाएगा। इस समय इन नहरों में केवल यमुना का बाढ़ का पानी ही प्राप्त हो रहा है। केवल जुई और सिवानी में कुछ हद तक बारहमासी पानी सप्लाई होता है। अब तक कुल सिंचाई लगभग 70000 एकड़ में ही हुई है। लोहारू, सिवानी और जुई नहरें लगभग पूरी हो चुकी हैं और जवाहर लाल नेहरू प्रणाली भी काफी जल सप्लाई को प्राप्त करने और उसको इस्तेमाल करने के लिये पूरी होने वाली है। 72.77 करोड़ रुपए की अनुमानिक लागत के मुकाबे 41.12 करोड़ रुपए की राि ा 31–3–1978 तक पहले ही खर्च की जा चुकी है। स्कीम के जून 1981 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। वर्तमान अनुमान के

अनुसार जब रावी व्यास का फालतू पानी सतलुज यमुना लिंक नहर द्वारा ले जायगा, उक्त नहर प्रणाली इस पानी को इस्तेमाल कर सकेगी जिसके नतीजे के तौर पर 100 करोड़ रुपए की सालाना फसल अधिक होने की सम्भावना है।

3. उपरोक्त के अनुसार स्पश्ट रूप से सतलुज यमुना लिंक नहर का जल्दी मुकम्मल होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि इस प्रोजैक्ट का काम बहुत जल्दी भाुरू किया जाये और मुकम्मल हो जाये। हरियाणा के इलाके में इस नहर पर काम अक्तूबर, 1976 से ही सही तौर पर भाुरू कर दिया गया था। 92 किलोमीटर नहर को, जिसमें लगभग 76 कि0मी0 नहर नई लिंक नहर है और 16 कि0मी0 वर्तमान पि चमी यमुना नहर प्रणाली को दोबारा बनाया जाना भाामिल है, आगामील लगभग 6 महीने में मुकम्मल किये जाने की सम्भावना है। सतलुज यमुना लिंक के हरियाणा के हिस्से की नहर के निर्माण पर 30 करोड़ रुपये की अनुमानिक लागत में से लगभग 22 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। दुर्भाग्यव ा पंजाब के इलाके में आने वाली नहर पर बार बार सभी स्तरों पर कोि ा ों करने के बावजूद काम अभी भाुरू नहीं किया गया है। हरियाणा तथा पंजाब के अधिकारियों के बीच सीधे तौर पर तथा भारत सरकार के माध्यम से बहुत सी बैठकें की जा चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की बैठकें भी हुई।। पंजाब सरकार हरियाणा बार्डर से 30

किलोमीटर की एलाईनमैंट के लिये पहले ही मान चुकी थी और भूमि अर्जन के लिये आदे ा जारी करने के लिये भी मान गई थी। पंजाब के मुख्य मंत्री ने वायदा किया कि नहर के इस हिस्से पर काम उसी वक्त भाुरू कर दिया जायेगा जब इसकी क्षमता के बारे पक्का फैसला हो जायेगा। इस काम को भाुरू करने के लिये हरियाणा सरकार ने 1976 में पंजाब सरकार को एक करोड़ रुपया दे दिया। उन्होंने यह रा ि इस्तेमाल कर ली है और 1978–79 की पहली तिमाही के लिये 3 करोड़ रुपये और मांगे थे। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 और 17 के तहत 5.1 किलोमीटर की लम्बाई के लिये भूमि अर्जन करने के लिये फरवरी 1978 में पंजाब सरकार ने नोटिफिके ान भी जारी कर दिये थे। लेकिन दफा 6 के तहत नोटिफिके ान जारी नहीं किये गये। मुख्य मंत्री हरियाणा के अनुरोध पर भार सरकार ने नहर की क्षमता के बारे अपना फैसला दिया। 30 किलोमीटर की अलाईनमैंट के बारे में भी एक बार पंजाब सरकार मान गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद पंजाब के इलाके में किसी ने किसी बहाने से काम भाुरू नहीं किया जो कि हरियाणा राज्य के लिए भारी चिन्ता का विशय है। पंजाब के इलाके में काम भाुरू करवाने के लिये प्रधान मंत्री से दखल देने के लिये अनुरोध किया गया। प्रधान मंत्री महोदय ने अगस्त तथा सितम्बर 1978 में बहुत सी बैठकें बुलाई जिनमें दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उनके सहायकों ने भाग लिया। इन सभी को ि ाों के बावजूद मुझे यह खेद से कहना पड़ रहा है कि अभी तक पंजाब के इलाके में इस नहर पर काम भाुरू नहीं

किया गया। मैं माननीय सदन को यकीन दिलाना चाहूंगा कि काम को जल्दी से जल्दी भाुरू कराने के लिये ऊंचे स्तर पर कोि ा ा जारी रखी जायेगी ताकि हरियाणा के उस इलाके में पानी देने के लिये नहर को मुकम्मल किया जाये जिसके लियें ऊपर ब्यान की गई हरियाणा की नहर प्रणाली बिल्कुल तैयार है।

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

श्री अध्यक्षः इस स्टेटमैं पर कोई डिस्क ान अलाऊ नहीं की जाएगी।

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

*

* * * * * * * *

* * * *

Mr. Speaker: No discussion will be allowed on the statement.

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

* * * * * * **(व्यवधान)**

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अगर इसी तरह से हर स्टेटमैंट पर रूल के खिलाफ डिस्क ान होती रही तो हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

Mr. Speaker: On the point of order raised by the Minister for Parliamentary Affairs my ruling is that no discussion will be allowed on the statement made by the Hon. Minister on a Call Attention motion.

एक आवाज: इस बारे में जो बात की गई है वह ऐक्सपंज कर दी जाए।

Mr. Speaker: It will all be expunged.

3. *मुख्य संसदीय सचिव द्वारा हरियाणा रोडवेजी की बसों की दयनीय तथा बुरी हालत सम्बंधी।

Mr. Speaker: Now I will request the Chief Parliamentary Secretary to make a statement which he had promised to make on the Call Attention motion move by Shri Har Swarup Bura.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह औजला): हरियाणा में यात्री यातायात के राश्ट्रीयकरण से पूर्व यह देखा गया था कि निजी परिचालक जनता को पर्याप्त मात्रा में बस सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे। निजी परिचालाकों द्वारा चलाई जा रही बसों की प्रतिदिन प्रति गाड़ी उपयोगिता केवल 135 तिक0मी0 थी। यह परिचालक केवल अपने लाभ को ही देखते थे और अधिक लाभ बनाने की ख्वाहि ा से ही कार्य कर रहे थे। वह हानि वाले छोटे फासले के देहाती मार्गों पर बस सेवा चलाने का ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने यात्रियों को सुविधा जुटाने के लिये भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन में टैक्स की चोरी करने की भी प्रवृति थी।

2. इन कमियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यात्री यातायात का राश्ट्रीयकरण करने का कार्यक्रम बनाया। पूर्व राश्ट्रीयकरण के प चात हरियाणा राज्य परिवहन राश्ट्रीयकृत परिवहन प्रणाली में काफी सु धार लाने में सफल रही है। यह इस बात से स्पश्ट होता है कि हरियाणा राज्य परिवहन की 2043 बसें प्रंतिदिन लगभग 5 लाख कि0मी0 यात्रा तय कर रही हैं तथा लगभग 6 लाख यात्री प्रतिदिन उठाती हैं। इस समय हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की प्रति दिन बस उपयोगिता 247 कि0मी0 है जबकि निजी परिचालक की बसों की उपयोगिता प्रति गाड़ी प्रतिदिन 135 कि0मी0 थी। हरियाणा राज्य परिवहन 94 प्रति ात गाड़ियों को मार्गों पर रखने में सफल रही है। प्रति गाड़ी उपयोगिता तथा गाड़ियों की उपयोगिता दे ा के अन्य अच्छे राज्य परिवहन संस्थाओं में से हैं।

3. हरियाणा राज्य परिवहन राश्ट्रीयकृत संस्था होने के नात यात्रियों को बस स्टैंड तथा बस क्यू भौल्टर जैसी सुविधायें प्रदान कर रही हैं जो कि राश्ट्रीयकरण से पूर्व नाम मात्र ही थीं। हरियाणा बनने के प चात भिन्न भिन्न स्थानों पर 10 बड़े बस स्टैंड तथा 150 बस क्यू भौल्टर बनाये गये हैं।

4. हाल ही में बाढ़ से सड़कों को काफी नुक्सासन हुआ। वि ोशकर रोहतक तथा गुड़गांवा जिलों में। इस कारण इन क्षेत्रों में चलने वाली कुछ बसों की हालत खराब हो गई है। इन बसों की ओर तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। साि साथ पुरानी

गाड़ियों को बदलने के लिये तथा परिचालन विस्तर हेतु नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्श के दोरान अब तक 300 नई गाड़ियां मार्गों पर डाली जा चुकी हैं। अतिरिक्त 84 गाड़ियां बाडी बनाने हेतु बाडी बिल्डरज को भेजी जा रही है। इसके अलावा 200 नई गाड़ियां चालू वित्तीय वर्श के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगी तब तक हरियाणा राज्य परिवहन की संख्या 2300 हो जायेगी। आगामी योजना के अनुसार प्रत्येक वर्श 200 नई गाड़िया परिचालन विस्तार हेतु डाली जायेंगी। पुरानी गाड़ियों को बदलने के लियें नई गाड़ियां डालना इसके अतिरिक्त होगा।

5. नई बसों को डाले जाने की वजह से हरियाणा राज्य परिवहन की गाड़ियों की हालत काफी संतोशजनक है। उदाहरणतः कुल गाड़ियों मे 80 प्रति ात ऐसी गाड़िया हैं जो कि 6 वर्श से कम पुरानी है।

6. विभाग मार्गों पर आय की लीकेज की समस्या से पूर्णतया जागृत हैं। इस समस्या के समाधान के लिये विभाग के पास एक भारी इन्फोरसमैंट संस्था है जिसमें लगभग 400 निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक, यातायात प्रबन्धक तथा उड़यन दस्ता अधिकारी हैं। जो परिचालक बार बार फराड करते हुय पाये जाते हैं उनको सख्त सजा देने की प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

7. यात्रियों की सहायता के लिये राज्य के सभी बड़े बडे बस स्टैंडों पर कुली रखे गये हैं।

8. यह सत्य है कि यात्रियों के प्रति चालकों तथा परिचालों द्वारा दुर्व्यवहार सम्बन्धी ि ाकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस संबंध में विभाग ने अभी निर्णय लिया है कि इनके भर्ती करते समय तथा सेवा काल के दौरान इनको सही प्रि ाक्षण दिया जाये। विभाग इस संबंध में ऐसे सभी चालकों तथा परिचालाकें के साथ सख्ती से बर्ताव करेगा जो विभाग द्वारा इस संबंध में बनाये गये स्तर पर पूरे नहीं उतरते।

9. विभाग में और सुधार लाने हेतु सरकार ने निम्नलिखित पग उठाये जाने का हाल ही में निर्णय लिया है :—

(क) खपत की महत्त्वपूर्ण मददें जैसे कि डीजल, लूबरीकैंट, स्पेयर पार्ट की कार्य कु ालता के स्तर निर्धारित किये जायेंगें। इन निर्धारित किये गये स्तर के साथ उनकी कार्यकु ालता को जांचा जायेगा और इनकी कार्यकु ालता निर्धारित स्तर के बराबर लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

(ख) गाड़ियोयं की गति सीमा 65 कि0मी0 प्रति घंटा पर नि ि चत कर दी जायेगी जिससे गाड़ियौं की हालत में सुधार हो तथा परिचालन खर्च में कमी आये।

(ग) गाड़ियों की देखरेख में सुधार लाने के लिये अधिक डिपो खोले जायेंगे। चार या पांच डिपो एक ग्रुप डिवीजनल मैनेजर के अधीन कर दिये जायेंगे ताकि गाड़ियों की देख रेख पर

निकट निरीक्षण हो सके, इन्वैन्टरी पर पूर्ण नियंत्रण रहे और जिससे परिचालन खर्च में कमी आये।

(घ) प्रत्येक लिंक रोड पर पर्याप्त मात्रा में बस सेवा चलाने के लिये एक पूर्ण विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

10. हरियाणा राज्य परिवहन सदा ही दे ा की अच्छी परिवहन संस्थाओं में से एक मानी गई है। तथा ऊपर दिये गये पगों को कार्यान्वित करने पर कोई वजह नहीं हो सकती कि इसकी कार्यकु ालता में और सुधार न हो।

11. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सरकार यात्री यातायात की भात प्रति ात राश्ट्रीयकरण की नीति को बदलने तथा निजी परिचालकों में रूट परमिट देने की नीति को उचित नहीं समझती।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

हरियाणा सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा राज्य में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतनमानों को पुनरीक्षत करने तथा उनकी सेवा भार्तो बारे आन्दोलन संबंधी।

Mr. Speaker: Hon. Members, Sarvhsri Shamsher Singh Surjewala and Inderjeet Singh, M.L.As. has given notice

of Calling Attention motion No. 6 regarding the agitation of Class III and IV employees of the Haryana Government and that of the teachers of recognised private schools in the State for revision of pay scales and other conditions of their service and the same was disallowed by me on the 26th December, 1978 as it was not in accordnace with the rules. The grounds of rejection were communicated to both or these M.L.As on the same day. However, for the information of the House, I would like to give these reasons. According to the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kauland Shakdher, page 416, strikes, lockouts, fasts, agitation motion. Further, terms and conditions of service of employees generally do not also form the subject matter of a calling attention motion.

Here I may add that no further discussion in this matter can be raised by any member of this House.

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो पंजाब में ऐसी प्रथा है कि काली अटैं ान मो ान का जब मंत्री महोदय जवाब दे दते हैं तो उस पर डिस्क ान के लिये कुछ समय दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि अगर यहां भी ऐसी ही प्रथा भाुरू कर दी जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने खुद सुना है पंजाब असैम्बली में टाईम दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः यहां पर जो प्रैसिंडैंटस हैं उसमें मैंने कल बहुत अच्दी तरह से देखा है लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर

नहीं आई। अगर कोई रूल इस बारे में कोट कर सकें तो मैं जरूर गौर करूंगा लेकिन अब तक जो प्रैस्डिैंटस हैं उनमें यह है कि जब मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं तो उसके बाद कोई डिस्क ान नहीं होती।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, काल अटैं ान मो ान पर मिनिस्टर के जवाब के बाद मैंम्बर्ज को बोलने का मौका दिया जाता है। मैंने रूल तो नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने ऐसा होते देखा है।

श्री अध्यक्षः मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा होता होगा लेकिन अगर आप ऐसा कोई रूल कोट करें तो मैं जरूर गौर करूंगा।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, जब पंजाब में भी होता है और लोकसभा में भी होता है तो जो यहां पर कनवैं ान है उसको बदल दें और हाउस में स्टेटमैंट के बाद टाईम की इजाजत दे दें तो कोई हर्ज नहीं है।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, जब यह कनवैं ान पार्लियामैंट के अंदर भी है और हमारे साथ जो पंजाब असैम्बली है उसमें भी है तो आप भी अपने यहां इसकी इजाजत दे दें तो अच्छा रहेगा। इसमें रूल की कोई बात नहीं होनी चाहिए। It is the sense of the House.

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष: इसमें यह है कि अगर रूल्ज में स्पेसीफिकली अलाऊ हो या स्पसीफिक्ली डिस अलाऊ हो तो दूसरी बात है। If the rules are silent on the subject, then I havt to go by precedents. But if it is the general sense of the House and it is not prohibited under the rules, I will have no objection.

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रूल्ज के रूल 73, पेज 48, चैप्टर 15 में लिखा है :

"There shall be no debate on such statement at the time it is made." .... *(Interruptions)*

Mr. Speaker: The rule is very clear. It says that-

"There shall be no debate on such statement at the time it is made." .... *(Interruptions)*

Chaudhri Birender Singh: It is the time to give suggestions to the Minister concerned .... *(Interruptions)*

Mr. Speaker: My interpretation of this rule is that there can be not debate after the statement is made .... *(Interruptions)*

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, एक मिनट के लिये मैं एक अर्ज करना चाहता हूं If you could kindly allow me (Interruptions)

Mr. Speaker: Now a Minister may kindly move the motion under Rule 15. (Interruptions)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान में, मैंने सरदार लछमन सिंह जी से, जो कि मंत्री हैं एक सवाल पूछा था और आपने भी कहा था कि आपको उसका उत्त मिल जाएगा और अब फिर आज यह अधिवे ान समाप्त हो जाएगा। मेरे उस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पायेगा। मेरा प्र न वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में था ....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, मुझे याद है कि आपने एक सवाल पूछा था और सरदार लछमन सिंह जी ने आ वासन भी दिया था कि उस सवाल का जवाब दें देंगे। (ाोर)

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर क्वै चन हो तो मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैबर साहब मेरे से इस बारे में डिस्कस कर लैं।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, आपका सवाल किस विशय में था।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपको स्मरण करवा देता हूं। मैंने यह पूछा था कि सरकार ने जिलावार कितनी ऐसी स्कीमें वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में वर्ल्ड बैंक के तहत, स्टेट गवर्नमैंट के तहत व केन्द्र सरकार के तहत मंजूर की

हैं, इसका विवरण मुझे दें और उन्होंने यह कहा था कि कल परसों दे देंगे लेकिन उस वक्त सै ान पांच दिन की बजाये दो तीन दिनों में ही समाप्त करना पड़ा और इसीलिये वे इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाये।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, अगर वे किसी वजह से जवाब नहीं दे पाये तो मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करूंगा कि वे हफ्ते 10 दिन के अन्दर आनरेबल मैम्बर को जवाब दे दें।

आवाजेंः स्पीकर साहब, यह 6 महीने पहले का क्वै चन कैसे आएगा। अब इनको नया क्वै चन देना पड़ेगा। (ाोर)

Mr. Speaker: I have understood your point. Please sit down.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैम्बर साहब आज ही मेरे कमरे में आ जाएं, मैं इनको मुकम्मल लिस्ट दे दूंगा। मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।

(इस समय कई माननीय सदस्य उठ कर बोलने लगे) (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान से मेरी रिकवैस्ट है कि वे बैठ जाएं।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, मै। इस बारे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब सै ान

खत्म हो जाता है तो पिछली सारी कार्यवाही अपने आप ही खत्म हो जाती है। लाजमी नहीं होता कि पिछले सवालों का जवाब दिया जाए लेकिन अगर मैम्बर साहब कहते हैं तो वह लैटर लिखकर मंत्री महोदय को बता दें कि मेरा यह सवाल है, इसका जवब रह गया था, तो मंत्री महोदय उसका जवाब दे देंगे।

Mr. Speaker: Let me say something. I entirely agree with the Minister for Parliamentary Affairs. कि एक दफा सै ान जब खत्म हो जाता है तो पिछली कार्यवाही भी समाप्त हो जाती है लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं है Which prevents the Hon'ble Minister from supplying the information which an Hon'ble Member has asked for. There is nothing conficential in that information, therefore, I would request the Hon'ble Minister to provide the information which the Hon'ble Member has asked for.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर मेरे कमरे में 2 बजे के बाद आ जाएं, मैं उनका लिखित रूप में उनके सवाल का उत्त दे दूंगा या वे दिल्ली का पता बता दें, मैं उनको वहां पर भेज दूंगा। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सरदार साहब, आनरेबल मैम्बर भाायद आपके कमरे में न पहुंच सकें, उनको आप डिसपेच करवा दें या फिर आप मेरे माध्यम से उन्हें पहुंचा दें।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, स्वामी जी वह क्वै चन उनका लिख कर भेज दें तो मंत्री महोदय उनको उत्तर भेज देंगे— (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please, Swamiji if you could kindly sent me the question then we will forward it to the Hon'ble Minister.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर को अपना क्वै चन भेजने में क्या दिक्कत है ? मैं उनको आज ही उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः यह तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर साहब, यह सवाल तो सारे हाउस के सामने आना चाहिये था। अगर स्वामी जी को ही उत्तर भेज दिया गया तो फिर दूसरे सदस्यों को इसके बारे मैं जानकारी नहीं होगी। (ाोर) यह सवाल तो हाउस के सामने आना चाहिये ताकि सारे मैम्बरों की तसल्ली हो जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर इस क्वै चन को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा नोटिस दे सकते हैं, इसमें झगड़े की तो कोई बात नहीं है।

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर साहब, यह क्वै चन बड़ा जरूरी है, इसका जवाब तो यहां हाउस में ही दिया जाना चाहिये . .....

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, अगर आनरेबल मैम्बर इसके लिये दोबारा नोटिसदे दें तो फिर ये क्वै चन हाउस में ही आ जाएगा। (ाोर) मेरी समझ में नहीं आता कि इनको ऐसा करने में आपति क्या है ?

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं एक मिनट आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि रावी ब्यास के बारे में अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया, इसके लिये हम उनके बड़े ही म ाकूर हैं (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, no discussion is allowed. (Interruptions)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये ...... मैं डिस्क ान नहीं कर रहा। मैं तो सरकार को इस बारे में बधाई देना चाहता हूं कि वह अपने हिस्से के लिये कोि ा ा कर रही है लेकिन काल अटैन ान मो ान के बारे जो एक रूल है, वह भी आप लागू करें। पार्लियामैंट्री मिनिस्टर भी बे ाक इस पर जिद्द करें लेकिन कुछ ऐसे मसले हाउस में आ जाते हैं जो स्टेट के इंट्रैस्ट में बहुत आव यक हैं, लोगों की जिन्दगी से जिनका सम्बंध है, जैसे पिछली दफा आपने इस विशय पर इजाजत देकर हाउस को डिस्क ान का मौका दिया था, इसलिये इस मसले पर आप यहां पर डिस्क ान का मौका निकालें जिससे हम यह दिखा सकें कि हाउस का एक एक मैम्बर सरकार के साथ इस बात का सहायक है और लोगों के दिलों में इस बारे

में बड़ी तड़प है और वे सरकार को इस बारे में पूरी सहायता और सहयेाग देना चाहता हैं। स्पीकर साहब, इसमें टैनीकैलिटीज की कोई बात नहीं है, मेरी प्राथ्रना यह है कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देखिये चौधरी साहब, पहले पिछले से ाश्न में, मैंने खासतौर पर इस पर हाफ एन आवर डिस्क ान अलाऊ किया था। If there is anything then you can kindly further discuss it with me in my Chamber. Now, I would request the Hon'ble Minister for Parliamentary Affairs to move the motion under rule 15 (Interruptions)

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं खत्म कर रहा था, आपने बीच में रोक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सभा में भी ऐसी कनवैन् ान है कि मिनिस्टर की स्टैटमैंट के बाद उस पर डिस्क ान नहीं होगी लेकिन जिस मैम्बर की काल अटैन् ान मो ान हो वह एक दो इम्पोर्टैन्ट सवाल उस बारे में स्पीकर साहब की इजाजत से पूछ सकता है। (ोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं हमे ाा साहिबान को अकमोडेट करने की कोि ा ा करता हूं। but I am also bound down by the rules and regulations. If a thing is allowed withing the ambit of the rules and regulations, you can rest assured, I will always give due and full oppurtunities to the members (Interruptions)

Chaudhri Rizaq Ram: Sir, wer are grateful to the Hon. Speaker but (Interruptions)

Mr. Speaker: I will do everything to protect the rights and privileges of the Hon. Members of this House. (Interruptions)

Chaudhri Rizaq Ram : We are very much grateful to you. स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लीडर आफ दि हाउस और लीडर आफ दि अपोजी ान आपस में बैठकर एक मीटिंग बुला लें और इसका रास्ता निकाल लें।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, जब आपने रूलिंग दे दी कि मिनिस्टर की स्टेटमैंट के ऊपर कोई डिस्क ान नहीं होगी, तो ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इन को बार बार बोलने की जो इजाजत आप दे रहे हैं यह मुनासिब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप सीनियर और एक्सपीरिएंस्ड पार्लियामैंटेरियन हैं। I would request you kindly to reseme your seat.

चौधरी रिजक रामः डिस्क ान के मायने क्या हैं, बहुत से लोग इस हाउस में यह भी नहीं समझते। (व्यवधान)

चौधरी देवी लालः * * * * * (व्यवधान)

वि ोशाधिकार प्र न–

रेडियो, प्रैस तथा टैलीविजन पर सदस्यों के भाशण के प्रसारण संबंधी

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, कल इस हाउस में सुबह और भााम दो सिटिंग्ज हुई और इन में डिमांडज के अलावा 4 बिल भी डिस्कस हुए। एक मो ान के जरिए पांच एजीटेटर्ज को हाउस ने सजा भी दी है। इस सारी कार्यवाही के बारे में आल इंडिया रेडियों के हिन्दी और पंजाबी के प्रादे ाक समाचारों में कोई रिफलैक ान मौजूद नहीं है। हाउस में जिन जिन मैम्बरों ने डिस्क ान में हिस्सा लिया, उनकी प्रोसीडिंग का कहीं जिक्र नहीं है। इसके बरअकस, जो एजीटेटर्ज हैं .... (डा0 मंगल सैन की तरफ से विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ है क्योंकि यह एक सीरियस बात है और जनसंध के पास यह महकमा है। (विघ्न)

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। जो कुछ भी इन्हौंने कहा है, इसमें हामरे हाउस की कोई जुरिस्डिक ान नहीं है। आल इंडिया रेडियो के बारे में इन्होंने जो कुछ जो कुछ भी कहा है यह हमारी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं हो सकता। It has nothing to do with this house.

Mr. Speaker: I do no understand what has the All India Radio or the gentlemen of the Press to do with this House. They do not come under the Vidhan Sabha. How can I or any other Member instruct them to report the proceedings of the House or not to report the proceedings in a particular manner ?

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, रेडियो आपकी जरिस्डिक ान में है, प्रैस भी आपकी जुरिस्डक ान में है। (व्यवधान) आप दो मिनट मुझे सबमिट करने दीजिये।

Mr. Speaker: I do not subscribe to that.

चौधरी राम लाल वधवा: एमरजैंसी में ये इनकी जुरिस्डिक ान में थे लेकिन ये हमारी जुरिस्डिक ान में नहीं हैं, हमने तो प्रैस को, आका ावाणी का आजादी दे दी है। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, प्वायंट आफ आर्डर के जरिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। लैजिस्लेचर की जुरिस्डिक ान तीन सब्जैक्टस पर होती है। तीन लिस्टें हैं, एक टेस्ट लिस्ट, एक कंकरैंट लिस्ट और एक यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर जो विशय हैं उन पर हाउस डिस्क ज्ञन नहीं कर सकता, प्राईवेट मैम्बर एक रिकमैंडेटरी रैजोल्यू ान ला सकते हैं। मैं इस विशय पर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि जबकि आल इंडिया रेडियो न तो स्टेट लिस्ट पर है और न कंकरैंट लिस्ट पर है, इन इालात में क्या आल इंडिया रेडियो हाउस में डिबेट का सब्जैक्ट बन सकता है ?

Mr. Speaker: It is quite clear to me that as far as the question of the proceedings beings reported by the All India Radio or any other media is concerned, the Vidhan Sabha has got no jurisdiction thereon. If any thing is published in a derogatory manner, action can be taken. But if they are not adequately covering or not publishing sufficient

news according to some Hon. Members then, it is certainly not whithin our jurisdiction to ask them to publish them in a particular manner.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हम कह रहे हैं कि इसमें प्रिविलेज का मामला इन्वाल्वड है। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, यह डिस्क ान प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं रह सकती।

Mr. Sperker: I will just read out the ruling which says that no breach of privilege is involved if a member's speech has not been covered in full or has been covered in a summary form ini the Press or over the Radio or T.V. It is also not a breach of privilege if a particular speech is not covered as adequately as other speeches, or is not given prominance.

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
*

Mr. Speaker: Nothing will be recorded. It is expunged.

श्री भाम ोर सिंहः * * * * (व्यवधान)

Mr. Speaker: I can only say that this morning, I read the 'Tribune' and the whole matter was fully reported in that.

श्री भाम ोर सिहः * * * * (व्यवधान)

Mr. Speaker: All this will be expunged. (Interruptions) No thing will be recorded. *

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: I would request the Hon. Minister to move the motion under Rule 15.

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the times of business fixed for to day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the times of business fixed for to day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the times of business fixed for to day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Hon. Minister may move the motions under Rule 16.

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Finance Minister (Shri Preet Singh): Sir, I beg to lay on the Table the Audit Report of the Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1977 as required under section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1978

Finance Minister (Shri Preet Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1978.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Shri Mool Chand Jain: Deputy Speaker Sahib, I want to speak on this Bill.

Mr. Deputy Speaker: Alright. But let me move the motion first.

Mr. Deputy Speaker: Alright. But let me move the motion first.

Mr. Deputy Speaker: Motion move-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो यह बिल ग्रांटस की भाक्ल में पास हो चुका है लेकिन चूंकि कुछ प्वायंटस यहां पर रेंज किये गये हैं और जो प्वायंटस कल उठाये गये थे उनके बारे में मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया उसके ऊपर मैं चंद मिनट के लिये आप की इजाजत से थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कई बार जब

सै ान हुआ यह कहा कि मैम्बर्ज हाउस में जो प्वायंटस उठाते हैं उनका अगर मिनिस्टर साहेबान जवाब दे दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक प्वायंट तीसर हजार की ग्रांटस का था जो इस सप्लीमैंटरी बजट के अनुसार तीन म्यूनिस्पिल कमेटीज को दी गई। इन कमेटियों के नाम हैं रोहतक, सिरसा और डबवाली। मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं उससे सारे हाउस की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई है। यह जो एडहाक ग्रांट देने का तरीका है यह बिल्कुल गलत है। कोई पालिसी सरकार की तरफ से निर्धारित होनी चाहिए कि हम म्यूनिसिपैलिटीज को किस तरीके से ग्रांट दें, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी छोटी हो दरमयानी ाहे या बड़ी हो। कोई प्रिसींपल निर्धारित हो, हाउस से पास करोयें, कैबिनेट से प9ास करायें और उसे चाहे चीफ मिनिस्टर अनाउंस करें या लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मिनिस्टर करें कि हमारी यह पालिसी है। हम इसको सामने रखते हुए ग्रांट देंगे। कोई पालिसी लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मिनिस्टर ने नहीं रखी कि हमारी यह पालिसी है और इस पालिसी के मुताबिक यही तीन म्यूनिस्पिल कमेटीज आती हैं। इसलिये हमने उसके मुताबिक इनको ग्रांट दे दी। और म्यूनिस्पिल कमेटीज चूंकि इस पालिसी की जद में नहीं आतीं इसलिये ग्रांट नहीं दी। तो डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा हाउस में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह एडहाक डिसीजन देने की जो रीत है यह बिल्कुल गलत है और एडहाक तरीके से जिसको चाहे, या जिस किसी म्यूनिसिपैलेटी को चाहे ये पैसा दे दें यह बिल्कुल गलत

तरीका है। डैमोक्रेसी की कोई भी कनवैन्‍ ान इस बात की इजाजत नहीं देती। डैमोक्रेसी में प्रिंसिपल्ज तय होते हैं। अगर म्यूनिस्पिल कमेटी को ग्रांट देनी है तो सिद्धान्त तय हों और उन सिद्धान्तों के अन्‍;दर जो भी कमेटी आती है, कवर होती है उसको ग्रांट दी जाए, न आती हो तो न दी जाए। कोई सिद्धान्त यदि तय होंगे तो हाउस देख सकता है कि गवर्नमैंट ने किसी सिद्धान्त का उल्लंघन तो नहीं किया। आज हम क्या निर्णय करें ? आज हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि रोहतक म्यूनिसिपैलेटी को जो दस लाख रुपया दिया गया वह ठीक दिया गया या गलत दिया गया, कैसे तय कर सकते हैं कि सिरसा की म्यूनिसिपैलेटी को जो दस लाख रुपया दिया गया वह ठीक दिया गया या गलत दिया गया। इसलिए मेरी गुजारि ा है और मै। कड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि एडहाकइज्म हमारी सरकार को भाोभा नहीं देता और डैमोक्रेसी की कनवैं ाज जो हैं वे इस बात की इजाजत नहीं देती।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह फ्लड रिलीफ के बारे में है। मैंने कल भी अपनी सरकार की इस बात के लिए सराहना की और आज भी दोहराता हूं कि फ्लड रिलीफ के मामले लमें जितना अच्छा काम पिछले साल हुआ और इस साल भी किया गया उसका पिछली कोई भी सरकार मुकाबिला नहीं कर सकती लेकिन मैंने इस सम्बंध में कुछ प्वायंटस भी उठाए थे। मैं उम्मीद करता था कि हमारे रैवन्यू मिनिस्टर साहब उसका जवाब देंगे। लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज भी अगर वे

जवाब दें दे तो बड़ी कृपा होगी। मैंने अपने हल्के के चार गांवों के नाम लिए थे। उन चार गांवों की इस वर्श भी बचने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि न तो वहां कोई ट्रक जा सकता है और न ही कोई और चीज जा सकती है। भाायद कि ती जा सके लेकिन कि ती चार हजार आदमियों को जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकती है। इसलिए उन गांवों तक सड़क बनाने का प्रबन्ध किया जाए वरना अगले साल भी अगर फ्लड आ गया तो एक आदमी भी वहां से बचा कर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि जैन साहब ने जो बात कही है इस पर विचार करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः उन्होंने नोट तो कर लिया था।

श्री मूल चन्द जैनः उपाध्यक्ष महोदय, नोट कर लेने से अगर आपकी तसल्ली होती है तो ठीक बात है लेकिन मैं समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है। (विघ्न) मैं इस बात को बड़े जोर के साथ हाउस में कहना चाहता हूं कि यह हाउस अपने मिनिस्टर साहेबान से उम्मीद करता है कि मैम्बर्ज यहां जो प्वायंटस उठाएं, उनको वे नोट करें। अगर कोई प्वायंट गलत है तो कहें कि गलत है। अगर मामला विचाराधीन है तो कहें कि साहेबान इस मसले पर विचार कर रहे हैं और विचाराधीन नहीं है तो कहें कि इस बारे में हम अपने महकमें से रिपोर्ट लेंगे और जो भी उचित कार्यवाही हो सकती होगी, करेंगे। (विघ्न) लेकिन मैं तो एक बुनियादी सवाल उठता हूं कि वे चार गांव ऐसे हैं कि अगर अब सैलाब आ जाए तो

कोई सरकार उन चार गांवों के मैरून्ड विलेजर्ज को निकाल नहीं सकती। वह हमारे करनाल जिला का काला पानी है। (विघ्न) मैंने फ्लड के बारे में, जो हरद्वारी लाल कमेटी बनी थी, उसको भी लिख कर दिया था। (विघ्न)

राजस्व मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): आपने गलत जगह लिख कर दिया। (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बड़ी अजीब सी बात कहीं कि मैंने गलत जगह कर दिया। (विघ्न)

ठाकुर बीर सिंह: आज भी आप गलत जगह पर कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों में से हूं जो गलत जगह पर नहीं कहते। (विघ्न)

ठाकुर बीर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जैन जी की इन्फर्मे ान के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं। मैंने इसलिए गलत कहा क्योंकि ये बार बार मुझे रैफर कर रहे हैं कि रैवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि फ्लड रिलीफ की आईटम तो मेरे पास है लेकिन रोडज और ड्रेनेज के निर्माण की बात दूसरे मिनिस्टर के पास है। इस काम के लिए सारा पैसा उनके पास चला जाता है। इसलिए इसा बारे में ये उनसे पूछें।

श्री मूल चन्द जैनः फ्लड रिलीफ के तहत सिरकी और अनाज आदि देने का प्रबन्ध तो आप करते हो।

ठाकुर बीर सिंहः फौरी रिलीफ मैं देता हूं, पर्मानैंट रिलीफ मैं नहीं देता।

श्री मूल चन्द जैनः गाड़ी अगर गांव तक जा न सके और लोग वहां से निकाले न जा सकें तो इस चीज का प्रबन्ध भी तो सरकार ने करना है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि साढ़े सात करोड़ रुपये के करीब सरकार फ्लड रिलीफ के लिए खर्च करने जा रही है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि फार्मर्ज को, जो खेती करने वाले लोग हैं कोई वि ोश रिलीफ इस सप्लीमैंटरी बजट में नहीं है। जिन भाईयों के मकान गिरे हैं वे आम तौर पर लैंडलैस हैं। उनको तीन तीन सौ रुपया फ्री घर देने का फैसला किया गया है। लेकिन फार्मर्ज के लिए हमारी सरकार ने जो एलान किया था कि उनके कर्जे जो उन्होने ट्रैक्टर्ज और टयूबवैल्ज आदि के लिए दिये हुए हैं वे इस मौके पर वसूल नहीं होंगे बल्कि अगली फसल पर वसूल होंगे। कल भी मैंने कोआप्रे ान मिनिस्टर को बताया था कि वह कर्जा बराबर वसूल हो रहा है। इसके बारे में मैं कई बार लिख चुका हूं और जबानी तौर पर भी कह चुका हूं लेकिन कहा जाता है कि रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ रूकावट है। मैं नहीं समझा कि रिजर्व बैंक की तरफ

से क्या रूकावट है ? अगर रूकावट है भी तो उसका इलाज हो सकता है। किसानों की फसलें मारी गई हैं। उन्होंने आशाढ़ी की फसल बो रखी है। अप्रैल में जब वह आ जाएगी तो वे कर्जा दे देंगे। लेकिन कोआप्रेटिव इंस्पैक्टर उन्हें बार बार तंग करते हैं। लैंड रैवन्यू के तौर परये कर्जे वसूल किये जाते हैं। आप जानते कि लैंड रैवेन्यू की वसूली में क्या कुछ होता है। उनकी बेइज्जती की जाती है। वह एक किस्म से हमारी बेइज्ज्ती होती हे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की बेइज्जती होती है। वे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे यहां एलाचन किया था कि किसानों के कर्जे अगली फसल पर वसूल किए जाएंगे। क्या आज चीफ मिनिस्टर का कहना नहीं माना जाता, एम0एल0ए0 का कहना नहीं माना जाता ? अगर यह बात है तो * * * * * ? क्या है इस चीज का जवाब ? किसान बार बार हमारे से इस बात का जवाब मांगता है। (विघ्न) आप मेरे सामने लाएं रिजर्व बैंक की हिदायतों को। सरकार करोड़ों रुपया कंटिनजैंसी फंड से खर्च करती हैं। क्या इस काम के लिए उसमें से खर्च नहीं हो सकता ? हो सकता है, और अप्रैल मई में जब किसान की फसल आ जाए तो उससे यह कर्जा वसूल किया जा सकता है। यह बात नहीं होनी चाहिए कि फलां फलां रूकावट है इसलिए नहीं कर सकते। मैं इस बात का नापसन्द करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो यकीन देहात में जाकर, जलसों में जाकर हमारे मिनिसटर साहेबान और चीफ मिनिस्टर साहब दिलाएं उस पर हमारी सरकार को अमल करना चाहिए चाहे कुछ भी रूकावट उसमें आ जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैंने और उठाई थी और मैंम्बरों ने भी उठाई थी कि तीन तीन सौ रुपये में मकान नहीं बन सकते। इसका उत्तर यह दिया जा रहा है कि बैंकों को कहा गया है कि वे लोगों को पांच पांच हजार और दस दस हजार रुपये की कर्जे दें। जब पूछा गया कि कहां कहां कर्जे दिए गए हैं तो दो जिलों के आंकड़े देकर चुप हो गए। जब मैंने कहा कि करनाल जिले में कितना कर्जा दिया है तो कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे पता है कि बैंक के कर्मचारी गरीब लोगों से कोआप्रेट नहीं करते। हालांकि हरियाण सरकार जामन बनी हुई है। सरकार ने कह रखा है कि अगर गरीब आदमी कर्जा नहीं देगा तो हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी गरीब आदमी को बैंक, मकान बनाने के लिए पांच हजार या छः हजार की रकम देने को तैयार नहीं है। अमीर आदमियों के लिए तो हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। कल भी मैंने कहा था कि फाइनैं ाल कारपोरे ान जिसकी आडिट रिपोर्ट फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रखी हे, उसका छः करोड़ रुपया हरियाणा के उद्योगपतियों के पास है। पांच छः वर्श से वह पैसा बकाया पड़ा कर भाग गया। उसने न वह पैसा ही वापिस किया और नही उसका कोई सूद आदि दिया। पिछले सै ान में उद्योगपतियों के लिए बिल पास किया था कि लाखों रुपया बिना सूद के हम कर्जा दे सकते हैं लेकिन गरीब किसानों को नहीं दे सकते।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): कल तो आपने करोड़ों कहा था परन्तु आज आप लाखों कह रहे हैं

श्री मूल चन्द जैन: मैं इस बिल के बारे में कह रहा हूं। जो बात हमने इसी हाउस में पास की थी कि उनसे बिक्री टैक्स वसूल करने के लिए कर्जा दे सकते हैं। गरीबों के लिए इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है। जिनकों कर्जा मिल रहा है उनको सीमेंट और ईस्टें नहीं मिलेगी। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार कोई ऐजन्सी मुकरर्र करे जैसे केरल सरकार ने स्कीम बनायी है वैसी ही हमारी सरकार को बनानी चाहिए। मेरा यह सुझाव है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें हाउस के सामने उठाई है, उनका जवाब सरकार देगी।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं विनियोग बिल पर कुछ बातें रखना चाहता हूं यह 8 करोड़ 27 लाख 18 हजार रुपये का है। इसमें से 3 करोड़ 97 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए रखा गया है।

वित्त मंत्री (श्री प्रीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, जो साहब पहले बो चुके हैं वे दोबारा टाईम न लें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सब को दो दो मिनट का टाईम दिया है।

स्वामी आदित्यवे ा: पिछली बार हमारी सरकार ने स्वीकार किया था कि बाढ़ से हरियाणा में 114 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। इतने बड़े नुक्सान को देखते हुए यह 3 करोड़ 97 लाख रुपया सप्लीमैंटरी डिमान्ड में जो दिया जा रहा है यह किसानों के लिए एक मजाक सा है। ऊंट के मुख में जीरे वाली बात है। इतने बड़ै नुक्सान को पूरा करने के लिए यह बहुत ही थोड़ी योजनायें बनायी जा रही हैं परन्तु हमारा गांव का चौकीदार आज भी उसी तनख्वाह प0र अपना गुजारा कर रहा है उसकी तनख्वाह में कोई बृद्धि नहीं की जा रही है। उसको न वर्दी दी जाती है और न ही और सुविधायें दी जा रही हैं। हम यहां पर सै ान अटैंड करने के लिए आते हैं हम सरकार से टी0ए0 और डी0ए0 लेते हैं लेकिन उस चौकीदार को केवल 55 रुपये दिये जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आगामी बजट से प्रावधान कर दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रयास करेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार की ओर से भूस्वामियों को मुआवजा दिया गया है। उन गरीब किसानों के हाई कोर्ट में मुकद्दमा किया तब जाकर यह उनको मुआवजा दिया है लेकिन मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बहुत सारी ड्रेन्ज ऐसी पड़ी हुई हैं जिनकी खुदाई हो चुकी है परन्तु अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। मैं उन ड्रेंज के नाम हाउस के साने बताना चाहता हूं। नूंह तहसील में ड्रेन नम्बर 22 है उसका मुबावजा नहीं

दिया गया। इसी प्रकार से कोन्ची ड्रेन में मालपुर गांव है। कोटबहीन नाला है। गुड़गांवा नहर से 178 बुर्जी पर एक नाला निकाला है जिसमें घुरावली, टोका ि ाका ावा गांव की जमीन आती है लेकिन उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन गांवों के लोग जब सरकार पर मुकद्दमा चलायेंगें तब उनको वह पैसा मिलेगा। आपको पता है मुकद्दमा चलाने में सरकार का कितना अपव्यय होता है और उन गरीब किसानों का भी अपव्यय होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों का रुपया सरकार की तरफ बकाया है उसका तत्काल भुगतान किया जाये।

सरकार ने बहुत अच्छा काम बाढ़ पीड़ितो के लिए किया है और भविश्य में भी कर रही है। हमारे गुड़गांवा जिले में उजीना ड्रेन पर काफी काम चल रहा है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ड्रेन से सम्बन्धित जो 70/72 ड्रेनें खोदी जायेंगी, अगर वे ड्रेंज इस साल में न खोदी गई तो उस ड्रेन के बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। जगह जगह पर इतने बड़े डिप्रै ान हैं जहां पम्प हाउस बनाना निहायत ही जरूरी है। आपको भली प्रकार से मालूम है क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जैसे चैननी, कोट, कोटला, आलुका, बहीन वहां पर 10 और 12 फुट तक पानी जमा हुआ है, अगर इन लिंक ड्रेनों में पम्प हाउस सरकार ने नहीं बनाये तो उस बड़ी ड्रेन का कोई लाभ नहीं होता। जैसे मैडकोला

डिप्रै ान के पानी को डिस्चार्ज करने के लिए अगर 105 बर्जी पर पम्प हाउस नहीं बनाया गया तो कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से धतीर के पानी को डिस्चार्ज करने के लिए धतीर में पम्प हाउस बनाना जरूरी है। औरंगाबाद मितरोल के पानी को ड्रेन आउट करने के लिए डिघोट ड्रैन पर कंजऐ के पथ पर पम्प हाउस बनाना जरूरी हैं तीस साल से गुड़गांव जिला इस बाढ़ के कारण से तबाह होता रहा है, अगर यह लिंक ड्रेन बनाई गई और पम्प हाउस न बनाये गये तो इनती बड़ी ड्रेन खोदने का कोई लाभ नहीं होगा और जो काम किया जा रहा है वह अधूरा समझा जायेगा।

इसी प्रकार से बाढ़ से खादर के बहुत सारे गांव तबाह हो गये। सरकार ने यह घोशणा की थी कि जिन गांवों में पानी भर जाता है उनको बाहर दूसरी जगहों पर बसाया जायेगा लेकिन अभी तक सरकार ने उन उजड़े हुए गांवों को बाहर बसाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया है। वैसे तो जमना के खादर में ऐसे सैंकड़ों गांव आते हैं लेकिन पलवल तहसील में दो तीन गांवों का नाम आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्होंने सरकार को बार बार लिख कर दिया है और मैंने भी सरकार को बार बार अपील लिख कर की है जैसे राजुपुर, दोश्पुर भोलड़ा आदि ये गांव बाहर बसना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में सरकार ने अभी कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अगर सरकार इनको बाढ़ से बचाना चाहती है तो तत्काल इनको बसाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी पुलिस काफी अच्छा काम करती है लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि कई बेगनाह लोगों को मेवाल क्षेत्र में पुलिस द्वारा दंड़ित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर किकुवाड़ी गांव के नत्थी वावरिया चौकीदार को पलवल की पुलिस न नाजायज तंग किया उनसे रुपया लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया। आखिर गरीब बावरियों को क्यों सताया जाता है ? पिछले दिनों सरकार ने भाराब बन्द कर दी थी लेकिन बडे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जिन पंचायतों ने सरकार को रैजोल्यू ान पास करके दिया कि हमारे गांव में भाराब का ठेका न खोला जाये परन्तु फिर भी वहां पर भाराब का ठेका खोल दिया गया है। बाद ाहपुर गांव में एक नवम्बर से फिर से भाराब का ठेका चालू कर दिया है जब कि वहां की पंचायत ने रैजोल्यू ान पास कर के सरकार को भेजा हुआ है। इसी प्रकार नूंह में फिरोजपुर झिरका के अन्दर ठेका दोबारा चालू कर दिया गया है। सरकार जिस काम के लिए वायदा करती है उससे उसकी पीछे नहीं हटना चाहिए।

राव दलीप सिंह (कनीना): डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो एप्रोप्रिए ान बिल हमारे सामने हैं इस पर पहले भी बहुत सारे साथी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, मैं भी सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। फ्लड रिलीफ के तहत सरकार ने जो मदद की है वह जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की। हरिजन लोग जिन के मकान बारि ा में बिल्कुल गिर गये थे या

दूसरे लोग जो बिल्कुल बेघर हो गये हैं उनका कोई वि ोश इन्तजाम सरकार की ओर से नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको जो कर्जा दिया गया है यह बिना ब्याज के दिया जाना चाहिए था।

चौधरी देवी लालः जो हरिजनों की चौपाल बनाई जा रही हैं, उनमें भी आप मदद नहीं कर रहे हैं।

राव दलीप सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब हम तो पूरा सहयोग दे रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा पूरा सहयोग है। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों फ्लड के कारण किसानों की जमीनें बिल्कुल बेकार हो गई है। उनमें मिट्टी डल गई है या खड्डे हो गये हैं जिसके कारण वे बिल्कुल बंजर हो गई हैं। वे पैदावार के लिए बिल्कुल बेकार हैं। जिन किसानों की दो या चार एकड़ जमीन थी वह तो बिल्कुल ही नाकारा हो गये हैं। उनके पास दूसरा कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन जमीनों का हमे ाा के लिए या कुछ सालों के लिए लगान माफ होना चाहिए और उन जमीनों को री क्लेम करने के लिए सरकार की तरफ से कर्जा दिया जाना चाहिए या कोई ट्रैक्टर आदि की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनकी जमीन ठीक हो सके।

मैं आपके नोटिस में यह भी बात लाना चाहता हूं कि हमारे यहां दोहन नदी ने जो कि महेन्द्रगढ़ जिले में बहती है,

लोगों की जमीनों को बिल्कुल बंजर बना दिया है। इसी प्रकार से कृशणा नदी से भी काफी नुकसान हुआ है। दूसरी नदी जो रेवाड़ी के पास से गुजरती है उससे भी काफी नुकसान हुआ है। उन गांवों की जमीन बिल्कुल खराब हो गई है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि फ्लड रिलीफ के तहत वे जमीनें ठीक करवाई जानी चाहिएं और उनको खास रिलीफ देने की आव यकता है ताकि वे आइन्दा अपने रोजगार का धंध कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में कुछ गांव हैं जिनमें नदियों के कारण पानी भर जाता है जैसे कि जंजड़ीयावास है, महेन्द्रगढ़ है माजरा कलां है, माजरा खुर्द है,बगड़ियाना है, लावन है, मालड़ा पाली है, आदिलपुर है। इसलिये सरकार कोई न कोई ऐसा प्रबन्ध करे ताकि इन नदियों का पानी इन गांवों में दाखिल न हो सके और यह गांव आइन्दा के लिये ठीक तरह से अपना गुजारा कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो म्यूनिस्पिल कमेटभ्ज को ग्रांटस दे रहे हैं, यह ग्रांटस दी जानी चाहिएं, मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन यह जरूर देखना चाहिए कि पहली प्रायरिटी किस म्युनिस्पिल कमेटी को मिलनी चाहिए। मैं खास कर सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो बैकवर्ड एरियाज की म्युनिस्पिल कमेटीज हैं और जिनकी हालत बहुत कमजोर है, उनको पहले ग्रांटस दी जानी चाहिए– जैसे महेन्द्रगढ़ की म्युनिस्पिल कमेटी है, वहां पर हरिजनों के मोहल्ले में पानी नहीं है। 5–6 साल से वहां पर वाटर सप्लाई का काम चल रहा है लेकिन हरिजनों के मोहल्ले में वहां पर अभी तक भी पानी नहीं है। पिछली दफा मैंने विधान सभा में एक

क्वै चन पूछा था तो सरकार ने यह जवाब दिया था कि हम जल्दी ही वहां पर पानी की सप्लाई करेंगे। एक साल होने के बाद भी वाटर सप्लाई का प्रबन्ध हरिजनों के मोहल्ले में नहीं किया गया है। मेरी यह प्रार्थना है कि जहां पर कमजोर कमेटियां हैं और जहां पर पानी की सप्लाई का काम हरिजनों के मोहल्ले में नहीं हो पाया है वहां पर यह सुविधा दी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं सरकार से यह कहूंगा कि पंचायतों के बारे में सरकार ने यह एलान किया था कि जो पंचायतें अनअपोज्ड आयेंगी, उनको हम 5–5 हजार रुपया देंगे। सरकार ने वह रुपया अभी तक भी पंचायतों को नहीं दिया है।

Mr. Deputy Speaker: The matter is under consideration. मैंने उनसे पूछा था।

राव दलीप सिंहः वह कब तक देंगे ?

श्री उपाध्यक्षः बहुत जल्दी ही मिल जायेंगे।

राव दलीप सिंहः मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पैसा सरकार को जल्दी रिलीज करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात मैं कहूंगा। हमारे यहां दादरी में सीमेंट फैक्टरी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 27 जनवरी से वह फैक्टरी बन्द हो जायेगी। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि सीमेंट फैक्टरी दादरी को सरकार जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में ले और उसको

नै ानेलाईज करे ताकि वहां पर जो वर्कर्ज हैं, उनका नुक्सान न उठाना पड़े। धन्यवाद।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक फ्लड की बात है, मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूं कि अगर एम0एल0ए0 ठीक ढंग से खड़ा हो जाये और उसके साथ अफसर ठीक ढंग से खड़ा हो जाये तो हरियाणा में फ्लड का नामो नि ाान नहीं रहेगा। मेरा तजर्बा यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा फ्लड अफैक्टिड एदिया मेरा हल्का किलोई था। मेरे हल्के से बढ़ कर किसी एरिया में फ्लड नहीं आया यह मैंने जाकर सारे हरियाणा में खुद देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पर थ्यरी ठीक से काम नहीं कर रही। वहां पर प्रैक्टिकल चीज चल रही थी। वह यह थी कि हमने ड्रेनें लोगां की कन्सैंट से बनायीं, वह ड्रेनें लोगों से भी खुदवायी। उसमें हमने भी काम किया और हमारे अफसरों ने भी काम किया। मैं यह समझता हूं 99 प्रति ात फ्लड का काम उसमें बिल्कुल हो गयां उसका कारण यह है कि लाज तो ठीक है लेकिन ला के पीछे जो इन्टे ान है, वह भी उसके साथ साथ ठीक होनी चाहिये। ला किसी कन्ट्री में गलत नहीं बनता, कन्ट्री के लोगों की इन्टैन ान खराब हो सकती है। इसलिये बदलना ला को नहीं है बल्कि बदलना है सबसे पहले हाउस के अन्दर जो एम0एल0एज0 हैं, उनकी इन्टैं ान को। बदलना ला को नहीं है बदलना है उस अटैं ान को जो ब्यूरोक्रेटिक म ीन लिये बैठी है। बदलना किसको है ? बदलना है

प्रैस को जिसकी इंडिया में डमोक्रेसी के अन्दर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप एप्रोप्रिए ान बिल पर ही बोलिये।

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे बोल तो लेने दीजिए। (व्यवधान व भाोर) तो मैं यह कह रहा था कि जो जो फंडामैंटल और बेसिक चीज है वह तो ठीक हैं लेकिन उसके साथ हमने 30 साल तक जो काम किया उसके पीछे इन्टैं ान ठीक नहीं थी। इसलिये देहात का किसान और मजदूर मारा गया। इसलिये 30 साल तक जो थ्यौरी रही है उसे प्रैक्टीकल भोप दी जानी चाहिए। Theory is a theory and unless it is put into practice, it remains useless. I want that the theory must be put into practiec. ला में जो अमैंडमैंट अब आ रही है, वह ठीक अमैंडमैंट आ रही है। वह चेंज जरूर होनी चाहिए मैं अन्त में यही कहूंगा कि अगर चेंज करना है तो इन्टैं ान को चेंज करें, मैंबरों की इन्टैं ान को चेंज करो, प्रैस को चैंज करो। धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो पहले भी बोल चुका था, लेकिन आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपकी बहुत मेहरबानी। मैं केवल एक दो तोड़ की बातें कहना चाहता हूं जिनके बारे में मैं यह चाहूंगा कि सरकार यहां पर ही एलान करे। पहली बात मैं यह कहूंा कि सरकार सड़कों के ऊपर गलत पैसा खर्च कर रही है। जहां पर

जरूयरत है, वहां पर तो खर्च नहिं कर रही और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर यह पैसा खर्च कर रही है। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब, यहां पर बैठे हुए हैं, अभी अभी इन्होंन कालका से चंडीगढ़ तक एक सड़क मंजूर की है, वह गलत मंजूर की है क्योंकि वह कस्बा तो पहले ही सड़क से जुड़ा हुआ है। देहातों में जहां पर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, वहां पर औरतों और बच्चों को बहुत तंगी होती है, उन्हें बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ता है। बड़ी भारी तकलीफ है। मैं आपके जरिये सी0एम0 साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को कैंसिल किया जाये। उन्होंने उसमें यह रीजन दिया है कि चंडीगढ़ से लोगौं को पिंजोर तक आने जाने में आराम ही जायेगा। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है डिप्टी स्पीकर साहब, कि जिसका नाम किसान और मजदूर सरकार रखा हुआ है। उसके कारनाम देखकर दिल धड़क जाता है और सिवाये सरमायेदारों के और कोई नजर आता ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं, ठाकुर बीर सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे महाराणा प्रताप की तरह बहुत तगड़े आदमी हैं। इन्होंने मेरी तहसील में जाकर यह एलान किया था कि अगली फसल तक यानि 6 महीने तक तमाम गरीबों और किसानों के जितने कर्जे, तकावी और कोई या लगान के हैं, वे माफ किये जाएंगे लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि वहां के जो मुलाजिम हैं, उनको बेचारों को यह हिदायत दी गयी है कि किसानों से सारा मालिया इकट्ठा कर लिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, आज

किसानों की सरकार है। मेरा वह इलाका और खास कर पाई का और कैथल का हल्का जिसके नुमायन्दे गोयल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, जिनके यहां लगातार 3–3 फसलें मारी गयी हैं। उनका मालिया लगातार पोस्टपोन होता रहा है, अब तीनों लगान, तीनों मालिये इकट्ठे लिये जा रहे हैं। ठाकुर बीर सिंह से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने जटौली गांव में एलान किया था कि वह नहीं लिया जायेगा, उसको अमल करवाइये। आज लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करके, उन बेचारों की जमीनें गिरवी रखवाकर जेवर गिरवी रखवा कर, बर्तन गिरवी रखवा कर उनसे मालिया वसूल किया जा रहा है। यह बड़ी बुरी बात है। मैं आपके जरिये सी0एम0 साहब, से यह कहना चाहता हूं, हो सकता है वे अपने कमरे में बैठे हुए सुन रहे हों, कि वे इसी वक्त इस बात का एलान करें कि बैंकों के कर्जे, तकावी और तीनों फसलों का मालिया 6 महीने के लिये और पोस्टपोन कर दिया जाये। जब नयी फसल आये, तब उनसे वह वसूल कर लिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गलत काम हो रहा है, वह न किया जाये क्योंकि यह फिजल का पैसा खर्च किया जा रहा है, इसको बन्द किया जाये। 30 लाख रुपये जो कि म्युनिस्पिल कमेटीज को दिया जा रहा है, वह नहीं यिा जाना चाहिये। आपको पता है कि म्युनिस्पिल एक्ट बना हुआ है। आप एडवोकेट हैं, आपको पता है कि उस एक्ट के तहत देहात से या जो सामान बाहर से भाहर में आता है, उस पर टैक्स लगता है। लाखों रुपया उनके पास जमा पड़ा है। लेकिन देहातों के खून

पसीने की कमाई का पैसा म्युनिस्पिल कमेटियों पर खर्च करना गलत काम है। यह बात आपकी पार्टी के मैनीफैस्टों के भी खिलाफ है। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और यह प्राथना करता हूं कि इस बिल को रिजैक्ट किया जाये और पास न किया जाये।

श्रीमती भाांति देवी (कैलाना): उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐप्रोप्रिए ान बिल पर बहस चल रही है। हमारी सरकार बधाई की पात्र है जिसने कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में तीन सौ रुपए फ्री फैमिली के हिसाब से फौरी मदद की। आज तक किसी भी सरकार ने इतनी जल्दी और इतनी अधिक मदद लोगों की नहीं की जितनी कि जनता सरकार ने की है। लगभग सभी लोगों को यह तीन सौ रुपया मिल चुका है अगर कहीं बेईमानी हुई तो वह केवल सरपंच की वजह से हुई है। बाकी हमारी जनता सरकार ने पूरी कोि ा ा की है कि हर बाढ़ ग्रस्त परिवार को तीन सौ रुपए दिए जाएं। दूसरे एक रजाई और कम्बल देने का भी प्रयास किया है। किन्तु मेरे भाई मूल चंद जी ने एक बात सदन के ध्यान में लाई है और मैं भी बताना चाहती हूं कि कल चैधरी राम लाल वधवा ने बताया था कि अम्बाला में डी0सी0 ने खुद जाकर अपने सामने लोगों को कर्जे दिलवाए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि अम्बाला जिले में ऐसा हुआ है। मैं समझती हूं कि केवल अम्बाला में ही ऐसा क्यों किया गया है ? इस प्रान्त में दस और भी जिले हैं जहां पर गरीबौं को कर्जा दिया जाना चाहिये। मेरा आधा हल्का बाढ़ ग्रस्त रहा है। स्वयं हमारे मुख्य मंत्री वहां गए थे और उन्होंन एक रजाई

औ तीन सौ रुपए फ्री फैमिली को देने का वचन दिया था। उस समय मैंने उनके सामने एक ठोस बात रखी थी कि सी0एम0 साहब चाहे आप इन गरीबों का ततीन सौरुपया न दें लेकिन एक पक्का कोठा बनाने के लिये कंट्रोल रेट पर ईंटें और सीमैंट दिलवा दें और पांच हजार के करीब कर्जा दिलवा दें तो यह गरीब लोग उस पांच हजार को आसान किस्तों में सरकार को अदा कर देंगे। किन्तु मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि इतना सुंदर सुझाव जब सरकार की समझ में आ गया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। मैं बताना चाहती हूं कि आज भी वे लोग केवल पन्द्रह रुपए की सिरका की अंदर अब खुले आसमान के नीचे सिर छिपाए पड़े है। सरकार वहां जाकर खुद देख सकती हे। एक परिवार के अंदर दस व्यकित हैं वे एक सिरकी में एक रजाई में कैसे रह सकते हैं। कितनु दुःख की बात है कि मेरी सरकार आज तक उनको कर्जा नहीं दिलवा सकी। बैंकों से कर्जे की बात कही जाती है लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि बैंक वाले गारंटी मांगते हैं। इस बारे में मैंने अपने यहां के डी0सी0 से बात की थी और उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हल्का गन्नौर पंजाब नै ानल बैंक को अलाट कर दिया है ललेकिन जब भी कोई आदमी कर्जा लेने जाता है तो वह गारंटी मांगते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जिसके पास कोई जायदाद नहीं है, कोई जमीन नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह बैंक की गांरटी कैसे दे सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर वाकई वह गरीबों को कर्जा देना चाहती हूं तो जो गारंटी

देने वाली बात है उसको खत्म किया जाये। (व्यवधान) मेरी इस बात को मजाक में न लिया जाए। मैं बड़ी सीरियसली यह बात कह रही हूं। जहां मेरी यह सरकार और अच्छे कदम उठा रही है वहां यह कदम भी उठाना चाहिये कि कर्जे के लिये गारंटी की भार्त को खत्म कर दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंटरी बजट में दस दस लाख रुपया तीन कमेटीज को मंजूर किया गया है। मुझे पता नहीं कि ऐसी क्या आफत थी जो इन्हीं तीन कमेटीज को यह रुपया दिया गया है या इसके पीछे क्या कहानी है क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यह मुझे पता नहीं है। मेरे अपने हल्के गन्नौर के अंदर पक्की नालियों का कोई प्रबन्ध नहीं है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़के टूटी पड़ी हैं और उन पर वाहनों का गुजरना बड़ा मुि कल की हालत बहुत खराब है। सड़कें टूटी पड़ी हैं और उन पर वाहनों का गुजरना बड़ा मुि कल है। मेरा कहना है कि अगर इन छोटी छोटी रोडज पर सरकार ध्यान दे तो कोई बुरी बात नहीं है। सरकार ने इन्हीं तीन को पहले नम्बर पर रखा है, ठीक है। हमें किसी से कोई ि ाकवा ि ाकायत नहीं है। इस बात का हमें कोई खेद नहीं है कि इनको पहले क्यों रखा गया है लेकिन ऐसे भी जिले हैं या ऐसे भी ऐसे भी हल्के हैं जो काफी पिछड़े हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मुझे ऐसा लगता है कि भाायद मंत्रीगण अपने अपने हल्कों के अंदर लगे हुए हैं। वे केवल अपने हल्कों की तरफ ध्यान रख रहे हैं। मैं जनता सरकार से कहना चाहती हूं कि मंत्रीगण अपने हल्कों के अंदर लिपटे हुए हैं ....

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री लोग इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में चौदह पुल मंजूर हो चुके हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है कि मंत्री लोग अपने हल्कों में लगे हुए हैं

श्री भाांति देवीः आपके हल्के में बना रहे होंगे लेकिन तो मैं अपने हल्के की बात कहना चाहती हूं और न सिर्फ अपने हल्के की बल्कि सारे जिले की बात कहना चाहती हूं कि हमारे यहां सड़कौं की हालत काफी खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार कहती है कि यह सरकार किसानों की सरकार है और मजदूरों की सरकार है और मेरी सरकार ने साढ़े बारह रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत फिक्स कर दी। मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं लेकिन मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि क्रै ार पर किसान का गन्ना दो रुपया और अढ़ाई रुपया बिक रहा है। सरकार ने क्रै ार पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। चीनी मिल में अमीर आदमी का गन्ना लिया जाता है गरीब आदमी का गन्ना नहीं लिया जाता है। जब गरीब आदमी अपनी गाड़ी भरकर ले जाता है तो उसको कहा जाता है कि चार रुपया कीमत मिलेगी। जब वह क्रै ार पर जाता है तो कहा है कि दो रुपया दूंगा। मैंने एक गाड़ी की नीलामी होते हुए खुद देखी है। उस किसान ने गांव के अंदर गाड़ी को खड़ी कर दिया और कहा कि मैं दो रुपए प्रति क्विंटल नहीं बेचूंगा चाहे यह गन्ना मुफ्त में चला जाए। पांच मिनट के अंदर उस गाडी के अंदर

एक भी गन्ना नहीं बचा था। पब्लिक मीटिंग के अंदर कोआप्रे ान मिनिस्टर से मैंने प्रार्थना की थी और उन्होंन आ वासन दिया था कि मैं चीफ मिनिस्टर से बात करके आप को बताऊंगा लेकिन उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे इंपोरटैंट मामलों में तुरंत निर्णय लेना चाहिये।

श्री फतेह चंद विज (पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, आज ऐप्रोप्रिए ान बिल पर बहस चल रही है लेकिन मेरा विचार है कि अगर इसको ऐप्रोप्रिए ान बिल न कह कर मिस ऐप्रोप्रिए ान बिल कहा जाये तो गलत नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें डिमांड नंबर 11 अर्बन डिवैल्पमैंट की है और इसमें तीस लाख रुपया तीन म्युनिसिपल कमेटीज के लिये दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाऊन है जिसके अन्दर बहुत सारी छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। पानीपत चालीस करोड़ का फोरेन ऐक्सचेंज दे ा के लिये कमा कर देता है। पानीपत का बना हुआ माल वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होता है। लेकिन इस भाहर को अगर देखें तो पता लगेगा कि यहां कितनी गंदगी है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में तीस बत्तीस लाख रुपया एक लेक के नाम से अपनी जेब भरने के लिये लूटा गया और भाहर में डिवैंल्पमैंट का काम पिछले तीन चार साल से नहीं हुआ है। सात आठ महीने पहले चीफ मिनिस्टर को बुलाया था और सवाल किया था कि इस भाहर का यह हाल क्यों है ? यहां पर गंदगी है। इसके अलावा जब भी फारेनर्ज आते हैं और उनको

वहां इंडस्ट्रीज दिखाई जाती है तो रास्तें में वे अपनी नाक के आगे कपड़ा रख लेते हैं और इंटीरियर में जो इंडस्ट्रीज हैं वे तो इस गंदगी के कारण उनको दिखाई भी नहीं जाती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा। (हंसी)

12.00 बजे

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपको ये साहिबा कहते हैं तो फिर लहरी सिंह क्या है ? (हंसी)

श्री फतेह चंद विज: डिप्टी स्पीकर साहब, यह डिसक्रिमीने ान नहीं होनी चाहिये। ऐसी म्युनिसिपेलीटीज, जिनकी हालात अच्छी न हो और जिनको कांग्रेस सरकार ने भी लूटा हो, उनकी तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये और उनके साथ पैसे के बंटवारे के बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसलिये अपनी जनता सरकार को रिक्वैस्ट करूंगा कि जब म्युनिसिपेलटभ्ज को पैसे बांटने की बात आये तो पानीपत की तरफ खास ध्यान दिया जाये। इसके साथ साथ मैं यह भी रिक्वैस्ट करूंगा कि लोगों को पीने के पानी की भी बड़ी बठिनाई है, इस ओर भी सरकार को अव य ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों की कठिनाईयों को दूर किया जा सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया (बावल–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बड़ा धन्यवाद। मैं कल से बोलने के लिये खड़ी हो रही हूं और आपके आज समय दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मैं अपने हल्के से संबंधित कुछेक बातों की ओर अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। बावल हल्का को एक नई तहसील बनाया गयाहै पर वह न तो तहसील ही रही है और न ही पंचायत का कोई काम कर पा रही है। "धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का" वाला हाल हो रहा है क्योंकि न तो वहां पर सड़कें हैं न ही पानी के निकास के लिये नालियों का प्रबंध किया गया है। पता नहीं सरकार को कब उस हल्के पर रहम आएगा। कुछ दिन हुए मंत्रीगण वहां पर गये थे और उनकी गाड़ियां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गर्मियों के दिनों में जब बरसात होती है तो उस वक्त उस इलाके का बहुत बुरा होता होता है आऐर कई दफा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता। हमारे आनरेबल मैम्बर ठाकरान साहब स्वयं वहां गये थे और यह सब कुछ अपनी आंखों से देख आये हैं। वहां पर जो पुराने कुएं हैं, उनका गंदा पानी लोग पी रहे हैं, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर पक्की खालों का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि जैसे उसने कई म्युनिसिपैलीटीज को 30–30 लाख रुपये की ग्रांट दी है, उसी प्रकार ऐसी म्युनिसिपैलीटीज की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिनके हल्कों में सड़कें नहीं, नालियां नहीं, पीने के लिये स्वच्छ पानी

नहीं। अगर सरकार ऐसे इलाकों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मेरे विचार में सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों का जीवन भी सुधरेगा। लोग गंदा पानी पीने से बचेंगें और इस कारण से लोगों में बिमारियां भी कम होंगी। मुझे पूर्ण आ ाा है कि सरकार मेरे हल्के की तरफ जरूर ध्यान देगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने अभी जो यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों के मकान ढ़ह गये हैं उनको 300–300 रुपये की ग्रांट दी जाएगी, यह बहुत अच्छी बात है पर सरररकार के लिये सोचने की बात तो यह है कि आजकल के वक्त में जबकि महंगाई गगन को चूम रही है। इस छोटी से 300 रुपये की राि ा से किसी का मकान कैसे बन सकता है ? तो मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि सरकार जब कोई ऐसा विचार करे तो उसे हर पहलू से हर प्वायंट से, सोचा जाए और लोगों की तकलीफों को समझा जाए ताकि गरीब हरिजनों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। धन्यवाद।

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, कितनी बार खोलने के लिये खड़े होना पड़ेगा। आप कह दीजिये कि 20 बार खड़े होने पर आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। सुबह से मैं

खड़ी हो रही हूं, पर बोलने के लिये समय ही नहीं दिया जा रहा है। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, आप एक तरीका बना लीजिये कि जो आनरेबल मैम्बर इस पर पहले नहीं बोले उनको सबसे पहले समय दिया जायेगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, हमें तो समय मिला ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः मैं आनरेबल मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि सभी टाईम का ध्यान रखें और थोड़ा थोड़ा बोले ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके।

मास्टर ि ाव प्रसाद (अम्बाला भाहर): डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने सबसे पहले जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। वह किया कि उसने अपने बजट का 80 परसैंट रुपया देहातों के ऊपर, देहातों की डिवैल्पमैंट के लिये और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये रखा है। यह बहुत ही अच्छा सराहणीय कदम है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि भोश जो 20 परसैंट पैसा है उसमें से जो अम्बाला भाहर की डिवैल्पमैंट के लिये छोड़ा है वह बहुत थोड़ा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हरियाणा के अन्दर जो बाढ़ आई और इस वर्श भी कई जिलों में बाढ़ के कारण बड़ा नुक्सान हुआ लेकिन भोश जिलों की निस्वत अम्बाला

जिले को ज्यादा नुक्सान पहुंचा है और अम्बाला भाहर जो है वह तो पहले ही बरसाती नदियों के बीच बसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब चण्डीगढ़ से हरियाणा की तरफ जाएं तो अम्बाला हरियाण का प्रवे ा द्वार है और उसके बाद ही हरियाणा प्रदे ा के द र्ान होते हैं लेकिन इस बाढ़ में टांगरी और घग्घर नदियों के कारण मोहल्लों और बस्तियों में पानी भर गया और कोई मोहल्ला, बस्ती ऐसा नहीं था जहां पर पानी न भरा हो। इस कारण लोग भाहरों में नहीं जा पाए बल्कि यहां तक हालात बिगड़ चुके थे कि उन लोगों तक रा ान वगैरह भी नहीं पहुंचाया जा सकता था। रा ान पहुंचाने के लिये कोई साधन नहीं थे। घग्घर नदी अम्बाला भाहर के साथ साथ लगती जा रही है जिसके कारण अम्बाला भाहर को बहुत क्षति पहुंचती रहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसलिये मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से तीर म्युनिस्पैलीटीज को 30–30 लाख रुपया बांटा गया है उस तरीके से अम्बाला को नहीं दिया गया। इसलिये यह अम्बाला के साथ बड़ा अन्याय है। डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला भाहर की हालत बहुत खराब है, अम्बाला भाहर टूटा फूटा है। 1966 में जब हरियाणा बना तो तीन महीने के अंदर अंदर यहां की कमेटी को सुपरसीड कर दिया गया कि इससे गंदा भाहर हिन्दुस्तान में और कोई नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तीन म्युनीसीपैलटरीज के लिये 30–30 लाख रुपये की रा ा निर्धारित की गई है। वहां अम्बाला भाहर की म्युनीसिपैलीटी के साथ जो कि हरियाणा का प्रवे ा द्वारा है, सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है, यह कोई

उचित बात नहीं है। यह दिसम्बर का महीना दो तीन दिनों के अंदर खत्म होने वाला है लेकिन आज भी वहां पर स्थिति ऐसी है कि लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है जिसके कारण भाहरी डिवैल्पमैंट रूकी रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, जनता सरकार ने सबसे पहले यह नारा दिया था कि हरियाणा के लोगों को और इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा, इसलिए सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिये।

इसके सासथ साथ मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस और भी आकर्शित करता हूं कि इस इलाके की सड़कों की हालत भी बहुत बुरी है इस तरफ भी सरकार को अव य ध्यान देना चाहिये क्योंकि जो लोग भाहर से दूर बस्तियों में रहते हैं उनको आने जाने का कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस कारण लोगों को आने जाने की बड़ी दिक्कत है। इसलिये सरकार को सड़कों को बनवाने में भी प्राथमिकता देनी चाहिये। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आने मुझे बोलने का समय दिया।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर– अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, हर एक एम0एल0ए0 ने अपने हल्के के बारे में बातें कहीं, मैं भी आपके द्वारा अपने हल्के के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप हरियाणा के ऊपर बोलें।

कैप्टन मांगे रामः मैं हरियाणा पर ही बोलूंगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, हरियाणा में फ्लड रिलीफ बहुत अच्छा दिया है। फ्लड के दिनों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि झज्जर के इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आई। गांव रतनथाल, खैडी होसडर, करोडा, भिंडावास, भााहजैनपुर, बिलोचपुरा , काहन्वा और कायलपुरी में अब भी पानी खड़ा है और कि तयां चलती हैं। आई0पी0एस0 साहब ने फ्लड को देखते हुए सुबाना गांव में यह एलान किया था कि चीफ इंजीनियर को 10 दिन के अंदर यहां पर पोजी ान असैस करने के लिये भेजेंगे ताकि यह पानी ड्रेन नं 8 में डालकर इन इलाकों को तबाही से बचाया जाए। पता नहीं इंजीनियर आया है या नहीं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि घुरावांड़ा गांव से सिलाई गांव तक का पानी ड्रे नं0 8 में डाला जाए ताकि रिवाड़ी झज्जर रोड के आस पास के इलाके को तबाही से बचाया जा सके। इस इलाके को दो साल लगातार तबाह होते हुए हो गये हैं। ड्रेन नं0 8 में पानी डालने से यह सारा पानी धांसा बांध में डल जाएगा और सारी प्रौब्लम हल हो जायेंगी। लेकिून मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने इस तरफ क्या कदम उठाए हैं। रतनथाल गांव के लोग झोंपड़ियों में पड़े है, उनकी रिहैबिलिटे ान का इंतजाम सरकार अव य करें, उनको काम धंधा दे ताकि उनका गुजारा हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि केवल डेढ़ मील का रोड़ का टुकड़ा है जिसको बनाने की जरूरत है। यह सड़क अगर रिंग रोड़ बन जाए तो रतना गांव तबाही से बच सकता है। फौजी आदमी जब छुट्टी पर आते हैं तो सर पर अपना बिस्तर उठा कर इस पानी में से निकलते हैं और उनको बड़ी कठिनाइ का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार यह रिंग रोड़ बना दे तो रतना गांव बच जाएगा दूसरे फौजी जवानों को सुविधा हो जाएगी।

अब मैं वाटर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। गुडिआनी गांव में खारा पानी है, लोग पानी पी नहीं सकते। अगर सरकार वहां पर वाटर सप्लाई का बन्दोबस्त कर दे तो लोग बड़े भाुक्रगुजार होंगे। इसी तरह से झज्जर सुबाना रोड सिर्फ 6 मील का टुकड़ा है, इस रोड़ पर बस नहीं चलती। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इस रोड़ को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कृपा करें। झज्जर में म्युनिसिपल कमेटी है, काफी बड़ा सब डिविजन है और रोहतक जिले की सबसे बड़ी तहसील है लेकिन इसकी म्युनिसपैलिटी की हालत बहुत खराब है। झज्जर का सीवरेज सिस्टम बेकार हो गया है, स्ट्रीट लाइटस, रोडज बहुत खराब हालत में हैं। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इस म्युनिसिपैलिटी को सहायता देकर इसकी हालत को ठीक करें। इसी तरह से डा0 मंगल सैन जी ने एलान किया था कि झज्जर को बैकवर्ड इलाका घोशित किया जाएगा ताकि वहां पर इंडस्ट्री

खोली जा सके। यह इलाका इंडस्ट्रियल प्वायंट आफ व्यू से बैकवर्ड है। मेरी आपसे गुजारि ा है कि इसको बैकवर्ड घोशित किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और बेरोजगार लोग अपना गुजारा कर सकें। धन्यवाद।

चौधरी पीर चन्द (रतिया– अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ....

श्रीमती सुशमा स्वराजः आप मुझे बोलने का टाईम ही नहीं देते। मुझे बोलने का अधिकार है, अब नहीं बोलूंगी तो थर्ड रीडिंग पर मुझे अधिकार है बोलने का ....

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी सीट पर जा कर बोलें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः यह सीट खाली थी, इसलिये बैठ गई थी।

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी सीट पर से ही बोल सकती हैं।

चौधरी पीर चन्दः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाईम दिया है, इसके लिये आपका धन्यवाद। मैं अपने हल्के की कुछ तकलीफात आपके सामने और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। कई मंत्री महोदय बैठे हैं, मुझे लगता है कि उन तकलीफात को हल करने में उनका असुविधा तो जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है। यह ठीक है कि जनता पार्टी की सरकार बहुत काम कर रही

है, बड़ी एडवासं चल रही है। यह ठीक है कि जनता पार्टी की सरकार बहुत काम कर रही है, बड़ी एडवांस चल रही है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे मैं अपने इलाके में आए हुए फ्लड के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मैंने मंत्री महोदय से कहा था भाायद उनका ध्यान इस तरफ होगा, मैंने उनको बताया था कि जाखल के पास बहुत ज्यादा फ्लड आया है। लोगों की फसलें नश्ट हो गई। आज तक न तो उनको रिलीफ मिला और न ही उनकी कठिनाईयों का प्रबन्ध हुआ। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जितना दूसरे इलाकों में फ्लड से नुक्सान हुआ है। उससे कहीं ज्यादा नुक्सान इस इलाके में हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका कारण मैंने मुख्य मंत्री को बताया था जब वे जाखल–रतिया में गये थे। मैंने बताया था कि वहां रंगोई नाले के नाम से एक न9हर बनी हुई है जिसकी खुदाई न होने के कारण वह बन्द पड़ी है। पानी आगे नहीं जाता और एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिससे सैलाब आता है और उस इलाके की तबाही करता है। अगर रंगोई नाले की खुदा कर दी जाए तो लोगों को आराम होगा, हजारों एकड़ जहां रेतीला इलाका है वहां इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है ....

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः आनरेबल मैम्बर रंगोई नाले के बारे में बोल रहे हैं, मैं उनको अ योरैंस देना चाहता हूं कि सरकार उसका इन्तजाम कर रही है।

चौधरी पीर चन्दः रतिया–जाख का इलाका ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा के बार्डर पर लगता है और घग्घर नदी इसमें से गुजरती है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाका है। इसमें म्युनिसिपल कमेटी तो है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस म्युनिसिपल कमेटी को ग्रांट दी जाए ताकि लोगों की हालत को सुधारा जाए। वहां पर होस्टल वगैरा की कोई सुविधा नहीं है, लोग बहुत तंग हैं। वहां पर बिजली की बहुत कमी है जिसके कारण उस एरिया के टयूबवैल बंद पड़े हैं और दुकानदारों को भी बड़ी परे ाानी है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर 33 के0वी0 का पावर हाउस बनाया जाए ताकि बिजली की कमी दूर हो सके।

(इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य चौधरी खुर ीद अहमद पदासीन हुए)

श्री सभापतिः बिजली के बारे में कोई प्वायंट नहीं है, कोई रैलेवैंसी नहीं है, आप त ारीफ रखिए। मैंबर साहिबान, कल कुछ मैम्बर साहिबान बोल चुके हैं और आज मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी इस डिस्क ान में पार्ट ले सकें, इसलिये टाईम लिमिट रख दी जाए तो ठीक रहेगा। I suggest that three minutes should suffice.

Voices: Yes.

Mr. Chairman: There will be a time limit of three minutes. And I would request the hon. Members to be relevant only to the items mentioned in the Appropriation Bill and they should not make it a general discussion on the budget and discuss everything.

स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): चेयरमैन साहब, डिस्क ान का जवाब भी देना है, इसका भी ध्यान रखें।

श्री सभापति: इसी लिये 3 मिनट का टाईम फिक्स किया है। Chaudhari Peer Chand Ji, please be relevent on the Appropriation Bill (Interruptions). Please take your seat (Interruptions)

(At theis stage many members rose to speak.)

Mr. Chairman: Please take your seats. I have called upon Mr. Lehri Singh.Mr. Lehri Singh!you can speak for three minutes only .... (Interruptions) .... Please take your seats. Please continue, Mr. Lehri Singh.

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर –अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है।

चौधरी लाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जो बिल अभी आ रहा है उस पर बोलने के लिये आप मुझे भी टाईम दें।

श्री सभापतिः आप बैठिए, यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा : सभापति महोदय, ऐप्रोप्रिए ान बिल हाउस के सामने पे ा है। इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो बड़ी खु ी की बात है कि 30–30 लाख रुपया कुछेक म्युनिसिपल कमेटीज को दिया गया है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे मामले में पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं रादौर, लाडवा और बबैन की बात करूंगा। वे आज इस तरह से इग्नोर हो गए हैं कि आज अगर वे वाटर सप्लाई स्कीम के 10–20 हजार रुपए भी भरना चाहें तो नहीं भर सकते। सभापति महोदय, रादौर और बबैन की मंडी में कम से कम 10 करोड़ रुपये की फसल आती है। इसकी वजह से आप आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी फीस मार्किट कमेटी को आती होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि गवर्नमैंट को इस तरह से डिसक्रिमिने ान नहीं बरतनी चाहिए बल्कि उस हल्के की डिवैल्पमैंट के लिये ज्यादा से ज्यादा पेसा खर्च किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मेरी सरकार से एक और प्रार्थना है। इस साल जो बाढ़ आई उसको देखने के लिये आदरणीय मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कितने गांव वहां डूब गए थे। आज भी लोग वहां नीले आका ा

की छत्तरी के नीचे बैठे हैं। उनके पास घर नहीं है। तीन तीन सौ रुपये की जो ग्रांट मिली वह उनके खाने पनी में खर्च हो गयी। इससे भी बड़ी मुि कल से उनका पन्द्रह बीस दिन गुजारा चला। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां सरकार ने इतना इंतजाम किया, पक्की पकाई रोटियां और चारा भेजा, वहां यह लोगों को मकान बनाने के लिये लोन भी जल्दी से जल्दी दिलाएं। मुख्य मंत्री जी एलान करके आए थे कि बैंक से पांच हजार रुपए एक आदमी को दिलाए जाएंगे लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन लौगों को बसाने के लिये सरकार बैंकों से जो लोन दिलवाना चाहती है वह जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त मैं स्कूल्ज के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। आज स्कूल्ज की बहुत बुरी हालत है। मैंने पिछले सै ान में भी कहा था कि बरसात के अन्दर सारे बच्चे बाहर बैठते हैं। मेरे हल्के में तो कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसकी छत्त टूटी हुई न हो। सारा पानी नीचे आता है।

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि मंडियों से जो इन्कम होती है वह मंडियों के ऊपर ही खर्च की जाए। (विघ्न)

श्री सभापतिः यह ऐप्रोप्रिए ान बिल है। इसमें मंडीज का जिक्र नहीं है। (विघ्न)

श्री लहरी सिंह मेहरा : सभापति महोदय, मैं तो यह प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस प्रकार तीस तीस लाख रुपया दूसरी म्युनिसिपल कमेटीज को दिया गया उसी प्रकार रादौर और बबैन की म्युनिसिपल कमेटीज को भी दिया जाए। (विघ्न)

Mr. Chairman: Mr. Lehri Singh please wind up your speech. (Interruptions) Mr. Lehri Singh your time is over. You please take your seat. (Interruptions)

(At this stage many members rose to speak.)

Mr. Chairman: I would request all the Honi. Members to make it a point to start their speech when they are called upon. Please do not waster your time like this. (Interruptions)

Shri Jai Narain: Chairman Sahib .... (Interruptions)

Mr. Chairman: Mr. Jai Narain, you would get your chance. Please let the others finish (Interruptions) Shri Devi Dass would speak now and he would get only three minutes.

श्री देवी दास (सोनीपत): चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूं मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे आगे से या तो यह खम्बा हटा

दिया जाए या हमें खम्भे से आगे बैठा दिया जाए। मेरा तो सुझाव यह है कि जितने भी नए एम0एल0एज0 आए हैं उनके लिये आगे यानि मिनिस्टरों से पीछे सीटें लगा दी जाएं ताकि वे हाउस की कार्यवाही में अच्छी प्रकार से भाग ले सकें।

अब मैं डिमांड नं0 11 पर बोलना चाहता हूं। यह खु ी की बात है कि तीन म्युनिस्पिल कमेटीज को पैसा दिया गया है। सिर्फ तीन ही म्युनिस्पिल कमेटीज को ही पैसा क्यों दिया गया है इसका कारण मंत्री महोदय ने बताया कि ये वहां गए थे और इन म्युनिस्पिल कमेटीज की हालत इन्होंने खराब पाई थी। मंत्री महोदय सोनीपत में भी आए थे ओर इन्होंने वहां भी कहा था कि सोनीपत भाहर की हालत खस्ता है। इसलिये इसको सरकार की तरफ से पैसा दिलाएंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज से पांच साल पहले सोनीपत के लिये एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये की पानी की योजना बनी थी। वहां पाईप खरीदे गए, कुएं बनाए गए लेकिन रुपया न होने के कारण वह योजना वैसी की वैसी पड़ी है। इससे बड़ा नुक्सान हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि सोनीपत म्युनिस्पिल कमेटी को रुपयचा देकर वहां की पानी की योजना को पूरा कराएं। आज हालत यह है कि मेरे हलके के 25 गांवों के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पानी खारा है। सोनीपत भाहर का पानी भी खारा है। (विघ्न) कुछ लोग कहते हैं कि भाहर के अन्दर देहात का पैसा खर्च नहीं हो सकता लेकिन मैं उनको

बताना चाहता हूं कि सोनीपत की म्युनिस्पिल कमेटी में बसने वाले अधिकतर मजदूर हैं। वहां मजदूरों की लगभग 20 कालोनियां हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा फैक्टरी एरिया है। इसलिये इन बस्तियों को उचित सुविधाएं दिलाने के लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सोनीपत म्युनिस्पिल कमेटी को भी यह ग्रांट दी जाए। (विघ्न)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हुऐ।)

श्री सभापतिः श्रीमती सुशमा स्वराज।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति जी मुझे अफसोस से यह बात कहनी पड़ती है कि जो बात सदन में केवल एक दो मिनट में कही जा सकती है उस बात को कहने के लिये समय मांगने हेतु घंटों तक प्रयत्न करना पड़ता हैं इसके लिये मैं सुझाव दूंगी कि जो भी बिल चर्चा के लिये आए उस पर बोलने वालों के नाम पहले ही से मंगवा लिया करें। (विघ्न)

Mr. Chairman: Sushma ji, Rules of Procedure of this House can not be varied like this. You can speak on this Bill if you want. (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराजः लोक सभा में यह रूल है। उसमें इतनी सुविधा हो जाएगी कि जिना समय चर्चा के लिये रखेंगे वह पूरा प्रयोग हो सकेगा। आप समय को स्पीकर्ज में बांट दीजिए और समय होने पर चेतावनी की घंटी बजा दें ताकि हर सदस्य अपने समय पर समाप्त करें।

श्री सभापतिः हाउस ने तय किया है कि हर मैम्बर को तीन मिनट का टाईम मिलेगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः सभापति महोदय, मैं कल अनुमान मांगों पर चर्चा कर रही थी तो मैंने आपके सामने गुजारि ा की थी कि मांग संस्था 4, 11 और 16 पर बोलना चाहती हूं। अभी मैं मांग संख्या चार पर बोल ही रही थी कि गिलोटीन अप्लाई हो गया और मुझे बैठना पड़ा और मेरी बात बीच में ही अधूरी रह गई। सभापति महोदय, मुझे एक बात पर बड़े अफसोस के साथ टिप्पणी करनी पड़ रही है कि मंत्री महोदय जब हमारे सवालों का जवाब देते हैं तो कुछ ऐसा इम्प्रै ान क्रियेट करने की कोि ा ा करते हैं कि सवाल उठाने वाला सदस्य बिल्कुल असत्य और निराधार बात कर रहा था। मैं आपके सामने एक बात का उदाहरण देती हूं कि कल मैंने अनुपूरक मांग चार पर चर्चा करते हुए सरकार के राहत कार्यों की सराहना करते हुये अपने हल्के के बारे में ि ाकायत की थी कि मेरे हल्के अम्बाला छावनी में किसी भी आदमी को अभी तक 300 रुपये नहीं मिले लेकिन रैवैन्यू मिनिस्टर जब यहां सदन में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस सदन में आंकड़े रखें कि 998 लोगों को कर्जा मिला है और अम्बाला में जो तकावी का पैसा दिया गया है वह सबसे ज्यादा दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह गुजारि ा करना चाहती हूं कि मेरा यह सवाल नहीं था। मेरी तो स्पैसिफिक ि ाकायत करे अपने हल्के के बारे में थी और केवल

मात्र इतनी थी कि वहां पर तीन तीन सौ रुपया अभी तक नहीं बांटा गया है। मैंने कोई पक्षपात का इल्जाम नहीं लगाया था कि सरकार ने अम्बाला जिले का पैसा नहीं दिया। मंत्री महोदय ने 998 के आंकड़े जो दिये हैं, ये अम्बाला जिले के हैं। अगर अम्बाला छावनी के आंकड़े उनके पास नहीं हैं तो मैं बता देती हूं। अम्बाला छावनी में केवल 56 लोगों को कर्जा मिला है। मैंने कल यह नहीं कहा था कि वहां पर कर्जा नहीं बंट रहा है। मैंने तो एक ही बात कही थी कि तीन सौ रुपये किसी को नहीं मिले। रैवेन्यू मिनिस्टर साहब इस बात को मानेंगे कि अभी तक एक भी आदमी को नहीं मिला है। लेकिन इस सदन में वह इस ढंग से रखी गई क सारे सदन के सदस्यों का यूं लगा कि मैं गलत बात कह रही थी। वही बात हाउसिंग बोर्ड के सिलसिले मैं कही। लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मिनिस्टर ने कहा कि जब यह स्कीम बनी थी तब मैं हाउसिंग मिनिस्टर थी। उस स्कीम के बारे में कुछ नहीं देखा कि जमीन ली गई है या नहीं ली गई केवल मात्र एप्लीके ानज मांग ली गई। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि कोई भी स्कीम चालू करने से पहले हाउसिंग बोर्ड पहले जमीन खरीदेगा या पहले आपकी डिमांड देखेगा। अब सवाल पैदा होता है कि डिमांड कैसे देखी जायेगी, डिमंड देखने के लिये पहले एप्लीके ान्ज मांगेंगे। अगर एप्लीके ांज न मांगें और हाउसिं बोर्ड तीस या चालीस एकड़ जमीन ले ले और मकान बनाने के काम 10 एकड़ आये तो ज्यादा जमीन खरीदने का क्या लाभ हो सकता है। कोई भी स्कीम बनाने से पहले वहां एप्लीके ांज मांग कर यह जज किया जाये कि

कितनी एप्लीके ान्ज आयी हैं, उसके मुताबिक कितनी जमीन की आव यकता पड़ेगी, तब जाकर नगरपालिका को जमीन के लिये लिखा जाये। इसी प्रकार से यह स्कीम बनाई गई, फिर हमने नगरपालिका को जमीन के लिये लिखा उसमें यह कहना कि मेरे समय में यह स्कीम बनायी गई थी तो यह कौन सा गुनाह हो गया थां

श्री सभापतिः आप वाइंड अप कीजिए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः इसी तरह मांग नंबर 11 है। उसके ऊपर मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि यह जो पैसा दिया जा रहा है, यह दिया जाना चाहिये। मैं किसी कमेटी के बारे में मुखालफित नहीं करती। (विघ्न) लेकिन नगरों को भी पैसा देना चाहिये। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः मेरे कहा था कि मैं फाईल मंगा करके विचार कर रहा हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैंने आपकी बात सुन ली है लेकिन जो आपने कहा है मैं उसका जबाव दे रही हूं। नगरपालिका को जहां तक ग्रांट देने का सवाल है, वह देनी चाहिये। हमें गांवों को तो प्राथमिकता देनी चाहिये लेकिन नगरों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिये। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिये ताकि पैसा देते वक्त हमें कोई आर्थिक आधार तो रखना चाहिये। किसी आदमी के मन में यह भावना न आये कि

जो यह पैसा दिया गया है, यह पक्षपात के कारण से बांटा गया है। इसका आर्थिक आधार जरूर होना चाहिये। मैं ि ाव प्रसाद जी की इस बात की ताईद करती हूं कि अम्बाला भाहर को भी पेसा मिलना चाहिये। अम्बाला भाहर की म्युनिस्पिल कमेटी के पास लोगों को तनख्वाह देने के लिये भी पैसा नहीं है। हांसी म्युनिस्पिल कमेटी की भी यही हालत है। इसलिये म्युनिस्पिल कमेटी को जो पैसा दिया जाये वह आर्थिक आधार पर दिया जाये।

एक बात मैं मांग नंबर 16 के बारे में कहूंगी कि सरकार की ओर से राश्ट्रीय लघु उद्योग पर 9 लाख 99 हजार रुपए खर्च किया गया। मैं इस पैसे के बारे में मुखालफित नहीं करती क्योंकि इस मेले में सभी राज्यों के लोग आते हैं इसलिये हरियाणा को भी हिस्सा लेना चाहिये। इन मेलों के माध्यम से दे ा की प्रगति की झलक मिलती है लेकिन मैं उद्योग मंत्री जी के नोटिस में एक बात लाना चाहती हूं कि जब मैं स्वय ंयह राश्ट्रीय लघु उद्योग मेला देखने के लिये गई तो मैं जान बूझ कर वहां फोन करके नहीं गई थी। मुझे यहां यह बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि उस मेले में नीचे से लेकर ऊपर तक पैवैलियन के अंदर कोई भी गाईड नहीं बैठी थी। मुझे वहां पर यह पूछना पड़ा कि यहां पर कौन गाइड है ? अंत में एक लड़की आई, उस लड़की का व्यवहार इतना रूढ़ था, कठोर था वह मुझसे पूछने लगी कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं। जब मैंने उसको अपना

नाम बताया तो कहने लगी कि मुझे आपकी पहचान तो कर लेने दीजिए। सवाल यह नहीं है कि कोई वहां मंत्री या एम0एल0ए0 जाये तो उसके साथ व्यवहार ठीक हो और अन्य के साथ ठीक न हो। सवाल तो यह है कि ऐसे मेल में जिनसे हमारे प्रदे ा की छवि बनती है। उसके बारे में उद्योग मंत्री महोदय से इल्तजा करूंगी कि भविश्य में इस बात का ध्यान रखा जाये कि वहां पर जो भी गाईड लगाई जायें वह मोस्ट पोलाइट हो ताकि सरकार की छवि अच्छी बन सके।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब आज मुझे भी कुछ टाईम मिलना चाहिये। (विघ्न)

Mr. Chairman: You had your say yesterday. Let others speak today first. If there is time, you will get it.

Rao Birender Singh: He is the only independent Member and represents a separate group. He must be given time.

Mr. Chairman: Time is common to all. Every member has to be given an opprotunity.

Rao Birender Singh: He represents independents.

Mr. Chairman: He cannot be won over like this.

श्री भागी राम (एलनाबाद– अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। दो चार मिनट में ही अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इन डिमांडज में सिरसा

म्युनिस्पिल कमेटी को दस लाख रुपया दिया गया है, इसलिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। चेयरमैन साहब, मैं मिनिस्टर साहब, के नोटिस में यह बात कई बार लाया हूं कि मेरे हल्के में रानिया कस्बा पड़ता है जो सिरसा से रानियां को बसें चलती हैं उन बसों की बहुत ही खराब हालत है। सवारी को यह पूछने की आव यकता नहीं है कि यह बस कहां जायेगी। सवारियां केवल यह देख लेती हैं कि जिस बस के भी ो टूटे हुए है, खिड़कियां टूटी हुई हैं। उसी बस में सवारियां चढ़ लेती हैं, उनको पता होता है कि यह खराब बस ही उधर को जायेगी।

श्री सभापतिः यहां पर ट्रांसपोर्ट की कोई डिमांड नहीं है।

श्री भागी रामः हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो गांव सडक पर मिट्टी डालेगा, उसी सड़क को पक्का कर दिया जायेगां

श्री सभापतिः भागी राम जी आप बिल्कुल इररैलेवैन्ट बोल रहे हैं। इस बात का एप्रोप्रिए ान बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, मेरी कांस्टीच्युएंसी में दस गांव ऐसे हैं जिन गांवों के लोगों ने मिट्टी डाल दी है लेकिन अभी तक वहां पर पक्की सड़क बनाने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। वहां सी0एम0 साहब ने भी अनाउंस किया था कि

गुढान कटेसरा वाली सड़क जल्दी बनायीय जायेगी, अगर इस गांव के लोग मिट्टी डाल सकेंगे। उस गांव के लोगों ने मिट्टी डाल दी है परन्तु सड़क पर काम चालू नहीं हुआ। अगर सड़क नहीं बनानी थी तो वह एलान नहीं करना चाहिये था अगर उन्होंने एलान किया है तो उसे पूरा भी करना चाहिये और उन सड़कों को इम्मीजीयेटली बनाया जाये। उन सड़कों को फर्स्ट प्रैफरैन्स दिया जाये।

श्री सभापतिः अब आप वाइंड अप कीजिये। आप काफी इररैलेवैंन्ट बोल चुके हैं। अब आप वाइंड अप कीजिये।

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, एक मिनट में मैं अपनी बात कह कर अपना स्थान ले रा हूं। मेरे हल्के के अंदर ओटू से थोबड़िया तक की सड़क की तरह ही दो तीन सड़कें चौधरी बंसी लाल के टाईम पर मंजूर हुई थी। ....

श्री सभापतिः आप फिर इररैलवैन्ट बोल रहे हं।

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, बंसील लाल के टाईम पर यह सड़कें मंजूर हुई थीं और इसके लिये 16 लाख रुपये का एस्टीमेट मंजूर हुआ था। कम से कम तीस बार यह सड़क मंजूर हो चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से सड़कें मंजूर होती रहेंगी और कभी बनवाई भी जायेंगी ? मैं सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जो सड़कें कम से कम तीस बार मंजूर हो चुकी है लेकिन उनके बनवाने के लिये कभी पैसा नहीं दिया गया,

उन सड़कों को इम्मीजीयेटली बनवाया जाये। (घंटी) एक बात और कह कर मैं बैठ जाऊंगा।

Mr. Chairman: Please wind up now. You have already taken so many minutes. You please take your seat. (Interruptions)

श्री भागी राम: चेयरमैन साहब, हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि जो कांस्टीच्यूऐंसीज या जो डिस्ट्रिक्टस सबसे पीछै हैं, उनको फर्स्ट प्रैफरैंस दी जायेगी। मैं यह कह रहा हूं कि मेरी कांस्टीच्यूऐंसी में आज तक केवल 5 हाई स्कूल और 4 मिडल स्कूल हैं जबकि कई कांस्टीच्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें सारे के सारे हाई स्कूल हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के को भी इस मामले में दूसरी कांस्टीचयूएंसीज के मुकाबले में लाया जाए।

श्री जय नारायण (कलानौर–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मुझे आपने टाईम दिया और फिर ऐसे माहौल में उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नंबर 11 के ऊपर बोल रहा हूं। इस डिमांड में तीन म्युनिस्पिल कमेंटियों को 30–30 लाख रुपये दिये गये हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि बार बार यहां पर रोहतक कमेटी का नाम लिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि रोहतक एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है जिसकी गलियां और सड़कें टूटी हुई हैं। वहां पर गलियां और सड़कें इतनी खराब हुई पड़ी हैं कि वहां के लिये जो

पैसा दिया गया है, वह कम है, और रुपया देना चाहिये था। मेरा इलाका इतना बैकवर्ड है कि वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। एक बात मैंने मंत्री जी से कही भी हैं। मेरे इलाके में तीन चार गांव ऐसे भी हैं जहां पर पानी उनको डुबो देता है। जहां फसल हर बार मारी जाती है। वहां पर सोना उगलने वाली जमीन है लेकिन वहां पर आजकल बिल्कुल भी पैदावार नहीं हो रही है। वह सारे के सारे लोग एक आध किल्ला गिरवी रखकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं हाउस के जरिये इस सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वहां पर कोई न कोई रजवाहा निकाल दिया जाये। अभी तक वहां पर एक भी रजबाहा नहीं है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर गये थे और यह वायदा भी करके आये थे कि वहां पर एक रजबाहा जरूर निकलवा देंगे। उन्होंने यह वि वास दिलाया था कि वह जल्दी से जल्दी इस रजबाहे को वहां पर निकलवा देंगे। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह रजबाहा अभी तक भी वहां पर नहीं निकला है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वहां पर रजबाहे की जल्दी से जल्दी निकलवाया जाये। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा। हमारे किसान भाईयों को बड़ी तकलीफ है। हमारे आसपास के 25 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मंडी नहीं है। 25–30 किलोमीटर भिवानी वहां से पड़ता है। वहां पर आसपास कोई भी मंडी नहीं है। जो हमारे किसान भाई हैं, वे रात को जब वहां से चलते हैं तो कहीं सुबह जाकर मंडी पहुंचते हैं। इसलिये मेरी ये प्रार्थना है कि वहां पर एक मंडी जरूरर खोली जाये।

हरिजनों के बारेम में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो बताया है कि हम चौपालों की एक स्कीम चला रहे हैं यह एक बहुत बढ़िया बात हे, मैं इसकी ताईद करता हूं और सरकार को इस बात के लिये मुबारिकबाद देता हूं कि वह एक अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा यह जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 300–300 रुपये गये हैं, यानी हमारे किसान मजदूर भाईयों को सरकार दे रही है, मैं यह मानता हूं कि यह पैसा पिछली सरकार के मुकाबले में कहीं ज्यादा है क्योंकि उन्होंने 30 साल के अंदर कुछ काम नहीं किया। इसके मुकाबले में अब डेढ़ साल में कहीं ज्यादा काम हुआ है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो ग्रांट के रूप में तीन तीन सौ रुपया दिया गया है यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ ही साथ कम से कम 5–6 हजार रुपये उन्होंने मकान बनाने के लिये कर्जे के तौर पर दिलाये जायें। मेरी यही प्रार्थना है।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): चेयरमैन साहब, आपका भाुक्रिया अदा करते हुए मैं डिमांड नम्बर 5 और 11 पर बोलना चाह रहा हूं। हमारे साथ, जींद में सरकार पक्षपात इसलिये कर रही है क्योंकि वहां का एम0एल0ए0 रूलिंग पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। हमने यह आ ाा कभी नहीं की थी। मैंने पहले बोलते हुए यह जिक्र किया था कि 30–30 लाख रुपया जो तीन म्युनिसिपल कमेटियों को दिया जा रहा है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। अगर हमारे भाहर को भी कुछ इमदाद मिल जाती तो हम भी कुछ भरोसा कर लेते। मैं यह कह रहा था कि हमारे भाहर में एक

4–5 एकड़ का टुकड़ा पड़ा है, जिसमें सारे भाहर की गन्दगी पड़ती है। एक तरफ तो गवर्नमैंट यह कोि ा ा कर रही है और गवर्नमैंट की यह पालिसी है कि भाहरों को सुन्दर बनाया जायेम और इसके लिये वह पैसा खर्च कर रही है। मैंने यह कहा था कि इस पर भी कुछ पैसा खर्च कर दिया जाये तो इससे भाहर की सुन्दरता बढ़ेगी। मुझे खद ाा यह था कि वह टुकड़ा 20 लाख रुपयेम में बेचा जा रहा है। मंत्री मोदय ने जवाब में यह कह दिया जिसकी कि हमें कभी आ ाा भी नहीं थी। उन्होंने यह कहा कि अगर मांगेराम गुप्ता उस टुकड़े को 40 लाख रुपये में लेने को तैयार हो तो सरकार उसे बेचने के लिये तैयार है। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि लाखों का सौदा कर सकूं क्योंकि जो मुझे तनख्वाह वगैरा यहां से मिलती है वह सारी की सारी खर्च हो जाती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस जमीन को बेचा न जाये बल्कि भाहर को सुन्दर बनाने के लिये उसे डिवैल्प किया जाये। मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप उसे 40 लाख में बेचना ही चाहते हो तो मैं तो उसे नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं आपका एग्रीमैंट 40 लाख रुपये में बेचने का आज ही करवाता हूं। मैं आज ही वह एग्रीमैंट आपका करवाने के लिए तैयार हूं। 20 लाख की बजाये 40 लाख में बेचने का। मंत्री जी यहां पर कह रहे थे कि अगर 40 लाख में चाहें तो श्री मांगे राम जी ले लें। मैं खुद तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसका 40 लाख रुपये का एग्रीमैंट करवाने के लिये तैयार हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पिछली दफा जो फ्लड की

वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिये यह एलान किया था कि मालिया वसूल नहीं किया जायेगा। कुछ गांवों में उस समय फसल नश्ट होने के बाद पैडी की फसल अच्छी हो गयी है और कही पर फसल बिल्कुल भी नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर पैडी नाम की कोई चीज पैदा ही नही हुई है। वहां पर अब अगली आशाढ़ी में पैदावार होगी। वहां से भी रिकवरी की जा रही है। मेरी रिक्वैस्ट यह है कि जिन गांवों में पैडी की फसल की पैदावार अच्छी हो गयी है, उनसे तो बे ाक आप लगान की रिकवरी कर लो लेकिन जहां पैदावार बिल्कुल नहीं हुई वहां अगले साल तक इसको मुलतवी कर दिया जाये।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): सभापति जी, सदन में कल से अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा चल रही है और अब ऐप्रोप्रिए ान बिल उसी सम्बन्ध में आया है। कल मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे विभाग के बारे में कुछ बातें कहीं थीं और उनका स्पश्टीकरण करना मैं अपना कर्त्तवय समझता हूं ....

राव बीरेन्द्र सिंहः आपका कौन सा विभाग है ?

डाक्टर मंगल सैनः मुझे बड़ा अफसोस है कि राव साहब को मेरे विभाग का भी पता नहीं हैं (व्यवधान)। मेरे माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली में उद्योग मेला लगा और उसमें 9 लाख 99 हजार 500 रुपया खर्च हो गया और मेरे मित्र ने आगे कहा कि वहां उस मेले में उन्होंने गांव की कोई बात नहीं देखी,

भाहर वालों की ही बात देखी और उनको बड़ी निरा ाा हुई है। मेरी आदरणीय छोटी बहिन श्रीमती सुशमा जी ने वहा ंपर जो पथ प्रदि ीका थी, जो गर्ल गाइड थी उसके बर्ताव की चर्चा की। इसका मुझे बड़ा खेद है और मैं सदन से क्षमा चाहता हूं कि मेरे विभाग के कर्मचारी से ऐसी बात हुई। स्वामी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि स्वामी जी वहां नीचे नहीं गए, वे ऊपर ही घूमत रहे। नीचे अगर वे जाते तो देखते की नीचे मेरा कुम्हार भाई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, जूते बनाने की नीचे प्रद र्नी हो रही थी। वह एक प्रद र्नी थी। सभापति जी, जैसा कि यहां कहा जा चुका है वह एक दे ाव्यापी प्रद र्नी थी। प्रत्येक प्रदे ा की प्रद र्नी वहां लगी थी और सब प्रदे ाों के लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रद र्नी लगा कर एक अवसर प्रदान किया जाता है कि दे ा के लोग आकर देखें कि हरियाणा के गांवों में कुटीर और छोटे उद्योग कहां कहां लगे हुए हैं और कहां पर क्या क्या सामान बनता है। इस प्रकार उनको उद्योगों की एक तालिका, एक डिक ानरी सी मिल जाती है जिससे लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सदन को यह जानकर बड़ा हर्श होगा कि हथ करघा प्रतिश्ठान जो था उसमें तीन लाख 85 हजार का सामान बेचा गया और उसको देखने के लिए हमारे माननीय नेता चौधरी चरण सिंह भी त ारीफ लाए थे और लाखों लोगों ने उसको देखा था। चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा सफल प्रोग्राम रहा और उसमें लाखौं रुपए का सामान बिका और

करोड़ों रुपए के आर्डर भी आए। स्वामी जी ने कहा कि टाटा का हमाम नहीं बिकना चाहिए, बाटा के जूते नहीं बिकने चाहिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसीलिए हमारे केन्द्रीय उद्योग मंत्री आदरणी जार्ज फर्नांडिज ने घोशणा की कि 508 आइटम बड़े उ़द्योग वाले नहीं बनाएंगे। उनको नए लाइसैंस नहीं मिलेंगे। जो लगे हुए हैं उनका क्या करें ? चेयरमैन साहब, उनको तोड़ने का प्रोग्राम नहीं बनाया है लेकिन छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी आद र्ा नीति यह है कि बड़े से छोटा, म ीन से हाथ और भाहरसे गांव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा ने तो पहल की है कि –....... (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब, चौधरी राज नारायण सैंटर में मिनिस्टर रहे हैं उनका स्टेटमैंट है कि 53 लाइसैंस अकेले बिरला को दिए गए हैं।

Mr. Chairman This is not point of order. Please sit down.

डाक्टर मंगल सैन: जनता पार्टी की नीति इस मामले में बड़ी स्पश्ट है। जनता पार्टी एक पीपल्ज पार्टी है। चेयरमैन साहब, अभी मुझे बताया गया है कि उस मेले में आठ लाख के और भी आर्डर आए हैं और जो सामान बिका है वह अलग है। चेयरमैन साहब, हरियाणा ने तो सारे दे ा में पहल की है ....

स्वामी अग्निवे ाः सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। कल मैंने अपनी स्पीच में जो बात कही थी। आदरणीय मंत्री महोदय उसको तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। मैंने यह कहा था कि जो लोग उस मेले को देखने गए वे भाहर वाले देखने गए, गांव वाले देखने नहीं गए। वहां जो भी चीज रखी गई थी वह भाहर के लोगों के लिए रखी गई थी। दो चार लाख की जो चीजें बिकी हैं। वह भाहर वालों ने खरीदी गावं वालों ने नहीं। इन्होंन उस बात का उलट कर कह दिया।

डाक्टर मंगल सैनः स्वामी जी मेरी भावना को गलत न समझें। मैंने उनकी बात को न तोड़ा है और न मरोड़ा है। जहां तक गांव वालों के आने का प्र न है लोगों के लाने का प्रबन्ध करना चाहिए। वह भी आगे देख लेंगें। चेयरमैन साहब, जनता सरकार के बनने के बादे चौधरी देवी लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ग्रामीण उद्योग नीति का निर्धारण हुआ है। सारे दे ा में हरियाणा अकेला प्रदे ा है जहां पर पढ़े लिखे, अलाभकारी जोत वाले किसान, अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले फार्मर, बैकवर्ड क्लास के भाई, अनुसूचित हरिजन भाई अगर कोई व्यवसाय या इंडस्ट्री भाुय करना चाहें और ऐसे चार भाई मिल जाएं या इंडिविजुआल भी कोई काम भाुरू करना चाहे तो सरकार उसको अढ़ाई हजार रुपया सीड मनी देगी और सरकार बीस हजार रुपया कर्जा लेकर देगी। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः बैंकों से तो कर्जा किसी को मिल ही नहीं रहा है। वे कहते हैं कि गारंटी लाओ।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): * * * *, यह तो हमारी सरकार की बात कह रहे हैं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चौधरी देवी लाल बे ाक किसान के बेटे हैं और चौधरी साहब किसान और मजदूर का ख्याल रखते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितना मोमा का कोटा दिया गया है वह सब बड़े बड़े आदमियों को दिया गया है। यह गलत कह रहे हैं।

Mr. Chairman: It is not a point of order. Please take your seat. You have only crateted disorder.

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * *
* * * * * * * * * *
*

13.00 बजे

चौधरी संत कंवरः* * * * *
* * * * * * * * * *
*

Mr. Chairman: Please take your seat. (Interrupions)

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): * * * *
* * * * (ाोर) (हंसी)

Mr. Chairaman: All that has been said regarding 'Bawla' will not come on the record. (Interruptions)

डाक्टर मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मैं सरकार की नीति के बारे में स्पश्टीकरण कर रहा था क्योंकि यहां पर आदरणीय स्वामी जी ने कहा। अगर याद न हो तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा था कि सरकार की उद्योग की कोई नीति नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोगों को बैंकों द्वारा लोन दिलवाने का इंतजाम किया है– (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः बैंक वाले लाने नहीं दे रहे हैं। (ोर)

श्री सभापतिः डाक्टर साहब, जरा टाईम का ध्यान भी रखें।

डाक्टर मंगल सैनः भाई संत कंवर जी, अगर इस काम में कोई कमी रह गई है, किसी बैंक ने पैसा नहीं दिया है तो आप मुझे बताइये, मैं तकलीफ को दूर करूंगा। (तालियां) चेयरमैन महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले रुपये का बन्दोस्त करवाया, फिर कच्चे माल काच बंदोबस्त करवाया। जिस मोम के कोटे की भाई पोहलू जी को दर्द हो रही है मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमने मोम के कोटे का 50 परसैंट गांवों के लिये रखा हुआ हइै (तालियां) और इनके राज में चेयरमैन साहब, क्या होता था कि पहले 900 टन का मोम का कोटा 12 आदमियों को दिया जाता था और आज वही कोटा 350

लोगों को दिया जा रहा है। (तालियां) इससे आगे चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनता ही नहीं किया बल्कि गांवों में कारखाने भी लगा दिये। 260 लग चुके हैं और इस साल में 330 और लगने हैं; बाकियों की योजना बनाई जा रही है और जो माल वे लोग गांवों में अपने कारखानों में बनाएंगे उस माल को बेचने की जिम्मेवारी भी इस सरकार ने अपने ऊपर ली है। हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रियल कारपोरे ान उन कारखानेदारों का सामन बिकवाने का भी बन्दोबस्त करती है। चेयरमैन साहब, इन लोगों का इतना कह देना कि हमारी सरकार की कोई नीति नहीं है, यह हमारे साथ एक प्रकार का न्याय नहीं होगा।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि राव साहब ने भी बोलते हुए धारूहेड़ा में एक पेपर मिल की बात कही। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने उस मिल को 350 एकड़ के लगभग जमीन दी। चेयरमैन साहब, भाायद माननीय राव साहब गलतफहमी में रह गये, गलती से मारूति का नाम पढ़ गये होंगे। हमने 350 एकड़ जमीन नहीं दी, उनको तो केवल 177 एकड़ दी है और वह भी हमने नहीं दी। वह भी जिस पार्टी में राव साहब अभी भाामिल हुए हैं उस पार्टी ने दी है (तालियां) अब उन्होंने एक और दरखास्त दी है कि हमें 100 एकड़ भूमि और दी जाएं चेयरमैन साहब, मैं इस हाउस में आ वासन देना चाहता हूं कि किसान की एक इंच भूमि भी बिलावजह किसी को नहीं दी जाएगी। (तालियां)

चेयरमैन साहब, मुझे कुछेक बातों का स्पश्टीकरण तो और भी करना था पर घड़ी की सुई तेज घूम रही है, इसलिये मैं इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): सभापति महोदय, यहां इस हाउस में डिमांडज पर ओर एप्रोप्रिए ान बिल पर मेरे विभाग से सम्बंधित मांगों पर चर्चा चल रही है। कल भी और आज भी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछेक बातों को दोहराया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई भाक की बात नहीं है कि जहां तक नगरों का प्र न है उन सब में हालत अच्छी नहीं है। पिछली सरकार ने 30 साल के अपने राज्य में नगरों में नालियों, सड़कों और सीवरेज पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार नगरों की बुरी हालत हमें विरासत में मिली। इस को दो तीन सालों में सुधारना बड़ा कठिन काम है, इसके लिये हमारी सरकार को समय चाहिये लेकिन फिर भी हमने इसकी जिम्मेवारी ली है। इसके साथ साथ में आपको बता देना चाहता हूं कि नगरों की निस्बत देहातों की हालत और भी खराब हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बजट का 80 परसैंट पैसा इसी बात के लिये रखा है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, वधवा साहब किस डिमांड पर बोल रहे हैं ? (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, बहुत से सदस्य यहां पर किसानों के हितों की बात कर रहे थे, पोहलू साहब को छोड़ कर, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि किसानों के लिए कौन लड़ा है ? वे सदस्य यह कह रहे थे कि देहातों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 1973 में सबसे पहले हमने चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में किसानों के हक में आवाज बुलन्द की थी।

श्री भाम ोर सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मिनिस्टर साहब जो जवाब दे रहे हैं इसमें 1973 की बात का कहां पर जिक्र आता है ? यूं ही हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं (ाोर) आपको पता है कि डीजल के मामले में किसानों की कितनी पिटाई हुई (ाोर) भावों के मामले में (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairman: This is not a point of order. Please do not repeat and take your seat. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवाः सभापति महोदय, जहां तक मेरे विभाग से सम्बंधित सवालों का सम्बंध है, उसके बारे मैं पहले ही कह चुका हूं कि नगरों में इस बात की जरूरत है कि इसका सुधार किया जाए। इसके लिये मेरे विभाग ने कई ऐसे पग उठाने का निर्णय भी किया है जिनके बारे में मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी बता रहा हूं कि बिना पैसे के इतनी तेजी से सुधार नहीं हो सकता। अगर उन नगरों का सारे का सारा सुधार

करना होगा तो कम से कम 100 कराड़ रुपये की आव यकता होगी लेकिन इसके लिये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम कर रहे हैं। पहले सुधार के काम के लिये पब्लिक हैल्थ, बी0एण्ड आर0, और अलग अलग विभाग होते थे। अब इस बोर्ड के बनने के बाद सुधार के काम में तेजी आ जाएगी। पिछली सरकार के समय में अलग अलग विभागौं को इस काम के लिये एल0आई0सी0 और बैंकों के द्वारा लोन लेने के लिये पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी और फिर काफी फारमैलिटीज के बाद लोन मिलता था जिसके कारण से 30 साल तक कांग्रेस सरकार सुधार का काम नहीं कर सकी। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड संबंधी बिल अगले बजट सै ान में आ रहा है और इसके लिएये मुख्य मंत्री महोदय ने अनुमति भी दे दी है। वह बोर्ड बनाने के बारे में मैंने नगरपालिकायों को निदे ा दे दिये हैं कि वे बताएं कि उनको इस स्कीम के लिये कितने पैसे की आव यकता है। चेयरमैन साहब, मास्टर प्लान बनाने के लिये भी निर्दे ा दे दिये गये है कि तब तक बना दिये जाएं क्योंकि बोर्ड को गवर्नमैंट की एजेंसी हुडको और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है। पंजाब ने इसी तरह का बोर्ड बनाया थां वह 29 करोड़ रुपया ले चुका है। हम बोर्ड बनाकर हुडको और दूसरे वर्ल्ड बैंक के अदायरों से लोन लेकर के अगले दो सालों में नगरों का सुधार करने की कोि ा ा करेंगे। इससे पहली सरकार म्युनिसिपैलीटीज की जमीन को बेच दिया करती थी और दूसरे विभाग इसका फायदा उठाकर लाभ उठाते थे। अब मैंने आदे ा दे दिये हैं कि सिवाये जरूरी बात के नगरपालिका की जो

भूमि है उसको बेचा न जाए और वहां पर मार्किट बनाकर, कालोनीज बनाकर किराये पर दे दी जाएं और वहां से जो आमदनी आए वह उसी नगर की डिवैल्पमैंट के ऊपर लगा दी जाए। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम आकटराय ि ाड्यूल को भी रिवाईज करने का रहे हैं क्योंकि उसके अन्दर इवेजन होता है अगर उसको हम सिम्पल और इफेक्टिव बना देंगे तो (ाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मिनिस्टर साहब, बोलते हुए जरूरी चीज के लिये जमीन बेचने के बारे में जो कह रहे थे (ाोर)

Mr. Chairman: Please take your seat. This is not a point of order.

चौधरी राम लाल वधवाः तो चेयरमैन साहब, हमने 30 सालों के बाद इस प्रकार से पग उठाने का निर्णय किया है ताकि हम आने वाले सालों में अपने ही प्रयत्नों से सारी समस्याओं का हल कर सकें, हालात को ठीक कर पाएं। धन्यवाद।

ठाकुर बीर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं दो प्वायंटस क्लीयर करना चाहता हूं। एक तो सुशमा स्वराज जी ने 300 रुपये ग्रांट देने का उठाया था जिसमें कहा था कि अम्बाला जिला में एक भी केस ऐसा नहीं है जहां किसी को 300 रुपये की ग्रांट दी गई हो। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। ....

श्री सभापतिः इन्होंने तो अम्बाला कैंट के बारे में कहा था।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अम्बाला जिले की बात नहीं कही थी, अम्बाला छावनी के बारे में कहा था। (व्यवधान) मैंने अम्बाला जिले की कोई ि ाकायत नहीं की, अम्बाला छावनी के बारे में कहा थां

श्री सभापतिः अगर यही प्वायंट है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं ....

Mr. Chairman: You are speaking without permission. Please take your seat.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, मैं किसानों के बारेम में थोड़ा सास कहना चाहता हूं .... (व्यवधान)

Mr. Chairman: There are so many kisans in this House.

Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: But they should be favourable to them.

Mr. Chairman: All of them are favourable.

विकास तथा पंचायत मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, कुछ सदस्यों ने गन्ने के भाव के बारे में चर्चा की। बहुत से सदस्यों ने सदन में बोलते हुए सरकार की सराहना भी की लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ टीका टिप्पणी भी की। इसके बारे में आपकी मारफत सदन का बताना चाहूंगा कि इस बार हरियाणा प्रान्त में गन्ने का भाव साढ़े 12 रुपये प्रति क्विंटल निि चत किया गया है और पिछले साल साढ़े 13 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था।

Rao Birender Singh: On a point of order. There is no demande regarding sugarcane in the Appropriation Bill which we are discussing. What is the necessity for th Hon. Minister to speak irrelevent ? An other member from the opposition wanted to explain his policy which is not relevent to the demands comprising the Appropriation Bill.

Mr. Chairman: This is very much in the demands. Perhaps you have not read the demands.

Rao Birender Singh: Please point out where it is in the demands.

Mr. Chairman: I have myself spoken on it. It is very much relevant to the demands.

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, इन्होंने पढ़ा नहीं है डिमांड नं0 17 एग्रीकल्चर के बारे में है।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिमांड नं0 17 इसी चीज पर है जिस पर ये बोल रहे हैं।

चौधरी भजन लाल): पिछले साल साढ़े 13 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था जबकि चीनी का भाव 450 रुपये क्विंटल था लेकिन आज मार्किट में चीनी 190 रुपये क्विंटल है। अगर इस रेट का मुकाबला करें तो इस साल 8 रुपये क्विंटल से ज्यादा गन्ने का भाव नहीं हो सकता। लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों को सामने रखते हुए साढ़े 12 रुपये का भाव दिया है और इस भाव से किसानों को बड़ी खु ी है। मेरे को हजारों लोगों ने बधाई दी है जिससे यह जाहिर होता है कि किसान इस भाव से खु ा है। किसानों को इसकी इतनी खु ी है जिसको बताना कठिन है। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि साढ़े 12 रुपये का जो भाव दिया है, इसके परिणामस्वरूप सरकार को 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा उठाना पड़ेगा और मिलों को भी नुकसान रहेगा। एक बात स्वामी जी कह रहे थे, भाायद स्वामी जी खेत में कभी गए नहीं होंगे, इसलिए कह रहे थे। इनकी बात से श्रीमती भाकुन्तला राठी ने जो बात कही, उसमें ज्यादा वजन हैं उन्होंने कहा कि मिल के एरिये से बहार का जो गन्ना है, इसमें किसानों को दिक्कत होती है। इसी दिक्कत को देखते हुए किसानों को राहत देने की बात की गई है कि किसानों को अपने कोहलू और क्रै र लगाने चाहिएं और इसके लिए हमने ग्रांट भी दी है ताकि किसान अपना सारा

गन्ना इस्तेमाल कर सकें। किसी सरकार ने किसानों के लिए ऐसा काम नहीं किया कि कोहलू के लिए पांच सौ रुपये ग्रांट के रूप में दिए हों जिससे किसान अपना सारे का सारा गन्ना पेल सके। इसके साथ ही साथ मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त में मिलों की तरफ किसी भी किसान को एक भी पैसा बकाया नहीं है जबकि इसके मुकाबिले में यू0पी0 में 40 करोड़ रुपया किसानों का मिलों की तरफ बकाया है। हरियाणा में किसी का एक पैसा भी बकाया नहीं है। जहां तक नई मिलें लगाने का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि लगनी चाहिएं और 5 मिलें लगाने के लिए भारत सरकार को केस भेजा था, लेकिन भारत सरकार मानी नहीं। उनकी भी मजबूरी है। वह इसलिए नहीं मानी कि पिछले दो सालों से चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। पिछले साल 65 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और इसके मुकाबिले में खपत 38 लाख टन है और बाहर से किसी कंट्री की डिमांड चीनी के लिए नहीं है। सिर्फ 5 लाख टन भारत सरकार ने चीनी बाहर भेजी थी उसमें 25 करोड़ का घाटा रहा है। इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहता था कि माननीय सदस्य ने जो एतराज किया था उसमें कोई वजन नहीं है।

Mr. Chairman: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into considertion at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: That House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Chairman: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Chairman: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shri Preet Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved -

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Chairman: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथारिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1978

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 1978.

I also move –

That the Harytana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Harytana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पहले एक्सप्लेन कर दें कि इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी।

Mr. Chaiman: It is very detailed. You can read it.

श्री सुमेर चन्द भट्ट (नग्गल): चेयरमैन साहब, इस बिल पर जिसको इन्ट्रोड्यूस करने के लिए वजीर साहब ने मो ान पे ा की है, 26 दिसम्बर की तारीख पड़ी है लेकिन आपके रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 122 में लिखा है कि –

"Any member desiring to move for leave to introduce a Bill shall give fifteen days' notice of his intention and shall, together with his notive, submit a copy of the Bill and a full statement of obejcts and reasons :-

Provided that the Speaker mya, for sufficeint reasons, allow the motion for leave to introduce a Bill to be made at shorter notice".

चेयरमैन साहब, मेरी अर्ज यह है कि अगर यह बिल बिल्कुल आइसोलेटिड चीज होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता लेकिन इसके बाद जो बिल जा रहा है उसके ऊपर भी 26 तारीख पड़ी है। जो ऐप्रोप्रिए ान बिल यहां पास हुआ उसकी बात ही अलग थी क्योंकि कल उस पर बहस होती रही लेकिन हर बिल जो आ रहा है, कल भी कुछ बिल आए हैं, उस पर जितना टाईम हाउस को देना चाहिएं इन्ट्राड्यूस करने से पहले, वह नहीं दिया गया। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) स्पीकर साहब, आप कुर्सी पर आ गए यह बहुत अच्छी बात हुई।

श्री अध्यक्षः मैं आपकी बात सुनकर ही आया हूं।

श्री सुमेर चन्द भट्ट : स्पीकर साहब, आपने एक अच्छा फैसला लिया जो विधान सभा में एक रिसर्च आफिसर को अप्वायंट किया। मेरी आपसे यह गुजारि ा है कि आप उस आफिसर को यह काम दें कि पिछले डेढ़ साल में जितने बिल हमारे हाउस में इन्ट्रोड्यूस हुए हैं। उनमें से कितने बिलों को 15 दिन के नोटिस पर इन्ट्राड्यूस किया गया और कितने बिलों को यह जो ऐगजैम्प ान है आपकी तरफ से इसको इस्तेमाल किया गया। अफसोस की बात है कि जो रूल था व0ह ऐक्सैप ्शन बन गई और जो ऐक्सैप ान थी वह रूल बन गया। इस चीज की कोई हद

होनी चाहिए। पिछली बार भी यह सवाल मेरे सीनियर दोस्त श्री मूल चन्द जेन जी ने उठाया था और काफी ले दे। इस संबंध में हुई थी। मेरी अर्ज यह है कि यह जो लैजिसले ान प्रोसैस है यह बड़ा गम्भीर मसला है। यह बच्चों का खेल नहीं है। मैंम्बर्ज पर इस हाउस को चलाने के लिए कोई अढ़ाई लाख रुपया महीना सरकार और जनता खर्च करती है। अगर इस लैजिसले ान के प्रोसैस को इतना सीरियसली न लिया जाए तो इस हाउस का और हम सबका यहां बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि अगर आप अपनी इस डिसक्रि ानरी पावर के बारे में, जिसको कि अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, यह पालिसी बता दें कि जब तक आप स्पैसिफिक हालात से सैटिसफाइड नहीं होंगे तब तक ऐग्जैम्प ान नहीं दी जाएगी तो गवर्नमैंट अगली बार जब हाउस में बिल लाएगी, इसको अहसास होगा कि इस ऐक्सैप ान का इस्तेमाल बतौर रूल नहीं किया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि ऐक्सैप ान को रूल बनने की और रूल को ऐक्सैप ान बनने की इजाजत न दें।

जहां तक इस बिल का सम्बंध है, यह इन्ट्रोड्यूस तो हो चुका है लेकिन कल परसों तक मिनिस्टर साहब को यह ख्याल भी नहीं था कि बिल इन्ट्रोड्यूस भी करना है या नहीं। आज ये कहते हैं कि बिल न सिर्फ इन्ट्रोड्येस हो, इसको कंसिडर भी किया जाए और पास भी किया जाए। इसमें सैन्स आफ अरजैंसी

क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मेरी अर्ज हयह है कि बिल तो इन्ट्रोड्येस हो गया, यह खु ी की बात है कि लेकिन फरवरी में जब सै ान हो उस समय इस पर डिस्क ान हो जाए। यही बात अन्य बिलों के बारे में की जाए ताकि हम सब लोग इनको पढ़ लें, सोच समझ लें। आपस में बातचीत कर लें और लोगों से पूछताछ कर लें। दरअसल जो भी बिल बनता है उसका असर लोगों की डे टू डै जिंदगी पर पड़ता है। इसके अलावा जब हम जल्दी में बिल पास करते हैं तब उसकी अमैंडमैंट या मौडिफिके ान भी हमें उतनी ही जल्दी लानी पड़ती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूरा वक्त मैम्बर्ज को दिया जाए, हाउस को दिया जाए ताकि लैजिसले ान का यह जो हैफाजर्ड प्रासैस है यह बंद हो जाए और जिस काम के लिए यह विधान सभा बैठी है उसको लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कर पाएं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं भी आनरेबल मैम्बर के विचारों के साथ सहमत हूं। स्पीकर साहब, आप भी हमारे पिछले स्पीकर ब्रिगेडियर रण सिह जी की तरह मिल्टरी मैन की स्पिरिट रखते हैं क्योंकि आप भी मिल्टरी मैन और मिल्टरी आफिसर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो प्रोविजन रूल में रखा गया है उसके मुताबिक कम से कम तैयारी करने का टाईम तो मिलना ही चाहिए। (विघ्न)

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): कौन सा रूल है ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: यह तो आपको देखना चाहिएं (हंसी) इसलिए स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये बिल्ज को इन्ट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके बजट सै ान में रखा जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप वही बात दोहरा रहे हैं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: नई बात भी कह देता हूं। स्पीकर साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी मिनिस्टर को और किसी भी एम0एल0ए0 को इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे ए़ी0एम0 साहब को भी इसे देखने का टाईम नहीं मिला है। (हंसी) इसलिए इनको पोस्टपोन करके अगले सै ान में लाया जाए।

Mr. Speaker: I would request the Hon.ble Minister to throw some light on this subject.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस संबंध में भी एक अर्ज करना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त श्री भट्ट जी ने जो बात कही वह बिल्कुल ठीक है। हमारी फीलिंग भी यही है क्योंकि इसमें काफी सच्चाई है। हर सै ान में हमें यह बात कहनी पड़ती है क्योंकि हमें बड़ा दु:ख होता है यह देख कर कि बड़ी जल्दबाजी के अन्दर बिल जाए जाते हैं। अब की बार इन्होंने कहा कि हमारे पास बिजनैस नहीं है इसलिए असैम्बली का सै ान नहीं बुलाया जाएगा। भाायद कैबिनैट की मीटिंग में इन्होंने फैसला किया था लेकिन अब बिजनैस जबरदस्ती निकाल रहे हैं। इस सै ान को

बुलाने का मेन मकसद मैं समझता हूं । चवालीसवीं कांस्टिच्यु ानल अमैंडमैंट को, जिसे पार्लियामैंट ने पास कर रख है, पास करना था। स्पीकर साहब, बिल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इम्पौर्टैंट हो या अनाइम्पौर्टैन्ट हो, इसकी सीरियसनैस एक जैसी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सारे नए मामलों को अभी उठा कर रख लें, ताकि लोग इन्हें पढ़ते रहैं, आप पढ्ते रहें, हम पढ़ते रहें और अगले सैं ान में इन्हें हाउस में ले लाएं। (विघ्न)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो प्वायंट भट्ट साहब और राव साहब ने उठाया है इसके बारे में मेरी भी एक प्रार्थना है। कल बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें ये तीनों बिल जो आज यहां लाए गए हैं, नहीं थे।

श्री अध्यक्षः थे। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः अगर थे तो रहने दो। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हू। इस पर अगर आप गौर फरमायें तो बहुत अच्छी बात होगी। * * * * * * * * * * । (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): * * * * *। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः * * * * * । (विघ्न)

चौधरी देवी लालः * * * * *। (विघ्न)

Mr. Speaker: All these irrelevent remarks will be expunged from the proceedings of the House.

Rao Birender Singh: * * * * * (Interruptions)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आप मैम्बर्ज के राईटस के कस्टोडियन हैं। आज सुबह कुछ मैंम्बर्ज से चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा –– (विघ्न)

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, I would request you to please confine yourself to the Bill (Interruptions)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, आप भी मेरी बात को नहीं सुनते। (विघ्न) मैं यह कह रहा था कि मैंने यह सुना है कि सवेरे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि * * * * *। मैंने इस बात का नोटिस नहीं लिया मगर इस तरह की आजादी अगर आप चीफ मिनिस्टर को देना चाहते हैं तो मैम्बर्ज क्या रास्ता अख्तियार करें ? यह मामूली बात नहीं है। *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

* । (ोर)

Mr. Speaker: All the irrelevent remarks will be expunged from the record .... (Interruptions) ....

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब इनको बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

चौधरी रिजक रामः क्यों नहीं होनी चाहिए ?

चौधरी देवी लालः यह हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा बरदा त नहीं किया जायेगां

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब ये * *   *   *   *   जो भाब्द चौधरी रिजक राम ने प्रयोग किया है, यह अनपार्लियामैंटरी हैं। यह प्रोसीडिंगज का पार्ट नहीं बनना चाहिए।

Mr. Speaker: All these irrelevent remarks will be expunged from the record.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब,जो इन्होंने इररैलेवेन्ट कहा था वह भी तो एक्सपंज होना चाहिए। *   *   *   *   * क्या यह इररैलेवैंट नहीं था।

Mr. Speaker: That will be expunged from the record. At that time itself they were expunged. मैं सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करता हूं कि हाउस की डिगनीटी को

मेनटेन करें। हाउस की डिगनिटी को मैनटेन करना हमारा सबका फर्ज है। मैं इस सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे भाब्दों का प्रयोग ने करें जो किसी के दिल को ठेस पहुंचायें। एक दूसरे की प्रैस्टीज रखने के लिए मैं सभी को बार बार रिक्वैस्ट करता हूं कि कोई गलत भाब्द को प्रयोग न करें। मैं आपकें सामने एक बात और प्वायंट आउट करना चाहता हूं कि यह मैंटर जो अंडर डिस्क ान है इसमें कोई भाक नहीं है कि रूल्ज के मुताबिक 15 दिन पहले बिल इन्ट्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन पिछले 8—10 साल के रिकार्ड को चैक करने से पता चलता है कि एक प्रैसिडेंट बन गया है और जो प्रैसिडेंट दस साल तक चलता रहे, वह एक कानून की भाक्ल अख्तियार कर लेता है। इस बात से मैं किसी तरह भी सहमत नहीं हूं। पिछले दिनों एमरजैंसी के टाईम पर या किसी और वजुहात से ये बातें होती रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो असल कानून है उसके अनुसार ही बिल पे ा किये जायें। इसमें कोई भाक नहीं है कि पहले सै ान के लिए कोई बिजनैस नहीं था लेकिन आखिरी मिनट पर बहुत सारे मैम्बरान की तरफ से जब यह रिक्वैस्ट आई कि सै ान बुलाया जाये तो उन्होंने सब की रिक्वैस्ट को मान कर यह सै ान बुलाया। यह एमरजैंट तौर पर सै ान बुलाया गया। जब भी मेरे पास कोई बिल आया है, मैंने इस दफा हर बिल के स्पैसिफिक रीजन काल फार किये हैं कि इस वजह से यह बिल पहले नहीं आ सका। इस दफा कोई विंटर सै ान बुलाने की आव यकता महसूस नहीं होती थी लेकिन फिर भी बुलाया गया। Still I am prepared to consider the sense of

the House and would request the Hon. Minister to make a statement stating the reasons for bringing this Bill.

चौधरी उदय सिंह दलालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप अपनी सीट अख्तियार करें। यह सारा एक्सपंज कर दिया जाये।

चौधरी रिजक रामः दलाल साहब मुझे आपकी सारी हिस्टरी का पता है। .... (विघ्न)

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में कुछ बातें कलेरीफाई करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पहले चीफ मिनिस्टर साहब का इरादा सै ान बुलाने का नहीं था लेकिन मैम्बर साहेबान ने रिक्वैस्ट की तो उन्होंने सै ान बुला लिया। जब सै ान आ गया तो हमें ख्याल आया कि इस दौरान में हमें पब्लिक की भी भलाई करनी चाहिए। किसी कारण से पब्लिक को तकलीफ है तो वह दूर होनी चाहिए। तो यह जो बिल आया है यह कोई बिल नहीं है यह तो एक मामूल सी अमैंडमैंट है। मैंने इस विचार से इस अमैंडमैंट को लाना जरूरी समझा कि इससे हमारी पब्लिक का फायदा होगा।

दूसरी बात यह है कि कल भी ये बातें बिजनैंस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुई थीं। वहां पर अपोजी ान की तरफ से मैम्बर हाजिर थे। चौधरी रिजक राम जी बड़े सीनियर मैम्बर हैं, वे भी हाजिर थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी याद इतनी भी नहीं है कि यह चीज वहां पर कल डिस्कस हो चुकी है। मैं समझता हूं कि जो हाउस की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी है, वह सब को रिप्रेजेन्ट करती है। उसमें जो भी फैसला लिया जाये उसको मानना हर सदस्य का फर्ज है।

Shri Sumer Chand Bhatt: What is the House meant for then ?

Brig. Ran Singh: What is the Business Advisory committee meant for ?

Shri Sumer Chand Bhatt: It is a recommendatory body.

Brig. Ran Singh: Why did you adopt the Report of the Committee ?

Mr. Speaker: Mr. Bhatt, I would request you to address your remarks to me.

Brig. Ran Singh: It is very unfair स्पीकर साहब, आप देखिए यह कोई बिल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जो लोग प्लाटस के लिए अप्लाई करते हैं उनको अलाटमैंट के बारे में चीफ एंड मिनिस्ट्रेटर के पास चण्डीगढ़ आना पड़ता है। लोग गुड़गांवा और हिसार से चण्डीगढ़ आते हैं। अब सरकार ने फैसला

किया है कि वे पावर्ज वहीं पर दे दी जायें ताकि लोगों को यहां न आना पड़े। केवल एक मिनट की बात है। कोई लम्बी चौड़ी कहानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि फर्ज करो किसीन ने मकान बनाया है और मकान बनाते वक्त उसने नक ो की खिलाफवर्जी की है तो उसका प्लाट रिज्यूम कर लेते थे लेकिन अब रिज्यूम करने की बात नहीं है। अब सरकार ने फैसला किया है कि उस पर दस बीस रुपये जुर्माना कर दिया जाये और उसका प्लाट रिज्यूम न किया जाये। आप सब लीोग बड़े सुमझदार हैं, छोटी सी बात है। बिना सोचे समझे बात करें तो अच्छा नहीं। इससे पब्लिक का फायदा है। इसलिए मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाये ताकि आम जनता की मदद हो सके।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, सारे प्रसंग में ....

Mr. Speaker: Please make it brief.

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब, मैं ब्रीफ ही कर रहा हूं। बड़ा आ चर्य हो रहा है बड़ा महत्त्वपूर्ण काम पिछले दो अढ़ाई दिन से किया जा रहा है। 8 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पास हुई हैं और बहुत सारे बिल भी आये हुये हैं। अभी संविधान सं ाोधन बहस होना भी बाकी है जो कि मुख्य मुद्दा है। सबसे प्रमुख चीज जिसके ऊपर हमारी जनता पार्टी की सरकार की जो परफारमैंस दिखायी देती है, उसे भी हमने अभी रैटीफाई करना हे। सैंट्रल गवर्नमैंट ने जो हिम्मत दिखायी ....

Mr. Speker: You are talking irrelevent. This has not relevency with this Bill (Interruptions)

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये। पौने दो बज ने जा रहे हैं। अभी आपके सामने यह बिल पास होना है, इसके अलावा एक और बिल है। फिर आधे घंटे की डिस्क ान है। मुख्य मंत्री महोदये ने जवाब देना है। उसके बाद रैटीफिके ान की चीज आयेगी। अब आप ही देखिये हम सब लोग सुबह साढ़े नौ बजे से बैठे हैं। अभी हमने भोजन भी करना है। यदि आप यह सारा काम इसी समय भूखे पेट कराना चाहें, तो रैटीफिके ान पर भी लोग बहस करने की बजाये छोड़ कर चले जायेंगे। इसलिये मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा .....

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, मैं आपसे यह कहूंगा कि हमारे दे ा के किसान और जवान 24 घंटे ही नहीं बल्कि 48–48 घंटे बैठे रहते हैं। अगर हम एयर कंडी ान्ड कमरे के अन्दर 4 घंटे फालतू लगा लें तो कोई जुल्म की बात नहीं है।

स्वामी अग्निवे ाः मेरी रिक्वैस्ट यह है कि अगर आप हाउस को आधे घंटे के लिये एडजर्न कर दें फिर हम चाहे रिज्यूम करके हाउस को 5 बजे या 6 बजे तक चलायें तो अच्छा रहेगा ....

Mr. Speaker: If that is the sense of the House, I will be the first to accpet it.

स्वामी अग्निवे ा: आप आधे घंटे के लिये एडजर्न कर दें। फिर चाहे 4 बजे तक की बजाये बे ाक 6 बजे तक चलायें।

Mr. Speaker: I suggest that यह छोटा सा बिल है, let us consider it and after that if the House accepts (Interrupstions)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, छोटा सा बिल है, इसके अलावा एक और बिल है ....

श्री अध्यक्ष: अगर आप सब चाहते हैं तो ....

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो एक दो बिल हैं, ये बहुत छोटे छोटे बिल हैं। एक एक लाईन के बिल हैं। एक बिल और रह गया है जो कि एक लाई का बिल है, उसके बाद आप बे ाक आधे घंटे के लिये लंच के लिये ब्रेक कर लें और फिर उसके बाद हम रिज्यूम कर लेंगे।

Brig. Ran Singh: Some of the members waste more time by interfereing, otherwise by this time we would have passed these Bills.

Mr. Speaker: Would you like to speak or any-body else would like to speak on this Bill ?

No member rose to speak)

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Deveplopment Authority (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

The Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Hon. Minister may kindly move the motion.

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana Urban Deveplopment Authority (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion is –

That the Haryana Urban Deveplopment Authority (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Deveplopment Authority (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now I would like to take the sense of the House. Should we take the other Bill into consideration (Interruptions)

Voices: Yes. yes.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, क्यों घास काटो ?

श्री अध्यक्ष: जब हाल बाहने निकलते हो तो दो घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। (व्यवधान व भाोर)

दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैंकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1978

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipat (Second Amendment) Bill, 1978.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

May I request the Hon. Minister to make an explantory statement so that the people may not have .... (Interruptions.)

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तो मैम्बरों को होस्टेज बनाकर बिल पास कराने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, मैंने तो पूछा था कि अगर सैंस हाउस की यह हो ....

राव बीरेन्द्र सिंह: एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल को वह बात याद है जब हम हाउस को इस तरह चलाने को अपोज करते थे। मैंबरों को गुस्सा भी तभी आता है जब उन्हें भूख लगी होती है। इसलिये भूखे मैम्बरों से काम नहीं लेना चाहिये। भाान्ति से विचार करो। भाान्ति से काम कराओ। ....

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस पर कल भी डिस्क ान हो चुकी है। .... (व्यवधान व भाोर)

राव बीरेन्द्र सिंह: आप मैम्बरों को भूखे रख कर यह कहें कि वह पास कर दें, यह बड़ा जबर और जुल्म है।

Mr. Speaker: Let the Hon. Minister make na explanatory statement. If it is something very simple then we will consider it. If it is something on which you want to have discussion then we will take it up after lunch.

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, बड़ा सिम्पल क्वै चन है। यहां पर पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस में राव साहब अब भाामिल हुए हैं। हाउस टैक्स और प्रौपर्टी टैक्स को 1–4–1976 से मर्ज कर गयी थी। (ाोर व व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं तो उलटा अपनी पार्टी में गया हूं। वह जनसंघ आल इंडिया वाला कहां गया ? (ाोर व व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः जनता पार्टी के रूप में सामने खड़ा है। स्पीकर साहब, हाउस टैक्स और प्रौपर्टी टैक्स मर्ज करके पिछली सरकार ने लोगों को कोई रिलीफ नहीं दी थी। 10 परसैंट हाउस टैक्स और 10 परसैंट प्रौपर्टी मिला कर 20 प्रति ात कर दिया था। जब इन्होंने देखा कि हम जाने वाले हैं तो जाते जाते यह पास कर दिया कि प्रौपर्टी टैक्स को खत्म किया जाता है और हाउस टैक्स चार्ज किया जाये। जब यह प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को मर्ज किया गया था तो उस समय सैक ान 101 (ए) म्यूनिस्पिल एक्ट में डाला गया था कि जब प्रौपर्टी टैक्स चार्ज नहीं होगा, हाउस टैक्स चार्ज होता रहेगा तो इस एक्ट में 101 (ए) सैक ान की कोई आव यकता नहीं रह जाती है। इसलिये कवेल इसमें से सैक ान 101 (ए) को डिलीट करने वाली बात है। .... (व्यवधान व भाोर) . या तो आप कहें कि मैं विरोध करता हूं या कहे कि मैं इसको स्पोर्ट करता हूं।

श्री मांगे राम गुप्ता (जीन्द): स्पीकर साहब, यह अमैंडमैंट उस वक्त आयी है जब मैंने मंत्री महोदय से इस बारे में सवाल किया कि हाउस टैक्स वसूल जो किया जा रहा है, वह बिल्कुल इल्लीगत है और इससे इल्लीगली उन लोगों को फायदा हो रहा है जो लोग कानून को समझते हैं, कोट्र में जा सकते हैं। आम लोगों को इससे

बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है। उसको दरूस्त करने के लिये मंत्री महोदय जो यह अमैंडमैंट लाये हैं ....

श्री अध्यक्षः इसका श्रेय आपको जाता है। ....

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, जहां पर यह कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने 10 परसैंट प्रौपर्टी टैक्स और 10 परसैंट हाउस टैक्स को कर्ज करके 20 परसैंट कर दिया था, स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि आम जनता को प्रौपर्टी टैक्स 20 परसैंट लगने से भी फायदा है। उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि प्रौपर्टी टैक्स लगने की वजह से हर आदमी को अपने एक मकान पर टैक्स की छूट थी, उस पर कोई प्रौपर्टी टैक्स नहीं लगाता था। आप आज देखते हैं कि कितने परसैंट आदमी ऐसे हैं जिनके पास एक मकान है। मेरा ख्याल यह है कि 70 परसैंट के करीब आदमी ऐसे हैं जिनके पास एक मकान है और जिन्हें इस वजह से प्रौपर्टी टैक्स से छूट थी। कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर ही प्रौपर्टी टैक्स नहीं लगता था। जिनके पास कई मकान हैं यानी ज्यादा प्रौपर्टी है, उनके ऊपर ही प्रौपर्टी टैक्स लगता था। यह फायदा आम जनता को था। उस फायदे को दूर करने के लिये यह जो अमैंडमैंट लायी गयी है कि हाउस टैक्स लगना चाहिये तो इस हाउस टैक्स के लगने की वजह से तो भाहर के अन्दर रहने वाला कोई भी मकान मालिक बच नहीं सकता। स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि ये ऐसा न समझें कि कमियां दूर हो जायेंगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो कानून को समझते हैं वे इस बात का

फायदा उठाएंगे। यह हाउस टैक्स भी इल्लीगल रहेगा। जो लोग कोर्ट में गए हैं यह भी उनके हक में जाएगा। क्योंकि म्युनिस्पिल एक्ट में यह है कि जब लिस्ट फाइनल हो जाए तो गवर्नमैंट पब्लि ा करेंगी। पब्लिके ान के बाद एक महीने की मियाद मिलेगी उस दौरान लोग आबजैक ान देंगे। आबजैक ान सुनने के बाद फाइनल किया जाएगा और फिर उसका गजट नोटिफिके ान हो जाएगा। आज मेरी सरकार इस बार पर चल रही है कि यह 1–4–1977 से लागू हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी तरफ से ठीक करने की कोि ा ा की गई हो लेकिन जो कानून को समझते हैं और म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जो धारा हैं, हाउस टैक्स लगाने से पहले उसको देखना चाहिए। वरना लोग कोर्ट का सहारा लेंगे और जो गरीब जनता है, जिन्हें कानून का पता नहीं है वे ही लोग कुचले जाएंगे। मेरी दरखास्त है कि प्रौपर्टी टैक्स वाली जो बात है उसको गहराई से सरकार सोचे। मंत्री महोदय यह भी कहते हैं कि पिछली सरकार ने यह लगाया था। हम तो पिछली सरकार के भी विरोधी थे और हमारी आज भी बदकिस्मती है कि हम आज भी उसके विरोधी हैं। हमें तो चापलूसी की आदत नहीं। प्रौपर्टी टैक्स में यह है कि हाउस टैक्स को खत्म कर दिया जाये। छोटे आदमी को अगर फायदा करना है तो हाउस टैक्स खत्म करके प्रौपर्टी टैक्स दोबारा लगा दो इससे आम आदमी या गरीब आदमी को फायदा होगा। अगर यह हाउस टैक्स लगाना चाहते हैं तो पहले प्रौपर्टी टैक्स को खत्म करना चाहिये और फिर हाउस टैक्स लगा सकते हैं। आप एक ही टैक्स लगा सकते हैं। अगर आपने हाउस टैक्स को जबरदस्ती लगाना है

और अगर आप यह समझते हैं कि गरीबों का फायदा नहीं करना है तो मेरी दरखास्त है मेरी एक अमैंडमैंट ऐड कर लें कि जो लोग म्युनिस्पिल कमेटी के एक्ट के तहत जो म्युनिस्पिल कमेटी एरिया में मकान बना लेते हैं और उसको कोई सहूलियत जैसे उसका कूड़ा उठाने वाला नहीं है या म्युनिस्पिल कमेटी की तरफ से उनको कोई सहूलियत नहीं मिल रही हैं तो उस मकान मालिक से हाउस टैक्स वसूल न किया जाए। अगर आप आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हाउस टैक्स को खत्म करके प्रौपर्टी टैक्स लगा दिया जाए और मेरी एक अमैंडमैंट ऐड कर दी जाए कि जिन लोगों को म्युनिस्पिल कमेटी की तरफ से कोई सहूलियत नहीं दी जाती जब तक उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। अगर आप इस बात को सुनेंगे तो इससे उनका फायदा होगा।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में इस बिल का जिक्र आया था और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह बिल उनको आज मौरनिंग मैं छः बजे कोई आदमी देकर आया है। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में पार्लियामेन्टरी मिनिस्टर ने कहा था और आज भी कहा था कि सिर्फ एक सैक ान को हम रिमूव करना चाहते हैं और जैसा कि मांगेराम गुप्ता जी ने कहा है कि इससे कुछ थोड़े से ही लोगों को फायदा होगा। पहले 75 परसैंट मकान प्रौपर्टी टैक्स से ऐग्जेम्पट थे। इसका मतलब यह हुआ कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने जो बात आई थी वह मिसलीडिंग थी। अगर वास्तव में यही स्थिति है तो अध्यक्ष, इस

समय इसको डैफर किया जाए ताकि मैम्बरों को विचार करने का पूरा मौका मिल सकें।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, श्री मांगे राम ने दो प्वायंट रेज किए हैं। पहला तो यह है कि आम आदमी को इसका फायदा नहीं है और दूसरा प्वायंट यह कि पहले प्रौपर्टी टैक्स एक मकान पर माफ होता था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रौपर्टी टैक्स से अगर एक मकान माफ होता था तो एक कोठी वाला भी उसमें आ जाता था जो लाखों रुपये की होती थी और उसको भी ऐग्जेम्प ान मिलती थी। जितने अमीरों के मकान होते हैं उतने गरीबों के मकान नहीं होते।

श्री मांगे राम गुप्ताः मंत्री महादेय एक तजुर्बेकार आदमी है और उन्होंने कहा है कि एक लाख की कोठी भी प्रौपर्टी टैक्स से ऐग्जेम्पट थी। मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख की कोठी ऐग्जेम्पट नहीं थी।

चौधरी राम लाल वधवाः एक रेजिडें ायल बिल्डिंग जिसके पास होगी वह भी ऐग्जेम्पट होगी। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां तक हाउस टैक्स का ताल्लुक है कांग्रेस सरकार ने उसको लगाया था हम तो उसको वसूल कर रहे हैं। जनता पार्टी इस बात के लिये वचनबद्ध है कि हमने गरीब, मजदूर और लेबर के लिये रियायत देनी है और मैंने विभाग का चार्ज

लेने के बाद गरीब लोगों की रियायत देने के लिये कदम उठाए हैं। यह रियायत कांग्रेस सरकार के वक्त 120 रुपये थी ....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर स्पीकर साहब, हाउस टैक्स और प्रौपर्टी टैक्स का बड़ा सीरियस मामला है। इससे कोई गरीब आदमी बच नहीं सकता। स्पीकर साहब, इस बिल को सवेरे बांटा गया है। किसी ने नहीं पढ़ा है।

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): He is unnecessarily obstructing the House.

Chaudhri Jagjig Singh Pohloo: It is an important matter.

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, please sit down. If you want to speak on the Bill, you will be given an opportunity. But do not bring it under the guise of a point of order.

चौधरी राम लाल वधवा: जनता सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हम गरीबों के लिये काम करेंगे इसलिये इस विभाग का चार्ज लेने के बाद मैंने सोचा कि यह एग्जेम्प ान सब को मिलनी चाहिये। किसी एक को नहीं मिलनी चाहिये। कांग्रेस सरकार के जमाने में म्युनिसिपल एरिया में जिस मकान का रेट 120 रुपया सालाना था वह हाउस टैक्स से ऐम्जेम्पट था अब हमने उसको बढ़ाकर 600 रुपया सालाना कर दिया है। नोटिफाइड एरिया में यह साठ रुपया था और इसको बढ़ाकर तीन सौ रुपया कर दिया है। दूसरा प्वायंट श्री गुप्ता ने यह रेज किया कि 75 परसैंट लोगों को

लीगल कम्पलीके ान होगी। स्पीकर साहब, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि कोई लीगल कम्पलीके ान नहीं होगीं मैंने कल सैक ान 101 हाउस में पढ़ कर सुनाया था कि जब प्रौपर्टी टैक्स चार्ज हो रहा होगा तो हाउस टैक्स चार्ज नहीं होगा। यह अननसैसरी सैक ान था इसलिये इसको डिलिट कर रहे हैं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, रूल 129 क्लाज 'सी' के प्रोवाइजों में क्लीयर लिख है और मैं रूल कोट करता हूं। उसमें लिखा है कि –

"Provided that no such motion shall be made until copies of the Bill have been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for five clear days before the day on which the motion is made ...."

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, I have already given a ruling on this matter.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, रूल बड़ा क्लीयर है कि पांच दिन पहले बिल्ज की कापी मैम्बर्ज को मिलनी चाहिये।

14.00 बजे

श्री अध्यक्षः पोहलू साहब, आप आधा रूल पढ़ते हैं, पूरा क्यों नहीं पढ़ते ? (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों कर रही है ? क्या कोई दे ा के ऊपर मुसीबत है, दे ा पर कोई बमबारी तो नहीं हो रही है जिसके कारण सरकार को इतनी जल्दी पड़ी हुई हैं (ाोर)

श्री अध्यक्षः आपने जो कुछ भाुरू यह कर रखा है क्या यह बमबार्डमैंट से कुछ कम है ? मैंने पहली ही क्लीयर कर दिया है कि मैंने हर बिल के ऊपर सरकार से एक्सप्लेने ान मांगी है कि सरकार के देरी से बिल लाने के क्या कारण हैं और वह कारण आपके सामने रखे गये। (ाोर एवं व्यवधान)

Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: We want justice here. These should not be perpetuated at all. स्पीकर साहब, आपको पावर हे कि आप ग्रेट रीजन देकर इसको वेव कर सकते हैं।

Dr. Mangal Sein: He has cast an aspersion on the Chair. (Interruptions)

Mr. Speaker: Your remarks have been noted down and I will give them due consideration. Now I would like to take the sense of the House. इस आइटम पर डिस्क ान करने के लिये काफी टाईम मिल चुका है, अगर हाउस की सेन्स हो तो इसके लिये और समय दे दिया जाये या इसको पास कर दिया जाए।

आवाजेंः नहीं जी, आप इसको पास करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि हरियाणा में प्रोपर्टी टैक्स भुरू नहीं हो रहा है, इसलिये हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, वे गलत कह रहे हैं। आज सारे हरियाणा के ऊपर प्रौपर्टी टैक्स लगा हुआ है। अगर सरकार हाउस टैक्स लगाना चाहती है तो पहले प्रौपर्टी टैक्स को खत्म करने का बिल लाये, उससे पहले यह हाउस टैक्स न लगाया जाए। (ोर)

Mr. Speaker: I have taken the sense of the House. Now I would put the motion to the vote of the House (Interruptions)

Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendent) Bill cluase by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

The Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now I would request the Hon. Minister to move the next motion.

Local Government Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move-

That the Haryana Municipal (Second Amendent) Bill cluase by clause.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendent) Bill cluase by clause.

Shri Shamsher Singh (Narwana): Speaker Sahib, I want to speak .... (Interruptions)

स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने जवाब देते हुए यह बात कही कि इस अमैंडमैंट के द्वारा वह सैक ान 101 को डिलीट करना चाहते हैं यह कोई खास बात नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से व सरकार से कहता हूं कि एक तरफ तो वह यह दलील देते हैं कि इस बिल की इतनी अमरजैंसी नहीं है, वह इसको केवल डिलीट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वह इस बात के लिये इतने कीन हैं कि वह इस बिल को पास करवाने के लिये यह चाहते हैं कि बिल को र ा थ्रू कर दिया जाए, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। स्पीकर साहब, ऐसा मालूम होता है कि इसके अन्दर जरूर हैन्की पैंकी है कि जो 70 परसैंट गरीबों को फायदा मिला हुआ है इससे उन लोगों को डिपराईव करना चाहते हैं और जो अमीर लोग हैं उनको इस के द्वारा रिलीफ देना चाहते हैं इसलिये मेरी आपसे दरखास्त है कि सरकार का जो बिल को र ा थ्रू करने का मकसद है इससे सरकार पर और मिनिस्टर के फंक ानज पर रिफलैक ान है इसलिये यह अच्छा होगा कि सरकार इस बिल को वापिस ले ले और मैम्बर साहेबान को टाईम दिया जाए। 26 तारीख को सरकार ने यह पब्लि ा किया और आज यह ऐजण्डे पर दिया गया है, जिसके कारण मैम्बरों को इसके ऊपर सोच विचार करने का मौका ही नहीं मिला। (ाोर)

श्री मूल चन्द जैन (संभालका): स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर मखातलिफ सदस्यों की बहस सुन रहा था। अब यह तीसरी रीडिंग है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से धारा 101 म्युनिसिपल एक्अ में इंट्रोडयूस हुई है तब से प्रौपर्टी टैक्स की वसूली बन्द हो गई है। अगर इसको डिलीट करेंगे तो क्या इससे हमारी स्टेट में प्रौपर्टी टैक्स की वसूली भाुरू नहीं हो जाएगी ? इस एक्ट का यह असर हो जाएगा कि अब तक तो यह पोजी ान थी कि प्रौपर्टी टैक्स वसूल नहीं हो रहा था क्योंकि सैक ान 101 ए म्युनिसिपल एक्ट में था। अब इस सैक ान को डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने का नतीजा यह होगा कि कुदरती तौर पर इधर हाउस टैक्स भी वसूल होगा और उधर प्रौपर्टी टैक्स भी वसूल होगा। अगर सरकार की यह मन ाा है तो सरकार इस काम को करे लेकिन सरकार की अगर ऐसी मन ाा नहीं है तो इस सैक ान को डिलीट न किया जाए। अगर मैं गलता हूं तो वे मुझे बताएं– (ाोर)–

Mr. Speaker: I can only say that if there is any doubt regarding the provision of the Bill, the Government may like to have more time to consider the matter.

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, हमारे आनरेबल मैम्बर श्री सुरजेवाला ने जो कहा उसके बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी मौजूद थे, यह सब कुछ इनके सामने पास हुआ है, तभी यह बिल आज यहां पर लाया गया है। वे खुद कह रहे हैं कि सरकार यह बिल यहां पर क्यों लाई है यहां तो केवल यही कहा गया

है कि सैक ान 101 को डिलीट किया जा रहा है (ाोर) दूसरे मेरे मोहतरिम दोस्त श्री मूल चन्द जैन जी ने भी एक बात कही इसलिये मैं हाउस में सैक ान 101 को एक बार फिर पढ़ देना चाहता हूं उसमें लिखा है कि –

"101-A. No tax payable by the owner on building and lands shall be imposed, levied and charged under this Act in any rating area during the period under sub-section (1) of section 3 of the Punjab Urban Immovable Property Tax Act, 1940, is charged, levied and paid in such area:

स्पीकर साहब, यह सैक ान बहुत क्लीयर है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हाउस टैक्स खत्म करके प्रौपर्टी टैक्स में मर्ज कर दिया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रौपर्टी टैक्स खत्म करके हाउस टैक्स चार्ज किया जाए। इसके अन्दर आलरैडी क्लाज सैवन्थ थी कि अगर इम्मूवेबल अर्बन प्रौपर्टी टैक्स के नीचे हाउस टैक्स चार्ज किया जा रहा है तो हाउस टैक्स चार्ज नहीं होगा। इस समय यह क्वै चन नहीं है कि हाउस टैक्स चार्ज न करने से प्रौपर्टी टैक्स चार्ज नहीं होगा या चार्ज करने से प्रौपर्टी टैक्स चार्ज हो जाएगा। यह क्लास तो सिम्पल अब प्रौपर्टी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, हाउस टैक्स चार्ज होगा, इसको सैप्रेट कर दिया गया है, इसलिये इस सैक ान की आव यकता नहीं है, यह अननसैसरी इस एक्ट में खड़ा है और फण्डामैंटल चीज को समाप्त कर दिया गया है। यह तभी डाला गया था जब हाउस टैक्स को निकाल कर प्रौपर्टी टैक्स में मर्ज कर दिया गया था और तब इस सैक ान की आव यकता

पड़ी थी अदरवाईज इस सैक ान की जरूरत नहीं थी। आज जब यह फैसला कर दिया गया है कि हाउस टैक्स चार्ज होगा तो इस सैक ान की आव यकता नहीं है।

विकास तथा पंचायत मंत्री (चौधरी भजन लाल): दोनों टैक्स नहीं लगने चाहियें, इसको आप देख लें।

चौधरी राम लाल वधवा: इस समय एक टैक्स लगा है, हाउस टैक्स तो लगा ही नहीं है।

कई सदस्य एक साथ: इससे तो दोनों ही लगेंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है और मैं बता देना चाहता हूं कि हाउस टैक्स लगेगा, प्रौपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: अभी मंत्री महोदय ने जो हाउस में अ योरैंस दी है, इसकी इम्पली मैंटे ान तभी होगी जब सरकार अगले बजट सै ान में प्रौपर्टी टैक्स एक्ट को रिपील करने के लिये बिल लाएगी, तभी यह अ योरैंस इम्पलीमेंट होगी। इस वक्त पोजी ान यह है कि अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स को रिपील करने का आर्डिनैंस पिछली सरकार ने जारी किया था। उस आर्डिनैंस को जब एक्ट बनाने लगे तो वह एक्ट नहीं बना और आर्डिनैंस लैप्स हो गया। और अर्बन इम्मूवेलबल प्रौपर्टी टैक्स हमारी स्टैच्यु बुक में ज्यों का त्यों खड़ा है और इसके अधीन प्रौपर्टी टैक्स लग सकता है।

चौधरी राम लाल वधवाः ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि यह मेरा विभाग नहीं है, वह अलग विभाग है। (व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः तभी तो हमने कहा था ? (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः आप मेरी बात तो सुनिए, आप इतना क्यों बुथला रहे हो ? (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं क्लीयर कर देता हूं, अगर ऐसी बात इसमें है .... (व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि हम प्रौपर्टी टैक्स चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, कोई मैम्बर सदन में यह तो कहे कि चार्ज कर रहे हैं ? (व्यवधान) और अगर कोई लीगल बात रह गई है तो हम इसमें अमैंडमैंट ले आएंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आप बार बार अमैंडमैंट क्यों लाना चाहते हैं ?

Mr. Speaker: I think, after the assurance given by the Minister all objections of the members should be met.

I will now put the motion to the vote of the House.

Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendent) Bill be passed.

The motion was carried.

दोपहर के भोजन के लिए सदन का स्थगन

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, हमने पास कर दिया है कि आज नान–स्टौप मिटिंग होगी। अब दोस्तों की तरफ से मांग आ रही है कि बाद में (बाद दोपहर) मीट कर लेंगे। अगर हाउस की सैंस हो तो 3 बजे तक हाउस अडर्जन कर दें और बाद में मीट करेंगे।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendent) Bill cluase by clause.

आवाजें : ठीक है जी।

Mr. Speaker: Now that the Bills have already been passed, I would like to make one observation. I would request the treasury benches to ensure that the bills are printed sufficient well in time and circulated in future. लास्ट नाईट विधान सभा का स्टाफ साढ़े 11, पौने 12 बजे तक काम करता रहा और बिल्ज 6 बजे सुबह डिस्ट्रिब्यूट किए। रात को पौने 12 बजे बसें बन्द हो जाती हैं, और स्टाफ को घर जाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था। इनके लिये मैंने 2 टैक्सियों का प्रबन्ध किया था और घर भेजा। Therefore, I would request that the bills should be sumitted well in time.

Now the House stands adjourned till 3.00 P.M. today.

(The House then adjourned for lunch & re-asembled at 3.00 P.M.)

आधे घन्टे की चर्चा–

चण्डीगढ़ से कार्यालयों का स्थानांतरण संबंधी

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब आधे घंटे की डिस्क ान होगी जो कि स्टार्ड क्वै चन 707 से सम्बन्धित है। राव दलीप सिंह।

15.00 बजे।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, स्टार्ड क्वै चन 707 के जवाब में श्रीमान मंत्री ने यह फर्माया था कि बिजली बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इसका दफ्तर हिसार ि ाफ्ट कर दिया जाये। उन्होंने यह भी बताया था कि बोर्ड के ि ाफ्ट करने से किराए की जो रा ि ा यहां खर्च करनी पड़ती है वह वहां खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसी आधार पर इस बोर्ड को ि ाफ्ट कर रही है कि किराए का बोझ कम हो जायेगा या इसके अलावा कोई और भी आधार है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यहां जो और भी आफिस हैं या बोर्ड के दफ्तर यहां हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट हैड– क्वाटर्ज पर ि ाफ्ट करना है या सिर्फ बिजली बोर्ड तक ही सीमित रहना है ? स्पीकर साहब, सरकार ने जनवरी के महीने में यह फैसला किया था कि बोर्ड यह डिसाइड करें कि इसने अपना हैड क्वार्टर फरीदाबाद ले जाना है या पंचकूला रखना है। एच0एस0ई0बी0 ने जनवरी के महीने में ही यह डिसाइड किया कि यह अपना दफ्तर पंचकूला में ले जायेंगे। बाद में अगस्त के महीने में गवर्नमैंट ने फैसला करके बोर्ड

को यह लिखा कि आप बोर्ड के आफिस को किसी सैंट्रल प्लेस में ले जायें। नवम्बर के महीने में बोर्ड ने यह फैसला किया कि इसका आफिस हिसार ले जाया जाये। तो स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब गवर्नमैंट की हिदायत थी कि हैड क्वार्टर सैंट्रल प्लेस में ले जाया जाये तो क्या हिसार सैंट्रल प्लेस है और क्या गवर्नमैंट ने यह स्पैसिफिक इन्स्ट्रक ान दी थी कि बोर्ड को हिसार ले जाया जाये ? स्पीकर साहब, गवर्नमैंट ने 10–1–78 को यह फैसला किया कि एच0एस0ई0बी0 के 165 ऐम्पलाइज हिसार ि ाफ्ट कर दिये जायें जबकि वहां रहने की कोई सुविधा नहीं है और न ही कोई कालोनी है। वहां ऐम्पलाइज धर्म ााला में ठहरे हुए हैं या इधर उधर ठहरे हुए हैं। अगर बोर्ड ि ाफ्ट करना ही था तो पहले कालौनी बनाई जानी चाहिये थी बाद में बोर्ड ि ाफ्ट किया जाना चाहिए था। स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि ब्यास कंट्रोल बोर्ड और भाखड़ा मैनजमैंट बोर्ड के आफिसिज चण्डीगढ़ में ही हैं। उनसे तालमेल रखने के लिये एच0एस0ई0बी0 का दफ्तर भी यदि यहां रहे तो ठीक है वरना इसके चेयरमैन यहां आयेंगे, बोर्ड के मैम्बरान यहां आयेंगे और उनका टी0ए0 और डी0ए0 सरकार को देना पड़ेगा। इससे खर्चा कम नहीं होगा और न ही मैनेजमैंट को यह सुविधा होगी जो कैपिटल में हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि किराए का फायदा होगा जबकि इन्होंने बिजली बोर्ड के मकान वहां बनाये नहीं। ये कहते हैं कि मिनी सैक्रिटेरियट में रहेंगे। मिनी सैक्रिटेरियेट गवर्नमैंट की बिल्डिंग है। उसका किराया बोर्ड को देना पड़ेगा। उस पर बताया जाता है कि 90 लाख रुपया

खर्च हुआ है। इस वक्त आधी बिल्डिंग बोर्ड को दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 40–475 हजार रुपया बोर्ड को देना पड़ेगा। तो मैं यह समझता हूं कि किराए का आधार जो ये बता रहे हैं ऐसा नजर आता है कि ठीक नहीं है। अब जो कालोनी बनाई जा रही है वह नौ दस किलोमीटर की दूरी पर है और वह ऐसी जगह बनाई जा रही है जहां इन्डस्ट्रियल एरिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मानता हूं कि इसके लिये कोई आधार होना चाहिये। यदि किसी आफिस को बाहर ि ाफ्ट करना है तो उसके बारे में स्टेट की कोई पौलिसी होनी चाहिये। किसी सैंट्रल प्लेस में ि ाफ्ट करना है या किसी वि ोश जगह पर ले जाना है या आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के लिये चण्डीगढ़ को खाली करना है। खाली एक आफिस को बाहर ले जाने से काम नहीं चलेगा। उसमें भी यह आधार नहीं बताया गया कि किस वजह से आफिस ि ाफ्ट किया जा रहा है। यह बात स्पश्ट होनी चाहिये कि ऐसा करने का हमारा आधार क्या है आया प्रौफिट या लौस का आधार है, अच्छे मैनेजमैंट का आधार है या हरियाणा के रैजीडैंट को सर्विस देने का आधार है। ऐसा न करने से सिवाय बैड मैनेजमैंट की झलक के और कोई झलक नजर नहीं आती तो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसके बारे में सरकार की क्लीयर पौलिसी बताएं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः रूल्ज के अनुसार जिन्होंने आधे घंटें की डिबेट के लिये लिखा है वे ही बोल सकते हैं और मंत्री जी बोल

सकते हैं। जिन मैम्बर्ज ने हाफ एन अवर की डिबेट के लिये लिखा है उनके नाम हैं राव दलीप सिंह, श्री मांगे राम गुप्ता और चौधरी जगजीत सिंह पोहलू। अब चौधरी जगजीत सिंह पोहलू बोलेंगे।

चौधरी हुक्म सिंहः स्पीकर साहब इस पर सबको बोलने का मौका दिया जाए।

Mr. Speaker: Rule 57 (5) says that there shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortely. Any member who has previously intimnated to the Speaker may be permitted to put a question for the purpose of further elecidating any matter of fact.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि हरियाणा को बने दस ग्यारह साल हो चुके हैं। भााह कमी ान की रिपोर्ट में क्लीयर लिखा है कि हरियाणा को अगर चण्डीगढ़ दिया जाता है तो ही हरियाणा कम्पन्सेट होता है लेकिन आज के हालात से ऐसा मालूम होता है कि भााह कमी ान की रिपोर्ट की इम्पलीमैंट करवाने में सरकार नाकामयाब रही है, पिछली सरकार भी रही है और यह सरकार भी रही है। इसके मुकाबले में इन्दिरा गांधी का अवार्ड भी मिला था। उसमें लिखा था कि चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा को फाजिल्का, अबोहर और 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसलिये मैं आपके जरिये चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि चन्डीगढ़ के बारे में हमारी क्लीयर पौलिसी होनी चाहिये कि चन्डीगढ़ हमने रखना है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इस डिस्क ान का ताल्लुक तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के आफिस को ि ाफ्ट करने से है। इसमें इन्होंने चन्डीगढ़ का मसला कैसे छेड़ दिया ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ से जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफ्तर बदला गया है इससे साफ जाहिर है कि चूंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की बादल से दोस्ती है, इसलिये बादल साहब दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह डिस्क ान केवल स्टार्ड क्वै चन 707 तक ही सीमित रहेगी। स्टार्ड क्वै चन 707 मैं आपकी इन्फर्मे ान के लिये पढ़ देता हूं। यह इस प्रकार है –

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Head Offices of any Department form Chandigarh to District Headquarters; and

(b) if so, the names of such Departments ?

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिस्क ान केवल इस सवाल तक ही सीमित रखें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, सवाल इस बात का है कि छोटा सा हमारा हरियाणा है और चण्डीगढ़ में हमारे सारे के सारे दफ्तर हैं। इसका लाभ यह है कि एक आदमी अगर यहां आता है तो हर महकमे के काम को वह आसानी से करवा

सकता है। (विघ्न) जो लोग अम्बाला में बसते हैं या कालका में बसते हैं उनके लिये आप देखें कि हिसार कितनी दूर है। (विघ्न) ये इस बात को कहते हैं कि हिसार हरियाणा में है और अब हरियाणा की धरती पर काम होता है। यह बात गलत है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हिसार हरियाणा के सैंटर में है यह बात भी गलत हैं हरियाणा का सैंटर तो कैथल पड़ता है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंहः बिलकुल नहीं, सैंट्रल प्लेस तो जींद है। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : इसका मतलब यह हुआ कि ये हिसार को हरियाण की राजधानी बनाना चाहते हैं। (विघ्न) तो चण्डीगढ़ से इसकी इस तरह से रैलेवैंसी बनती है मैं सी0एम0 साहब से कहना चाहता हूं कि हम हरियाणा को लूट भी लें तो भी ऐसी राजधानी नहीं बनेगी जैसी चण्डीगढ़ है। हरियाणा तो पहले ही टैक्सों से लदा हुआ है, हरियाणा पर और कितना ही टैक्सों का बोझा लाद दें परन्तु ऐसी राजधानी नहीं बन सकती है। पंजाब की राजधानी पटियाला बन सकती है। हमारे पास तो कोई भी ऐसा भाहन नहीं है जहां पर इतनी बड़ी राजधानी बन सके।

श्री अध्यक्षः आपका मकसद यह है कि सरकार अपनी पालिसी के बारे में बताये। अगर आप इसी तरह से 15—20 मिनट में यही बातें करते रहे तो इस डिबेट से कोई मकसद हल नहीं होगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, आज बिजली बोर्ड का दफ्तर हिसार ले जा रहे हैं। वहां पर हजारों लोगों को ले जाना है। वहां न कोई रहने के लिये मकान हैं और न ही और कोई जगह है। मैं तो यह कहूंगा कि चण्डीगढ़ जैसा ठंडा भाहर कोई भी नहीं है। चण्डीगढ़ में कालेज हैं, यूनिवर्सिटी हे, पी0जी0आई0 है। इतना बड़ा हस्पताल हिन्दुस्तान में नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बिजली बोर्ड का दफ्तर चण्डीगढ़ में ही रखा जाये। यहां एम्पलाइज के लिए हस्पताल का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है। जैसे अभी पिछले दिनों आनरेबल मिनिस्टर श्री वीरेन्द्र सिंह की आंख खराब हो गई थी तो पी0जी0आई0 में ठीक हो गई। अगर हिसार में खराब हो जाती तो ठीक नहीं हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष: क्या पी0जी0आई0 की वजह से सारे दफ्तर यहां पर रखे जायें ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैडीकल ऐड भी बड़ी जरूरी है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इस दफ्तर को यहां से न बदला जाये और जो एम्पलाइज वहां पर गये हैं उनको भी वापिस लाया जाये। चण्डीगढ़ में जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हो सकता है वैसा वहां पर नहीं हो सकता। इसलिये मेरी फिर गुजारि ा है कि चण्डीगढ़ में ही बिजली बोर्ड का दफ्तर रखा जाये। चण्डीगढ़ सारा का सारा हमारा है और हमारे पास ही रहेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता (जीन्द): स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने बिजली बोर्ड के दफ्तर को हिसार में ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। यह सरकार की तरफ से बहाना है कि वहां ले जाने पर काम में बढ़ौतरी होगी। वहां ले जाने से काम में कोई बढ़ौतरी होने की सम्भावना नहीं है। यह कोई खास वजह दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे तो कोई और ही कारण है। स्पीकर साहब, जहां पर आम लोगौं का काम पड़ता है वहां डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बिजली के दफ्तर बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एक्स0ई0एन0 बैठता है उससे उनके काम हो जाते हैं। बोर्ड का सीधा लिंक सरकार के साथ है और सारा काम चण्डीगढ़ में होता है। जब भी कोई मिटिंग होती है, चण्डीगढ़ के दफ्तर के साथ ही होती है। जैसे पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज कमेटी की मीटिंग हैं, अगर उन लोगों को इस मीटिंग को अटैंड करने के लिये हिसार से आना पड़ा तो सरकार को नुकसान के सिवाए कोई लाभ नहीं हो सकता है। जो अधिकारी हिसार से चण्डीगढ़ आयेंगे उनको टी0ए0 और डी0ए0 देना पड़ेगा जिससे सरकार का खर्चा बढ़ेगा। अगर यह दफ्तर यहीं रहे तो उनको कोई टी0ए0 और डी0ए0 नहीं देना पड़ता है। आपको पता है कि किसानों को पहले ही डीजल नहीं मिल रहा है। तेल की बड़ी भारी किल्लत है। अगर वे हिसार से यहां आयेंगे तो उनकी गाड़ियों में काफी पैसा तो तेल पर ही खर्च हो जायेगा। बोर्ड के चेयरमैन यहां पर ही रहेंगे क्योंकि जो बिजली बोर्ड का चेयरमैन है वह सैक्रेटरी और कमी नर भी होता है इसलिये वह तो यहीं पर रहेगा। बोर्ड के जो मैम्बर हैं वे भी यहीं रहेंगे तो फिर किस तरह से काम चलेगा ? मैं तो सरकार से

निवेदन करूंगा कि चण्डीगढ़ में दफ्तर रखना चाहिए। अभी तक हरियाणा की कैपिटल चण्डीगढ़ है। जब तक हरियाणा की राजधानी का फैसला नहीं हो जाता कि वह किस भाहर मैं जायेगी तब तक यहीं पर रखना चाहिये। बोर्ड तो वहीं पर जाना चाहिये जहां पर राजधानी जाये। जैसे हरियाणा का जींद सैन्टर है, यह दफ्तर तो वहां पर जाना चाहिये क्योंकि उससे सारे हरियाणा के लोगों को लाभ हो सकता है। हिसार में तो पहले ही बहुत सारे दफ्तर हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। दूसरे ओर भी बड़े ट्रेनिंग सैंटर बने हुए हैं। मैं तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको सभी भाहरों को अपना समझ कर बढ़ावा देना चाहिये। हमारे यहां जीन्द में कोई भी ट्रेनिंग सैंटर नहीं है।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि बोर्ड का दफ्तर वहीं रखना चाहिये जहां पर राजधानी हो। जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी सहूलियत रहे। मैम्बर साहिबान को भी यहां दफ्तर रहने से सहूलियत हो सकती है क्योंकि उनका भी बोर्ड से काम पड़ता रहता है। इसलिये सरकार ने जो फैसला किया है इस पर फिर से विचार करना चाहिए और बोर्ड का दफ्तर यहीं पर ही रहना चाहिये।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, यहां पर काफी विस्तार से इस सवाल के बारे में मैम्बर बोले हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीन सदस्य बोर्ड के ऊपर ही बोलें और उन्होंने कोई वि ोश बात नहीं कही है। मैं हाउस के सामने गवर्नमैंट की पालिसी वाजह तौर पर बताना चाहता हूं। जहां

तक गवर्नमैंट के हैड आफिसिज का सवाल है उनको सरकार चण्डीगढ़ से परे ि ाफ्ट नहीं करना चाहती हैं गवर्नमैंट की पालिसी वाजह तौर पर बताना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल चण्डीगढ़ को हरियाणा की राजधानी मान कर चल रहे हैं और यह हरियाणा की राजधानी रहेगी।

एक बात और वाजह तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे कुछ दोस्तों ने खामख्वाह इस किस्म का वातावरण पैदा करने की कोि ा ा की है जिससे पार्टी की नियत पर भाक हो। हम इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे हमें चण्डीगढ़ से हाथ धोना पड़े। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते। चण्डीगढ़ हमारा है और हमारा रहेगा।

जहां तक कारपोरे ान बोर्ड, कमी ान और फैडरे ान के दफ्तरों को चण्डीगढ़ से ि ाफ्ट करने का सवाल है उस बारे में 12—8—78 को कैबिनिट ने फैसला किया है—

"It was decideds that the shifting of offices of Corporation/Boards/Commission/Federations at Chandigarh to district headquarters or other places in Haryana should be decided in eacdh case on merits by the concerned administrative department, taking into consideration convenience, efficiency and other relevant factors. Decisions in all cases will be taken by the Minister-in-charge with C.M.'s approval ...." This was the decision which was taken by the Cabinet on the 12th August, 1978.

वेरियस डिपार्टमैंटस के नीचे जितने भी बोर्ड, कारपोरे ान या फैडरे ानज बनी हुई है उनके बारे में अलग अलग सदन में बताना चाहता हूं ताकि किसी के मन में भाक न रहे। सबके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले डिपार्टमैंट आफ इंडस्ट्री है। इसके तहत काफी कारपोरे ान्ज आती हैं जैसे–

Haryana Financial Corporation: The matter regarding the shifting of the Corporation was examined sometime back but no final decision has been taken so far.

The same is the position with regard to Haryana State Small Industries & Export Corporation; Haryana State Handloom and Handicrafts Corporation; Haryana Khadi & Village Industries Board; and Haryana State Industrial Development Corporation.

The position with regard to the Subsidiary companies of Haryana State Industrial Development Corporation is as under :-

Haryana Tanneries Limited : The factory is located at Jind. Managing Director of the Company has his office at Chandigarh. No deceision of shifting of his headquarters has been taken so far. The new Chairman's Headquarters have not yet been fixed.

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मंत्री महोदय की यह स्टेटमैंट सैन्फ कन्ट्राडिक्टरी है। पहले इन्होनें यह कहा है कि कोई भी आफिस यहां से ि ाफ्ट करने का मैटर अन्डर कंसीड्रे ान नहीं है और यह बता रहे हैं कि अन्डर कंसीड्रे ान है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेरे ख्याल में मेरे लायक दोस्त आदमी भी बहुत बढ़िया थे और वकील भी बहुत अच्छे हैं He was a very good man now he is not a very good man. पता नहीं क्यों इनको कन्फयूज्न रहती है। कांग्रेस (आई) वर्कर्ज को छोड़ने का फैसला लेने के बारे में आज ही सी0एम0 साहब से सलाह करेंगे कि वह छोड़ने हैं या नहीं।

Mr. Speaker: He is giving detailed break-up.

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं कारपोरे ान्ज और बोर्ड का जिक्र कर रहा हूं। अगर सारे मैम्बर्ज इसमें इन्ट्रैस्टिड नहीं है, तो इसे नहीं पढ़ता।

आवाजें: नहीं जी, आप पढ़िये।

Shri Verender Singh: The position about these is as under:-

Haryana Minerals Limited: It is located at Narnaul. However its Managing Director having additional charge of Joint Director Industries sits at Chandigarh. No decision so far has been taken for shifting of his headquarters. The new Chairman's Headquarters have not yet been fixed.

Haryana Breweries Limited: The Company is located at Murthal. However, its Managing Director has his office at Chandigarh and no decision to shift headquarters has been taken so far. Haryana Television Limited & HaryanaConcast Limited: The same is the case with these two companies.

Department of Agriculture

The following Corporation come under this department:-

1.	Haryana Warehousing Corporation;
2.	Haryana Agro-Industries Corporation;
3.	Haryana Seed Development Corporation;
4.	Haryana Land Reclamation & Development Corporation and
5.	Haryana State Agriculture Marketing Board.

No decision about shifting of the Headquarters outside Chandigarh has yet been taken about any one of these Corporations. The views of these Corporation about shifting to places in Haryana have, however, been called from the Administrative Secretaries and the decision is still awaited.

Department of Co-operationj

The following institution come under this department :-

1.	Haryana Diary Development Co-o-operative Federation;
2.	Haryana State Federation of Co-o-opertive Sugar Mills;
3.	Haryana State Industrial Co-o-operative Federation;
4.	Haryana State Co-operative Development Federation;

5.	Haryana State Co-operative Land Development Bank;
6.	Haryana State Co-operative Bank;
7.	Hafed;
8.	Haryana State Federation of Consumer Wholesale Stores Limited; and
9.	Labour and Construction Co-operative Federation.

In a meeting held on 15-7-1978 chaired by the Minister of Co-operation the question of shifting these institutions was considered and it was decided that the question of shifting be re-considered on receipt of proposals for shifting from these institutions themselves. So far no institution has sent any proposal except the Dairy Development Co-operative Federation. The question of shifting the office of Haryana Dairy Development Co-operative Federation to Rohtak is still under consideration.

Department of Social Welfare

No decision has so far been taken with regard to the shifting of the Administrative office of the Nigam from Chandigarh to any ot the district Headquarters. However, a plot has been purchased by this Nigam at Panchkula for constructing the building of Harkalyan Binders & Printers, Panchkula, a unit of this Nigam.

Department of Education

The Board of School Education, Haryana and Haryana Hindi Granth Academy are also under Administrative Conrol of

the Education Department. There is no proposal to shift the office of the Haryana Hindi Granth Academy from Chandigarh to any place in Haryana.

2. So far as the Board of School Education is concerned, a proposal in under consideration to shift the Board's office from Chandigarh to Bhiwani. No final decision has been taken. Now comes the department of Town & Country Planning and next comes the Haryana State Electricity Board. जिसके लिये हमारे माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। बोर्ड और कारपोरे ान्ज के आफिसिज को ि ाफ्ट करने के लिये यह सरकार ही नहीं बल्कि पिछली सरकार भी बड़ी गम्भीरता से सोच रही थी और पिछली सरकार का यह फैसला था कि बोर्ड के आफिस को या तो फरीदाबाद में या फिर पंचकूला में ि ाफ्ट करने का मैटर एग्जामिन किया जाये। यह पिछली सरकार का फैसला था। आखिर हमने भी इस मैटर को एग्जामिन किया और यह सुझाव एक स्टेज पर आया कि क्योंकि जींद सैंट्रली लोकेटिड प्लेस है, क्यों न इसके आफिस की अकोमोडे ान अवेलेबल है और न ही वहां पर कालोनी बनाने के लिये इतनी जल्दी जमीन अवेलेबल हो सकती थी जितनी जल्दी हिसार में अवेलेबल हुई है। तो यह फैसला किया गया कि इसके आफिस को हिसार में बदल दिया जाये।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। कैथल में जमीन बहुत है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सी0एम0 साहब ने यह अ योरैंस दी थी कि सब को बराबर समझा जायेगा, वह अब कहां पर गयी है ?

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, there is no point of order. Please do not interrupt. You plase sit down. This is not a point of order (Interruptions)

Shri Virender Singh: I want to inform my Hon. friend that kaithal was never considered for shifting the headquarters of Haryana State Electricity Board.

ि ाफ्टिंग के लिये बोर्ड ने अपनी मीटिंग में जो क्राइटेरिय या जो ग्राउन्डज लिये वह 5–6 हैं, जो मैं उन्हीं की फाईल से पढ़ कर सुनाता हूं–

नम्बर 1. टयूबवैल्ज और उद्योग तथा घरेलु उपभोक्ताओं की सेवा के लिये जितने भी बिजली के कुनैक ान हैं, वह सारे हरियाणा राज्य में ही स्थित हैं। अतः उनकी देखभाल चण्डीगढ़ से भली भांति नहीं हो पा रही इसलिये उपयुक्त यही होगा कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के मुख्यालय को राज्य में ही ि ाफ्ट किया जाये।

नम्बर 2. वित्तीय दशि्ट से भी फील्ड आफिसर्ज जो चण्डीगढ़ मैं हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के मुख्यालय मैं होने वाली मीटिंगो में भाग लेने के लिये दूसरे स्थानों से आते हैं, भारी खर्चा गाड़ियों में पैट्रोल के खर्च के रूप में उन पर पड़ता है। टी0ए0/डी0ए0 के रूप में भी बड़ा भारी खर्चा होता है और इसी प्रकार से जब चंडीगढ़ से बिजली बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य इंजीनियर्ज, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की देखरेख के लिये राज्य में जाते हैं तो आव यकता से

अधिक खर्चा होता है। अतः यदि बोर्ड के मुख्यालय को ि ाफ्ट कर दिया जाये तो खर्चा बच सकता है।

नम्बर 3. यदि बोर्ड का मुख्यालय राज्य में होगा तो अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्तक रखने की पूरी आ ा की जा सकेगी जिससे लोगों की ि ाकायतें कम हो जायेंगी और जो अनियमतितायें इस समय क्षेत्र में हो रही हैं, वे कम होने की आ ा है।

चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के पास जो भवन है इस समय उसका वार्शिक किराया चार लाख साठ हजार रुपये है। यदि यह मुख्यालय ि ाफ्ट कर दिया जाये तो उस भवन का किराया बच सकता है और बोर्ड को इतने धन की बचत हो सकती है।

Mr. Speaker: I would request the Hon. Minister to try to wind up.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों तथ कर्मचारियों को जो भत्ता इस समय चण्डीगढ़ में रहते हुए मिल रहा है वह मुख्यालय हिसार चले जाने के प चात कतई तौर पर बन्द होगा।

Rao Dalip Singh: These remarks apply to all the Board/Corporations etc. and not only to the Electricity Board.

Shri Verender Singh: Those are being considered. That is under the consideration of the Government. इस समय पचार हजार रुपया माहवार भत्ते की भाक्ल में जा रहा है। ि ाफ्ट करने से गवर्नमैंट को तकरीबन 6 लाख का फायदा होगा। यह सारी चीजें कंसिडर करके इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

राव दलीप सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब उस दफ्तर को अपने घर ले गए हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): मेरा घर सिरसा जिले में है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः राव दलीप सिंह ने कहा कि जो कर्मचारी वहां गए हैं वे धर्म ााला में रह रहे हैं। यह बिल्कुल झूठ और गलत है। सब को मकानात मिले हैं और जिन्हें नहीं मिले उनका बाकायदा यूनिवर्सिटी कैम्पस में इंतजाम किया गया है और कोई और इंतजाम किया गया है। नई कालोनी आठ नो महीने में तैयार हो जाएगी। मिनी सैक्रिटेरियट का केवल एक ब्लाक लिया गया है और वही सफि ाएंट हैं इन हालत में सरकार ने जो फैसला किया है वह हरियाणा के लोगों के हक में किया है।

Mr. Speaker: I must congrulate the Minister for delivering a very well prepared, detailed, clear and forthright exposition of the policy of the Government regardign shifting of offices. The Ministers has obviously burnt the midnight candle in

doing his home work. I would wish that everybody else would also spend that much time in his home work.

सरकार संकल्प

संविधान (45वां सं ाोधन) विधेयक, 1978 के अनुसमर्थन सम्बन्धी

Mr. Speaker: The House will now resume discussion on the official resolution moved by Shri Verender Singh on the 26th December, 1978, regari9dng ratification of the Constitution (Forth-fifth Amendemnt) Bill, 1978.

श्री सुरेन्द्र सिंह (तो ाम): अध्यक्ष महोदय, संविधान का 45 वां सं ाोधन हिन्दुस्तान की संसद ने रेटिफिके ान के लिये हरियाणा विधान सभा के लिये भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनाने के बाद इस संविधान सं ाोधन द्वारा कोई बेसिक तबदीली नहीं की बल्कि इसे उसी भाक्ल में रखा है जिसको वह अक्सर गालियां निकाला करते थे। (व्यवधान) स्वामी जी मेरे पास **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उस अमैंडमैंट की कापी है जिसमें आपने एमरजैंसी को भी रखा है। स्वामी जी मेरे पास उस अमैंडमैंट की कापी भी है जिसमें आपने डिटैं ान को भी रखा है। स्वामी जी मैं तो इससे भी ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े भारी गीत गाते थे लेकिन उसको भी अंडरग्राउंड करके रखा है। मैं यह नहीं कहता कि आपने न्यायपालिका के अधिकार छीन लिये हैं लेकिन संविधान सं ाोधन के बारे में

हिन्दुस्तान की सर्वोच्च न्यायालन ने जो विचार किसी मुकद्दमे में प्रकट किए कि हिन्दुस्तान के संविधान का जब कभी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो तो हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट उसको चेंज नहीं कर सकेगी, क्या आपने उसका पालन किया है। आप याद करें उस वक्त को जब आप अदालतों को चेलैंज करते थे (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ला मिनिस्टर ने इस सं ाोधन में जो एमरजैंसी प्रोवीजन को डिस्कस किया है उस पर अपने विचार रखूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, एमरजैंसी के बारे में जो प्रोवीजेन्सी के बारे में जो प्रोवीजन्ज हैं उसमें केवल कुछ भाब्द हेरफेर करके संविधान में रखे हैं (व्यवधान)

एक आवाजः क्या आपको अंग्रेजी आती है—

Shri Surrender Singh: I know better English than you.

Mr. Deputy Speaker: No direct talks please.

श्री सुरेन्द्र सिंहः फर्क केवल इतना है कि पहले इस एमरजेन्सी को उस संविधान के मुताबिक लागू कर सकते थे और अब अगर यह सं ाोधन पास हो गया तो एमरजैंसी को इस संविधान सं ाोधन के माध्यम से लागू कर दिया जायेगा आखिर एमरजैंसी तो हुई। एमरजैंसी होने के बाद इस सरकार ने भी एमरजैंसी को क्यों रखा ? There must be a need to use emergency with in the ambit of constitution. कांस्टीच्यू ान में एमरजैंसी के प्रोविजन का रखना इस बात का तसदीक करता है कि सरकार दूरद र्ीि है और अगर कभी भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एमरजैंसी लागू की जा सकती

थी और उन्होंने लागू की तो यह एमरजैंसी लगाई जा सकती है। सिर्फ एक भाब्द का हेरफेर था। उस वक्त यह था कि अगर मुल्क में इन्टरनल डिस्टरबेंसिज हो जाएं और सरकार मुनासिब समझे कि अब एमरजैंसी का लागू करना जरूरी है तो एमरजैंसी लागू हो सकती थी। अब इन्टरनल डिस्टरबेंसिज की जगह आम रेबिलियन भाटद इस्तेमाल किया गया है। वह रेबिलियन क्या होगा ? कोई ऐसी चीज इस सं ाोधन के अन्दर नहीं रखी है। इसमें न तो डिफाइन किया गया है और न ही डिफाइन किया जा सकता है। क्या मेरे लायक दोस्त यह बता सकते हैं कि बिहार के अन्दर पिस्टल की नोक पर मैम्बर्ज के इस्तीफ लिए जाते थे और कल को हमसे और आपसे दो आदमी या पांच आदमी इस्तीफा मांगें तो वह आम रेबिलियन होगा, इन्टरनल डिस्टरबेंसिज होगी या आप बता सकते हैं कि वह क्या चीज होगा ? क्या उस वक्त यह हालात नहीं थे जब 24 तारीख को रामलीला मैदान में आपके लीडर्ज ने यह काल दी थी कि सरकार दफतरों में, पुलिस अधिकारियों के और सरकार के हुक्म न मानो। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहना का मकसद यह है कि सरकार इसके ऐम्ज एंड आव्जैक्टस को देखे। डिप्टी स्पीकर साहब, जो यह फर्स्ट पैरा है उसको मैं पढ़ता हूं–

“Recent experience has shown that the fundamental rights, including those of life and liberty, granted to citizens by the Constitution are capable of being taken away by a transient majority. It is, therefore, necessary to provide adequate safeguards against the recurrence of such a contingency in the future and to ensure to the people themselves an effective voice

in determining the form of government under which they are to live. This is one of the primary objects of this Bill".

अगर यह सं ाोधन उस समय होता, अगर यह तरमीम 25 जून से पहले होती तो उस वक्त यह एमरजैंसी इस काननू के मातहत लगती। जब यह प्रोवीजन ही नहीं थी तो कांस्टीच्यू ान में .... (ाोर एवं व्यवधान) ....

Mr. Deputy Speaker: No Interruptions please.

श्री सुरेन्द्र सिंहः अगर आज आप एमरजैंसी लागू करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

आवाजेंः डिप्टी स्पीकर साहब, यह मिस लीड कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः यह मिस लीडिंग नहीं, मैं यह कहता हूं कि अगर यह पेरा आपका उस वक्त होता तो एमरजैंसी इसके माध्यम से लगती। उस वक्त अगर यह नहीं था तो जो कानून उस वक्त था उसके माध्यम से लगी। दूसरी बात रैफरैंडम के बारे में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं। रैफरैंडम के बारे लिखा है कि अगर .... (ाोर एवं व्यवधान) ......

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे आनरेबल साथी जो पुराना है उसको चाहते हैं या जो हमने इंट्रोडयूस किया है उसके बारे में कह रहे हैं, हमें तो यह ही नहीं पता चल रहा ...... (ाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे प्वायंट आफ व्यू में और इसमें क्या फर्क है सिर्फ लफ्जों का ही हेरफेर है और कुछ फर्क नहीं है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग यह कहते थे और इनके देसाई साहब भी यह कहते थे कि सदा सदा के लिये एमरजैंसी को खत्म कर देंगे। कहां गये इनके देसाई साहब, कहां खत्म कर दी एमरजैंसी ? जनता सरकार जो आज इसमें अमैंडमैंट कर रही है, वह पब्लिक के साथ जो कमिटमैंट की थी, उसके मुताबिक जनता की भावनाओं के मुताबिक इसमें अमैंडमैंट नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रैफरैंडम का सवाल हे हमारे कांस्टीच्यू ान में यह दिया गया है कि अगर दे ा के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल को चेन्ज करना हो तो (ाोर एवं विध्न)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इसमें रैफरैंडम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ये किस पर बोल रहे हैं ? That is why I am saying he is mistaken .... (Interruptions). He has not read the Bill (Interruptions).

Shri Surrender Singh: He is not listening (Interruptions). That clause was provided in the original Bill (Interruptions).

Shri Verender Singh: It is not in the Bill (Interruptions).

Shri Verender Singh: What I have moved is the Bill which has been passed by both the House of Parliament and that is before the House for ratification. It does not contain any clause regarding referendum .... (Interruptions).

श्री सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो जनता पार्टी का इलैक ान मेनीफैस्टो था उसमें जनता पार्टी की लीडरों ने जो कुछ वायदे किये थे उसके मुताबिक संविधान का सं ोधन पे ा नहीं किया गया। (ोर)

Mr. Deputy Speaker: Here you are to discuss the passed items only.

श्री दीप चन्द भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भाई सुरेन्द्र सिंह को यह बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के लीडरों ने वायदे किये थे, उसने तो नहीं किये थे।

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल है कि आर्टिकल 31 को इस संविधान से गायब कर देना किस हद तक वाजिब है ? अब हमारे लायक दोस्त यह कहेंगे कि हमने लोगों से राईट टू प्रौपर्टी भी नहीं छीना। मैं जनता पार्टी के लीडरों से एक बात कहूंगा कि आप सम्पति का अधिकार तो लोगों से ले रहे हैं और जो काम के अधिकार का वायदा आपने लोगों से किया था उससे मुकर रहे हैं .... (ोर)

श्री दीप चन्द भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जनता पार्टी ने यह वायदा किया था कि बंसीलाल

को अन्दर करेंगे लेकिन यह वायदा वह पूरा नहीं कर सकी। (हंसी), (ोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपने इनको बोलने के लिये सिर्फ दो मिनट ही दिये थे, टाईम का ध्यान रखा जाए क्योंकि अभी बहुत से मैम्बर साहेबान बोलने बाकी हैं .... (ोर)

श्री उपाध्यक्षः सुरेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये, अब कोई आपको इंट्रप्ट नहीं करेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि कांस्टीच्यू ान के तहत जो यह लोग करना चाहते हैं, चाहे वह हिन्दुस्तान की पार्लियौंट हो, चाहे हरियाणा विधान सभा हो, क्या ये उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिक्किम का किया। क्या आज के प्राईम मिनिस्टर उस तरीके से काम कर रहे हैं ?

Shri Verender Singh: Sikkim is not concerned with it. It is out of the context.

श्री उपाध्यक्षः आप इसके ऊपर न बोलिये।

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि अगर किसी प्वायंट की रैलीवेन्सी न हो तो क्या आनरेबल मैम्बर उसके ऊपर यहां बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्षः सुरेन्द्र सिंह जी, इसके ऊपर न बोलिये। जो प्वायंट यहां पर डिस्कस हो रहा है आप उसी पर बोलिये। (Interruptions). The Hon. Member may try to be relevant to the matter under discussion and finish within two minutes. (Interruptions).

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रैलेवेन्ट बोल रहा हूं आप ही बता दीजिये कि क्या छोड़ना है और किस पर बोलना है .... (ाोर) .... मुझे बार बार इंट्रप्ट किया जा रहा है। This is not the way of functioning in a democratic set up .... (ाोर) ....

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि यह जो अमैंडिंग बिल हमारे सामने है यह तो लोक सभा ने सर्वसम्मति से पास करके भेजा है। लोक सभा में तो इनके भी आदमी हैं फिर उसके बाद डिबेट होकर इस बिल को राज्य सभा में भेजा गया। राज्य सभा ने तीन चार क्लासिज को नहीं माना फिर बाद में लोक सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है सो अब यह अमैंडमैंट हमारे सामने है जिसको हमने रैटिफाई करना हे, मेरी समझ में नहीं आता कि कंट्रोवर्सी कहां पर रह गई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अब जब सारे सुनेंगे कि कंट्रोवर्सी समझ में आ जायेगी। कंट्रोवर्सी केवल इतनी है कि इस सं ाोधन के बाद जो राश्ट्र में इम्प्रूवमैंट ये लाना चाहते हैं, वह नहीं ला सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा0 कमला वर्मा): आपको इसकी चिन्ता क्यों है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जो राईट टू प्रौपटी सरकार ने लिये उसके बदले में सरकार को ऐसा चाहिये था कि वह राईट टू वर्क दे दे। इसके इलावा लोक सभा में यह कहा गया कि छठी पंचवर्शीय योजना में सब को जौब दे देंगे।

Shri Verender Singh: The time is being wasted. The Hon. Member should be asked to speak only on the resolution and the amendments which have come before the House.

Mr. Deputy Speaker: You are also interruping him.

श्री भाम ोर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत जनता पार्टी के मिनिस्टर व दूसरे साहेबान, से कहना चाहता हूं कि वे इतने इनटोलरैंट हैं कि एक तरफ तो वे प्रजातंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक मैम्बर को बोलते हुए सुन नहीं सकते। (ोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इंसान के लिये फन्डामैंटल राईटस बहुत जरूरी हैं और ये इंसान की लिबरटी हैं, ये इंसानी जीवन का एक साधन है लेकिन मेरे ख्याल में आज यह हालत है कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज आफ स्टेट पालिसी जो है, वह इंडीविजुअल राईटस से भी ज्यादा अहमीयत रखते हैं। हमारे सामने राश्ट्र का हित पहले और इससे पहले भी इंसान के मौलिक अधिकार हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इन्होंने जो यह अमैंडमैंट

यहां पर पे ा की है, उसमें इन्होंने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ लफ्जों का ही हेर फेर है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (महम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई सुरेन्द्र सिंह को इन भाब्दों में जवाब देना चाहता हूं :–

बुरे काम को छिपाना भी बुरा है,

बुरे को अच्छा बताना भी बुरा है,

जिसे आजमा लिया हो एक बार,

उसे दोबारा आजमाना भी बुरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो रैजोल्यू ान है इसकी हमने रेटिफिके ान करनी है। पार्लियामैंट के दोनों हाउसिज ने इसको पास कर रखा है और हमने यहां इसकी रैटिफिके ान की रसम निभानी है। संविधान के अन्दर जो तरसीम की है वह इसलिये की है कि संविधान में पहले कुछ वि ोश बातें थीं जिनको सामने रख कर संविधान में सं ाोधन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, संसद के जिन सदस्यों ने संविधान को अच्छी तरह पढ़ा है, वे जानते हैं कि एमरजैंसी के दौरान पिछली सरकार ने इस संविधान की क्या हालत बना दी थी और इसकी हालत सुधारने के लिये ही यह कांस्टीच्यू ानल अमैंडमैंट लाए हैं। ये चाहते हैं कि संविधान की

हिस्ट्री की दुर्द ाा जो एमरजैंसी के दौरान हुई थी, वह दोबारा न होने पाए। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एमरजैंसी के दौरान जुडि ारी के हाथ बिल्कुल बांध दिए गए थे। आपको याद होगा वह दिन, जब ला एक्सपर्टस ने यह बात कही थी कि जुडि ारी की हिस्ट्री में वह दिन एक काला दिन होगा जिस दिन यह बिल पार्लियामैंट के सामने आयेगा और पार्लियामैंट इसको कन्फर्म करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जुडि ारी की निश्पक्षता को सबने माना है। इस अमैंडमैंट के जरिए जुडि ारी के हाथ मजबूत किए गए हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त एमरजैंसी में प्रैस का मुंह बन्द कर दिया गया था और आज इस सं ाोधन के जरिए प्रैस का मुंह खोल दिया गया है और प्रजातान्त्रिक प्रणाली को दोबारा बहाल किया है। उस वक्त फण्डामैंटल राईटस पर जो कुठाराघात हुआ था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। राईट आफ लिबरटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन एमरजेन्सी में यह अधिकार भी हमसे छीन लिया गयां उस वक्त हालात यह थे कि यदि किसी को पकड़ कर गोली भी मार दी जाती तो कोई पूछने या सुनने वाला नहीं था। ऐसे ही विचार नीरेनडे जी ने भी व्यक्त किए थे। अगर राई आफ लिबरटी और स्वतन्त्रता ही छीन ली जाए तो एमरजेन्सी लगाने का क्या फायदा है। एमरजेन्सी तो इसलिये लगाई जाती है कि जिसके लगाने से दे ा के बिगड़े हुए हालात दोबारा ठीक हो जाएं लेकिन अगर एमरजेन्सी लगाने से इन्सान की जिन्दगी ही महफूज न हो तो इसका फायदा ही क्या है। मेरे कुछ भाई कहते हैं इस सं ाोधन में एमरजेन्सी को यूं का यूं रखा है। उपाध्यक्ष

महोदय, कांस्टीच्यू ान में जो एमरेन्सी का प्रोवीजन है, इसको इसके आर्टिकल से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन जिन हालात में पिछली बार एमरजेन्सी लगाई थी, उस तरह अब नहीं लगेगी, इस सं ाोधन से हालात सुधर गए हैं। अब कोई भी ताना ााह यह जुर्रत नहीं करेगा कि अपनी मनमानी करके इसको जनता पर ठोस दिया जाए। यह सं ाोधन इसलिये किया गया है ताकि कोई ताना ााह मनमाने ढंग से न चल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन समय के अभाव के कारण सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि –

रोने वाले की हंसी तो पहले वापिस लाइए,

फिर ज ान अपने भाानी ाौकत से मनाते जाइए।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने दे ा के उन करोड़ों गरीब भाइयों को मुबारिक बाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें यह दिन दिखाने का अवसर प्रदान किया है। इस दे ा के अन्दर पिछली सरकार ने 42वां संवैधानिक सं ाोधन पास करके हमारे अधिकारों का हनन किया था। इन ताना ााही ताकतों ने सिर उठाकर यह सं ाोधन करके तमाम नैतिक मूल्यों को भ्रश्ट कर दिया था, सब संवैधानिक मान्यताओं को समाप्त कर दिया था और अपनी खानदानी हकूमत को बनाये रखने के लिये सिर तोड़ की बाजी लगा दी थी लेकिन इस दे ा के लोगों ने संघर्श किया और ताना ााहों को धूल चटा कर एक कोने में लगा

दिया। आज वे यहां बैठकर जब बोलने की हिमाकत करते हैं तो वह जनता सरकार की बदौलत ही करते हैं, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कभी न बोल पाते। इस 45वें सं ाोधन की बदौलत ही श्री सुरेन्द्र सिंह जी और उसके साथी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 'हिमाकत' लफ्ज के मायने इन्हें बता दें। (व्यवधान) 'हिमाकत' लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

डाक्टर मंगल सैनः यह अनपार्लियामैंटरी नहीं है। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी के महान नेताओं को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं। जो वक्त की आवाज को पहचानकर, समय की पुकार को सुनकर संगठित हुए हैं और ताना ााही ताकतों से लोहा लेने के लिये कटिबद्ध हुए हैं। इनके प्रयत्नों के कारण दे ा में नई हवा चली और दोबारा जनतन्त्र की स्थापना हुई। हम लोग 19 महीने तक जेल में रहे। उस वक्त का हालात को देखने से ऐसा एहसास हो रहा था कि 19 महीने तो क्या, हमें 19 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा हमें वि वास हो रहा था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के साथी जो जो यहां बैठे हैं, वे ठोस विचार सदन के

समक्ष रखते तो अच्छा होता लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस प्रजातान्त्रिक ढांचे में हम चाहते हैं कि विरोधी पक्ष पूरी तरह से मजबूत हो और इसका लाभ पूरे प्र ाासनिक ढांचे को चलाने के लिए मिले। केवल अनरगल रूप से खड़े होकर इसमें क्षुद्रता न लाएं। यह क्षुद्रता का ही परिणाम है जब दे ा में एमरजैंसी लगी, सारे कानून रद्द करके, न्यायालय का गला घोंट करके एक खानदान की हकूमत कायम करने की कोि ा ा की। मैं इस सदन की तरफ से और जनता की तरफ से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब जनता इस क्षुद्रता को और ताना ााही को सिरे उठाने का मौका नहीं दे सकती। (व्यवधान) यह 45वां संवैधानिक सं ाोधन एक ऐतिहासिक सं ाोधन है और इस दे ा की 60 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतीक बन कर सदन में आया है। पिछली सरकार ने 19 महीनों के लिये एमरजैंसी लगाई थी। किस लिये लगाई ? कोई वि ोश कारण नहीं थे। दे ा में अ ाान्ति नहीं थी। दे ा की जनता, रोटी कपड़ा और मकान के प्र न को हल करना चाहती थी और भ्रश्टाचार को खत्म करना चाहती थी। श्री जय प्रका ा नारायण के नेतृत्व में, सारे दे ा में अहिंसात्मक तरीके से आन्दोलन चला। इसके बाद एमरजैंसी लगा दी गई और इसलिये लगाई कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीन ने इंदिरा गांधी के विरूद्ध उसके पद से हाटाये जाने के बारे में निर्णय दिया था ....

श्री उपाध्यक्ष: आपको समय हो गया है, आप बैठ जाइये।

स्वामी अग्निवे ा: केवल एक मिनट में बैठता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय न्यायालय ने पद से हटाने का निर्णय दिया तो एमरजैंसी लागू कर दी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिये सारे संविधान को तोड़ मरोड़ कर सं ाोधित किया और 60 करोड़ जनता पर कुठाराघात किया।

16.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, (विघ्न) इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेसी, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि पार्लियामैंट सुप्रीम है। वे भूल गए कि दे ा की 60 करोड़ जनता सुप्रीम है। उन्होंन संविधान के मूल स्वरूप को तोड़ मेरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहा लेकिन मैं बधाई देता हूं अपनी केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय कानून मंत्री आदरणीय भाांति भूशण जी को और अपनी सरकार के उन प्रतिनिधियों को जिन्होंने यह 45वां सं ाोधन रैटिफिके ान के लिए हमारे पास भेजा है। इससे अच्छा कोई सं ाोधन हो नहीं सकता। इसलिये इन विरोधी भाइयों को चाहिये कि उदारता और भाालीनता का परिचय देते हुए जो पाप इन्होंने किये थे उनका इस रैजोल्यू ान को स्पोर्ट करके प्रायि चत कर लें। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जो रैटिफिके ान के लिये हाउस के सामने है। यह बिल ही नहीं बल्कि हमारा एक पत्रि डाकुमैंट है क्योंकि पिछली सरकार ने जो

हमारे पवित्र ग्रंथ पर कलंक का एक टीका लगा दिया था उसको यह साफ करता है। यह कलंक का टीका और भी ज्यादा साफ हो जाता अगर मेरे साथी श्री सुरेन्द्र सिंह, जो अभी यहां बड़ी बातें कर रहे थे, का बाप राज्य सभा का मैंबर न होता और राज्य सभा में इनकी मैजोरिटी न होगी। (विघ्न) वह थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है लेकिन खैर उसको भी जब कभी समय लगेगा दूर कर लेंगे। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इस सं ोधन के द्वारा हमने अपने उस वायदे को जो हमने लोगों से किया था कि प्रजातन्त्र को बहाल करेंगे, पूरा कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनके ाासन काल में क्या कुछ होता था उसकी कुछेक मिसालें मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। कलाहौड़ के कामरेड मुन्ाी राम को पुलिस ने पकड़ना था लेकिन उन्होंने पकड़ लिया मुन्ाी राम नम्बरदार को क्योंकि वारंट पर कामरेड लिखना भूल गए थे। इनकी इस गलती की वजह से उस बेचारे को आठ महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में कहा गया कि अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि उस समय कानून ही ऐसा था। (विघ्न) इसके अलावा आपके जिले की ही एक बात मैं बताता हूं सोहना में दो आदमियों का नाली के बारे में कुछ झगड़ा था। उनमें से एक आदमी ने संजय गांधी के मैनेजर को एप्रोच किया जिसने डी0सी0 गुड़गांव को कहलवा दिया कि फलां आदमी को मीसा के तहत जेल में बन्द कर दो। पता लगने पर उस आदमी ने अपना मकान छोड़ दिया, नाली की बजाये रुपया दे दिया। दोनों में राजीनामा हो गया लेकिन चूंकि डी0सी0 गुड़गांव संजय गांधी को नहीं मिल सका इसलिये उस आदमी को एक साल तक जेल में रहना

पड़ा। यह था कानून उस सरकार का जिसके कि ये यहां गुणगाते हैं। (विघ्न) एक बेगुनाह व्यक्ति को इसलिये जेल में रहना पड़ा कि डी0सी0 संजय गांधी की मसरुफियत के कारण उसको मिल नहीं पाया। उसने सोचा कि कहीं मेरी ही बारी न आ जाये यदि मैंने संजय गांधी को पूछे बगैर उसे छोड़ दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो हमने इनका पाप धोया है। इन्हें हमारा म कूर होना चाहिये वरना सृश्टि तक यह कलंक इनके माथे पर रहता। (विघ्न) गिरफ्तारी की एक और मिसाल मैं आपको सुनाता हूं मदीना का जयसिंह नाम का एक ठेकेदार है। उससे किसी बात पर चौधरी बंसीलाल जी की नाराजगी हो गई। वह डीघल में एक भाादी में कहीं मुख्य मंत्री जी को मिल गया और उसने चौधरी साहब को नमस्त कर दी। बंसी लाल जी कहने लगे कि अरे यह बाहर फिरता है, भेजो इसको आठ महीने के लिये जेल में। तो आप देखें कि नमस्ते करने से वह आठ महीने जेल में रह कर आया। इससे क्या हुआ ? हमारी सारी अदालतें डर गई और सारे अफसर डर गए। जेल के सुप्रिन्टैंडैंटस हमें बताते थे कि हम यूं डर रहे हैं कि कहीं सी0आई0डी0 वाले भीतर ही बन्द न कर रखे हों। हमारी तबीयत तो किसी को तंग करने की नहीं करती लेकिन मजबूरी में करना पड़ा है। सरदार लछमन सिंह जी को मालूम है कि अम्बाला जेल में एक हफ्ता तक इनको पानी का गिलास दस रुपये में भी नहीं मिला था। लेकिन हमारी सरकार ने इन लोगों को जो अभी जेल में गए थे चौधरी भाम ोर सिंह जी आदि, बारात के लोगों की तरह रखा था। इन लोगों को तो हमारा आभारी होना चाहिये और इनको यह महसूस करना चाहिए कि हमारी सरकार इनके

साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रही है जबकि इनके राज में एक हफ्ते तक दस रुपये में भी पानी का गिलास नहीं दिया जाता था। इन भाब्दों के साथ मैं दोबारा इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और ये कहता हूं कि जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को बहाल करने के लिये जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया है। जय जनता।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, दे ा के अन्दर जिस प्रजातन्त्र की बात आज सारे कांग्रेसी कर रहे हैं उस प्रजातंत्र को 19–20 महीने तक हमने इनके राज में देखा है। जिस वक्त तमाम दे ा के अन्दर एमरजैंसी लागू की गई उसमें मेरे जैसे आदमी को भी, जिसके मुंह से खून पड़ता था, रात के दो बजे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। यही नहीं, मैंने यह भी देखा कि जिनको चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी, चारपाई से उठने की भी हिम्मत नहीं थी उन लोगों को भी बंसीलाल सरकार की ताना ााह पुलिस ने गिरफ्तार करके हिसार जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार उस ताना ााह सरकार के मुकाबले में आज जम्हूरियत की सारी बातों को सुधार की तरफ ले जा रही है। काफी हद तक इस दे ा की प्रैस की आजादी को कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया था। आज सारे दे ा के अंदर हमारे लीडरों ने प्रैस को आजाद कर दिया है। प्रैस के ऊपर जो सैंसरि ाप थी वह खत्म कर दी गई है। इनकी सरकार के वक्त में कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती थी, कोई भाशण नहीं दे सकता था और न ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ कुछ कह सकता

था। उस वक्त इतनी बड़ी ताना ाही थी कि दे ा के अंदर एक घर में एक फैमिली का आदमी दूसरे आदमी से आपस में सरकार के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता था। उस टाईम लोगों के अंदर इतना बड़ा आतंक और भय फैला हुआ था जिसके विशय में कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। जनता पार्टी ने उस भय और आतंक को दूर किया। मैं तो यह कहूंगा कि पति पत्नी को सी0आई0डी0 समझने लग गया था। कितने दोस्तों ने लोगों के साथ बदले की भावना से काम लिया, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यहां पर आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए है। अम्बाला जिले की बात है। मैं उस टाईम पर 'बी' क्लास जेल में था लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस टाईम 'सी' क्लास में थे। वे मेरे से राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरे कामों में भी बड़े रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के राज मैं मेरे से ज्यादा ही दे ा के लिये कार्य किया था। जिस आदमी का मेरे से राजनीति में स्थान बड़ा रहा हो और जो कैरो साहब के टाईम पर चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी भी रहे हों, एम0एल0ए0 तो बहुत देर से चले आ रहे थे उनको कांग्रेस सरकार ने 'सी' क्लास में रखा था, मेरे साथ चौधरी मुख्तियार सिंह जी भी थे उनको एक ही बैरिक में रखा हुआ था उस सरकार ने बदले की भावना की हद ही मुका दी थी।

मुझे वह दिन याद है जब करनाल के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था। वह आंदोलने किसानों के भावों को बढ़ाने के बारे में हुआ था। उस जलसे में बादल साहब भी आये थे और

चौधरी देवी लाल जी भी आये थे। वहां पर कितने ही लोग आये थे उन पर कांग्रेस सरकार ने लाठी चार्ज करवाया था। बंसी लाल की सरकार ने गेहूं का भाव बढ़ने नहीं दिया और लोगों को जेल में भेजा। मेरा कहने का मतलब यह है कि डैमोक्रेसी का गला घोंटना उस वक्त जारी रखा गया। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो यह 45वां सं ाोधन केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने पास किया है इसको हमें भी बखूबी पास कर देना चाहिये। इसके पास कर देने से प्रजातन्त्र जिन्दा होता है, इसलिये इसको पास करना चाहिये। मैं इन भाब्दों के साथ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो आदमी ज्यादा दुःखी हुए हैं उनको आपने बोलने के लिये समय ही नहीं दिया है। मुझे टाईम मिलना चाहिये। मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन आपने टाईम ही नहीं दिया।

श्री मूल चन्द जैन (संभालका): डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाउस के सामने है। अभी थोड़ी देर पहले श्री सुरेन्द्र सिंह बोल रहे थे मेरा ख्याल था कि वे इसको स्पोर्ट करेंगे। लोक सभा ने इस सं ाोधन को सर्वसम्मति से पास किया है। एमरजैंसी के वक्त हमारे बुनियादी सिद्धांतों का हुलिया ही बिगाड़ दिया था। यह उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बिगाड़ा दिया था। इस सं ाोधन के द्वारा सुधारने की कोि ा ा की गई है। अगर कोई सदस्य यहां पर हाउस में कोई सुजै ान देता है तो उस पर ठंडे तौर पर विचार हो सकता है। मुझे तो इस बात का आ चय्र हुआ

कि आपोजि ान के तौर पर बैठे हुए श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि इसमें क्या तबदीली हुई है ? एमरजैंसी भी वही है और नजरबंदी का कानून भी वही है, उनमें कोई भी तबदीली नहीं हुई है। मुझे तो उनकी बातों को सुन कर ताज्जुब हुआ और उन्होंने यह भी समझा होगा कि मैं ही इसको पढ़ कर आया हूं और जनता पार्टी की तरफ से कोई भी इसको पढ़ कर नहीं आयेगा और जो कुछ वे कहेंग उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं उनको किस तरह से समझाऊं कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किस तरह से विधान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था और इस टाईम उसे किस प्रकार से ठीक करने की कोि ा ा की गई है। संविधान में जो भी प्रोवीजन थे जिनको एमरजैंसी के जमाने में उस वक्त की सरकार ने एब्यूज किया और उस एब्यूज की गुंजाई ा को अब सं ाोधन के द्वारा हटाने की कोि ा ा की गई है। मैं टाईम का ख्याल रखते हुये बताना चाहता हूं कि क्या कुछ एमरजैंसी के प्रोविजन में तबदली हुई हैं, क्या जनरबंदी के प्रोविजन में तबदीली हुई है ? डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि अभी उन्होंने कहा कि पहले एमरजैंसी क्या थी ? इन्टरनल डिस्टरबैंस की वजह से एमरजैंसी लागू हो सकती थी। इन्टरनल डिस्टरबैंस का बहाना करके एमरजैंसी लागू कर दी गई थी। उस वक्त की सरकार ने उस मामले को कैबिनट में ले गई और न ही कोई रिटन एडवाइस राश्ट्रपति को भेजी। रात को दस ग्यारह बजे दस्तखत करवा के अगले दिन कैबिनेट से एप्रुव करवा लिया गया। अब जो इस संविधान में सं ाोधन किया गया है उसमें यह है कि इन्टरनल डिस्टरबैंस की वजह से दे ा में एमरजैंसी लागू नहीं

हो सकती है इसको संविधान से निकाल दिया है। श्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि जो सं ाोधन किया गया है उसमें यह है कि एमरजैंसी तभी लगाई जा सकती है जब एक्सटरनल अग्रे ान हो या आमर्ड रैबेलियन हो लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें आमर्ड रैबेलियन की व्याख्या नहीं की गई है। मैं तो उनकी बात से हैरान हूं कि उसको आमर्ड रैबेलियन का भी पता नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सं ाोधन के अनुसार एमरजैंसी तभी लगाई जा सकती है जब कि दे ा में आमर्ड रैबेलियन हो और वह भी उस सूरत में जब कैबिनेट लिखकर राश्ट्रपति को रिकमैड करे और राश्ट्रपति सैटिसफाइड हो कि दे ा में ऐसे हालात हैं कि एमरजैंसी लगाना जरूरी है। इसके प चात इस बारे में तरमीम हाउस के के सामने लानी पड़ेगी और अगर हाउस की ट थर्ड मैजोरिटी उसको एप्रूव करती है तो एमरजैंसी लागू हो सकती है वरना नहीं। यह नहीं कि जैसे पहली सरकार ने किया कि बिना कैबेनिट की मंजूरी के एमरजैंसी लागू कर दी हो। उस टाईम केबेनिट के मिनिस्टर भी डर गये थे लेकिन अब संविधान में यह बात लिख दी गई है जिसको लोक सभा के सभी मैम्बरों ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया है। एमरजैंसी के जमाने में संविधान को जो हुलिया बिगाड़ दिया था उसको ठीक कर दिया है।

मैं अब जनरबंदी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें क्या तबदीली हुई है। श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने फरमाया कि इसमें अब भी वहीं प्रोवीजन है जो पहले थां नजरबंदी के मामले में तो बड़ी भारी तबदीली की गई है। एमरजैंसी के हमाने में नजरबंदी के

बारे में जो म ाावरती कमेटी थी नहीं थी जो नजरबंदी केसिज की नजरसानी कर सके लेकिन अब जो सं ाोधन किया गया है उसमें यह रखा है कि म ाावरती कमेटी जो सरकार को एडवाइस देगी, उसके चेयरमैन हाई कोर्ट के सरविंग जज होंगे और जो उस म ाावरती कमेटी के मैम्बर होंगे वे भी हाई कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे।

एक आर्टिकल 359 हमारे संविधान में था। उस आर्टिकल में राश्ट्रपति को यह अधिकार दिया था कि राश्ट्रपति एमरजैंसी लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सस्पैंड करना चाहे तो नोटिफिके ान द्वारा उन अधिकारों को सस्पैंड कर सकता था।

डिप्टी स्पीकर साहब, एमरजैन्सी के जमाने में क्या कुछ हुआ, उसको एमरजैन्सी का बार बार नाम लेकर कहने से कोई फायदा नहीं है। उस जमाने में सरकार ने क्या किया ? उस समय राश्ट्रपति से आर्टिकल 359 के तहत एक नोटिफिके ान जारी करवाया जिससे हम लोग जो नजरबन्द थे, उनका हाई कोर्ट में जाने का जो अधिकार था, उसे भी छीन लिया गया। हालांकि इस दे ा के सारे हाई कोर्टों ने यह फैसला किया था जब नजरबन्दों की रिट पैटी ान हाई कोर्टों में गयी कि उस नोटिफिके ान के बावजूद उन्हें अधिकार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि हम मजबूर हैं। जब राश्ट्रपति का यह नोटिफिके ान हो गया तो कोई नजरबन्द अपने अधिकारों के बारे में किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, अब क्या करने जा रहे हैं।

आर्टिकल 359 में सं ोधन करके अब उसमें यह लिख दिया गया है कि परसनल लिबर्टी के बारे में राश्ट्रपति कोई नोटिफिकें ान जारी नहीं कर सकता। यह बहुत मार्के का सं ोधन हैं .... (घंटी)

श्री उपाध्यक्षः जैन साहब अब आप खत्म कीजिये।

श्री मूल चन्द जैनः अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं एक दो बातें और कह कर खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्षः जैन साहब, अब आप बैठिये, आपका समय हो गया है।

श्री मूल चन्द जैनः सिर्फ एक ही प्वायंट कह कर मैं बैठ जाऊंगा जो बहुत बड़ा प्वायंट है। उस जमाने की सरकार की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को बचाने के लिए आर्टिकल 329 ए में कुछ हरफ डाल दिये गये। हमारे सब लोगों के खिलाफ तो उजारेदारी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती थी लेकिन हम सरकार के खिलाफ इन कोर्टस का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। मैं तो यह कहता हूं कि हमें भार्म आती है यह कहने में कि इन्होंने संविधान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उन्होंने यह कहा कि प्रधान मंत्री के खिलाफ इलैक ान पैटी ान में आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिये एक अलग से ट्रिब्यूनल बनेगा। वह ट्रिब्यूनल कौन बनायेगा ? वह ट्रिब्यूनल सरकार बनायेगी। मैं यह कहता हूं कि ऐसे सभी सं ोधनों को रद्द किया जा रहा है। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह

अमैंडमैंट बिल्कुल ठीक है और इसे हम सब को एन्डोर्स कर देना चाहिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे आनरेबल मैम्बर श्री मूल चन्द जैन जी ने आखिर यह बात तो मानी कि इस रैटीफिके ान के लिये जो दो घंटे का समय रखा गया है, यह एक बड़ी जरूरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि पार्लियामैंट के अंदर जो भी यह अमैंडमैंट पास हुई है, वह सारी की सारी ठीक हुई है या गलत हुई है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा जो उसका रैटी फिके ान करेगी, यह उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं आपसे यह तवक्को करता हूं कि जो प्रोसीडिंग्ज हरियाणा विधान सभा में इस रैटीफिके ान के बारे में हो, वे पार्लियामैंट को जरूर भेजी जायें। हो सकता है इसमें कोई ऐसा नया सझाव आये जिससे गरीब लोगों की, गरीब किसानों की जिन्दगी में कोई नयी बहार आये या नयी क्रान्ति आये। इसी राज्य सभा की डिबेट में प्रोफैसर एन0जी0रंगा, जो एक बड़ी अनोखी बात है कि कांस्टीच्यू ान के अंदर विधान के बनाने वालों ने सब चीजें प्रोवाइड की हैं। इसके अंदर, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज के अंदर राईट टू वर्क और दूसरी बातें हैं। जहां तक फन्डामैंटल राईटस का सम्बन्ध है, मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, उसमें उन्होंने राईट टू लिबर्टी, जीने का हक, राईट टू स्पीक वगैरा सभी अधिकार रखे हैं। उन्होंन यह साफ कहा है कि इन अधिकारों में किसानों का कोई अधिकार नहीं रखा गया है। जीने का हक है, और भाशण देने का हक है, यह

क्या तो भाशण देगा और क्वा वह असैम्बली के राईट का इस्तेमाल करेगा। उनहोंने यह साफ कहा है कि अगर विधान में फन्डामैंटल राईटस की क्लाजिज के अंदर यह भी डाल दिया जाये कि किसान को उसकी जिन्स की कीमत, उसके अनाज की पूरी कीमत मिले, इस बात का भी उसको फन्डामैंटल राईट होगा, तो ठीक रहेगा। इस बारे में विधान के अन्दर यह बात कही गई है कि एक आदमी को कोई भी संस्था बनाने का हक है। आदमी को किसी भी धर्म को मानने का हक है, इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह समझता हूं कि जैसे राईट टू प्रोपर्टी खत्क करके और फन्डामैंटल राईटस में आर्टिकल 19 की सब क्लाज एफ को खत्म किया और इसी तरह से एक आर्टिकल 31 खत्म किया। उसी प्रकार एक नया आर्टिकल 38 लाकर उसे डायरैक्टिव प्रिंसीपल का जो चैप्टर है उसके अंदर डाल दिया गया है। उसमें यह बात कही गयी है भाायद वह आर्टिकल 38 है या 38ए है कि इन इक्वलिटी को खत्म किया जाये और गरीब और अमीर की असामनता को कम किया जाये। हर आदमी को उसकी जिन्दगी में पूरे मौके दिये जायें ताकि वह तरक्की कर सके। यह क्लाज डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज में डाल दी गयी है लेकिन क्या उन बगरी लोगों को जो 60 प्रति ात इस दे ा के अंदर हैं, वे गरीब लोग जो पौवर्टी लाईन के ऊपर है जिसकी मैं यह व्याख्या करता हूं कि जिनको सिर्फ एक रुपया मिलता है .... (व्यवधान व भाोर)

Shri Verender Singh: He is speaking out of context.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं बिल्कुल कान्टैक्सट में बोल रहा हूं। मैं आखिरी बात कह कर खत्म करूंगा। जो 60 प्रति ात लोग गरीबी के साथ संघर्श कर रहे हैं, भूख के साथ संघर्श कर रहे हैं, उनके राईटस को मौलिक अधिकारों के मुकाबिले में कम तरजीह दी गयी है। क्या यही प्रोग्राम था जनता पार्टी का ? आज के दिन अगर जनता पार्टी 45वीं अमैंडमैंट करती है तो उसको यह चाहिए था कि वे मौलिक अधिकारों के मुकाबिले में डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज को महत्ता देती। गरीब आदमी के लिये जो निदे ाक सिद्धान्त हैं, उनको महत्ता मिलनी चाहिए। एक और बात कह कर मैं खत्म करता हूं। बड़ा भाोर हो रहा था और यह कहा जा रहा था कि हमने न्यायपालिका की, जुडी ायरी की आजादी को बहाल किया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जनता पार्टी के मैनीफैस्टों के अन्दर यह बात कही गयी थी कि हम न्याय को सस्ता बनायेंगे। न्याय को गरीब के दरवाजे तक लाकर खड़ा करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट पर मैं उन स्पै ाल कोर्टस की बात नहीं करता जिनके बारे में पिछले दिनों चर्चा होती रही है, मैं तो सिर्फ यह बात कह रहा हूं कि आप अन्दाजा लगाइये अगर आप की जेब में 10 रुपये भी नहीं हैं और आप पर कोई हमला करता है तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सको। एक तरफ आदमी भूख से कर रहा हो और दूसरी तरफ उसे न्याय भी न मिले, यह काहं का इंसाफ है। गरीब आदमियों को जमीनें तो दी गयीं लेकिन आज तक किसी भी गरीब आदमी को कब्जा नहीं दिलाया गया। क्यों नहीं दिलाया गया ? क्योंकि न्यायपालिका के अंदर आज बड़े बड़े

सरमायेदार बैठे हैं या न्यायपालिका के अंदर बड़े बड़े अफसरों के बेटे बैठे हैं।

Shri Verender Singh: He is becoming emotional unnecessarily. There is nothing in it.

Chaudhri Birinder Singh: It is not a question of becoming emotional.

Mr. Deputy Speaker: Your time is over. Please sit down.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं एक मिनट में अपनी आखिरी बात कह कर खत्म कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि जो लोग यह दावा कर रहे थे कि हम न्याय सस्ता करेंगे, वे कहां गये। वे इस बात का ढोल पीट रहे हैं कि एमरजैंसी के अंदर नाइंसाफिया हुई। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, एमरजैन्सी के अंदर सिर्फ ब्लैक मार्किटीयर्ज और स्मगलर्ज को बन्द किया गया था जिन्होंने इस दे ा को आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ रखा था। उस एमरजैंसी के अन्दर न्यायपालिका को बहाल किया गया था क्योंकि उससे पहले यह अमीर आदमियों के हाथों में बिक्री हुई थी।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः डिप्टी स्पीकर साहब, डेढ़ लाख आदमी अंदर किये गये थे और वह भी केवल मात्र राजनैतिक बदले के कारण। यह कहना कि केवल स्मगलर और ब्लैक मार्किटीयर्ज अन्दर किये गये थे, यह बड़े अपमान की बात है। स्मगलर्ज तो बाहर थे।

चौधरी राम लाल वधवा: स्मगलर्ज तो सारे बाहर थे और उनके द्वारा ही यह राज कर रहे थे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: ** * *

श्री बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कई बातें यहां पर अनपार्लियामैंट्री कहीं हैं। वे एक्सपंज की जायें। उन्होंने * * * * के बारे में बातें कहीं, उसे *

* * * बताया है, यह सारी बातें एक्सपंज की जायें।

श्री उपाध्यक्ष: आर0एस0एस0 के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे एक्सपंज किया जाये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे एक मिनट तो दीजिये।

Mr. Deputy Speaker: I have called another Member. Please take your seat.

Chaudhri Birinder Singh: You please give me one minute to conclude.

Mr. Deputy Speaker: I have already called another Member. Please sit down.

Chaudhri Birinder Singh: I have not uttered a single word which is unparliamentary ....

Mr. Deputy Speaker: Please sit down.

Chaudhri Birinder Singh: It is not the system against which I am. I am against those men who belong to the bourgoise class, the capitalists ....

Mr. Deputy Speaker: I have called the other member ....

Chaudhri Birinder Singh: I would conclude within one minute ....

Mr. Deputy Speaker: I have already called upon the other member. Please sit down. (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंहः जब हम भिवानी में जाते थे तो इनकी 10 किल्ले की कोठी दिखाई देती थी। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः यह जो कारनामें रेटिफिके ान में लिखे हुए हैं वे इन बातों से नहीं छिप सकेंगे। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः ये जनसंघ वाले जो सरमाएदारों के नुमाइंदे हैं सबसे ज्यादा इनके पेट में दर्द होता है (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी और मेरी प्रौपर्टी का मुकाबला कर लें कि किसके पास ज्यादा प्रौपर्टी है। मैं सरमाएदार हूं या ये सरमाएदार हैं (व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे थोड़ा टाईम दीजिए जिससे कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने चौधरी रिजक राम का नाम बोल दिया है। अब आप बैठ जाइए।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, संविधान का जो बिल पार्लियामैंट के दोनों सदनों, लोक सभा और राज्य सभा से पास हुआ वह हमारे हाउस के सामने रेटिफिके ान के लिए आया है। दूसरी तरफ विरोधी दल की तरफ से कुछ सं ाोधनों पर आपत्ति उठाई गई और यह कहा गया कि जो वादे जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोशणा पत्र में किए थे वे पूरे नहीं किए गए। जनता पार्टी ने यह वायदा किया था कि जो तरमीम संविधान में की गई है उसको कतई खत्म किया जाएगा लेकिन जैसा कि बोलते हुए हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि क्योंकि सं ाोधन राज्य सभा से भी पास कराने थे इसलिए जनता पार्टी की कुछ मजबूरियां थीं जिसके कारण वह जिस तरह से एमरजैंसी में किए सं ाोधनों को ठीक करना चाहती थी उस ढंग से ठीक नहीं करा सकी। बाबू मूल चन्द जी ने अभी बताया कि तरमीमी बिल हमारे पास रेटिफिके ान के लिए आया है और यह सारी पार्टीज की रजामंदी से आया है इसलिए ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ कमियां भी हैं और वे इस वजह से हैं कि राज्य सभा में जनता पार्टी का बहुमत नहीं था जिससे वह पास करा सकती थी लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस तरमीमी बिल के द्वारा जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हमने लोकतंत्र का पुनजीर्वित करना है, जनता को दोबारा आजादी देनी है, प्रैस को आजादी देनी है, बिना मुकदमा

चलाए किसी को जेल में नहीं डालना है, बिना मुकद्दमा चलाए किसी को परे ाान नहीं करना है, न्यायपालिका को उसके अधिकार देने हैं, राश्ट्रपति को अपने अधिकार देने हैं उसे पूरा किया है। राश्ट्रपति के एमरजैंसी के बारे में जो अख्तियार बन्द कर दिए थे, राश्ट्रपति को वे अख्तियार सरकार ने दोबारा प्रदान किए और यह अख्तियार दिया कि राश्ट्रपति दोबारा किसी बिल को भेज सकता है और सरकार को कह सकता है कि सरकार उस पर दोबारा विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस दे ा में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और न्यायापालिका दोनों को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। अगर इनमें से एक को भी उसका पूरा दर्जा न दिया जाए तो लोकतन्त्र नहीं चल सकता। एमरजैन्सी के दौरान न्यायपालिका के जो अख्तियार थे वे खत्म कर दिए थे और जैसा कि अभी बताया गया है कि बम्बई हाई कोर्ट में वहां के ऐडवोकेट जनरल ने एक मुकद्दमे पर बहस के दौरान कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नजरबन्दी में अगर यह लिखे कि फलां आदमी को ले जाकर गोली से उड़ा दिया जाए तो वह उड़ाया जा सकता है। सरकार ने इस तरह के कानून को वापिस लिया। 42वें संविधान सं ाोधन बिल के द्वारा भी पिछली सरकार ने कुछ सं ाोधन किये थे। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मौलिक अधिकार की बात है। हमारे संविधान में कमी थी कि प्रापर्टी राइटस या सम्पति का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकार में था। इसको वहां से निकाल लिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कट्रोवर ियल मामला जरूर है कि किसी आदमी की जायदाद सरकार ले सकती है। लेकिन असलियत यह है कि तीस साल के अर्से में जब से संविधान

लागू हुआ है इस संपत्ति के मौलिक अधिकार में रहने के कारण इस दे ा में पूंजीपति पैदा हुए, मोनोपलिस्टस पैदा हुए। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय बिरला और टाटा जैसे आदमी के पास सिर्फ 49 करोड़ की सम्पत्ति थी और आज उनके पास एक हजार या बारह सौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति है। उनको अख्तियार है कि कितने ही मजदूर वरखास्त करके उनको रोजगार से महरूम कर दें। आज इन पूंजीपतियों का दे ा के भाासन प्र ाासन तथा सारी आर्थिक व्यवस्था पर कंट्रोल है। इस सम्पत्ति के कारण इस पूंजी के कारण आज हर कहीं इनका कंट्रोल है। आज दे ा की जो प्रैस है जिसने इस दे ा के लोगों के मानसिक चिन्तन को बनाना है वह सरमायेदारों के हाथ में है। आज जनता पार्टी ने जो दे ा के लिए काम किया है जो गरीबों के लिए काम किया है वह भुलाया नहीं जा सकता है। सम्पति को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर इसका अलग आर्टिकल बना दिया है और बगैर कानून की इजाजत से किसी की जायदाद ली जा सकती है। मैं मानता हूं कि सरकार के बहुत ज्यादा अख्तियारात हैं और सरकार (under the authority of law) सम्पत्ति को ले सकती है। लेकिन यह नहीं लिखा कि पब्लिक गुड के लिए ले सकती है। सरकार उसका ऐबयूज भी कर सकती है। लेकिन जायदाद के लेने के सवाल पर, सम्पत्ति के लेने के सवाल पर सभी जानते हैं कि इस दे ा में किसी बड़े सरमायेदार की जायदाद नहीं ली गई और जब भी जायदाद ली गई है तो वह गरीब आदमी की ली गई है। जिसके पास एक बीघा जमीन है, आप देखें कि आज उसकी सारी जमीन ले लेते हैं लेकिन रोजगार का दूसरा साधन

उसको मुहैया नहीं किया जाता। उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं किया जाता। जहां सरकार ने जायदाद को लेने का अधिकार लिया है वहां काम प्रदान करने का अधिकार भी देना चाहिए। जब तक सरकार काम का अधिकार नहीं देगी तब तक गरीब आदमी का भला नहीं हो सकेगा। आज करोड़ो लोग बेरोजगारी के कारण भूख मरते हैं, सरकार को उनका कुछ इन्तजाम करना चाहिए। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े हर्श का विशय है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 45वां संविधान सं ोधन पास होने के प चात हमारी विधान सभा में रेटिफिके ान के लिए आया है। मैं बहुत हर्श के साथ इस बिल का अनुमोदन करते हुए उसकी धाराओं के विशय में कुछ कहना चाहती हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जो सवाल मि0 सुरेन्द्र सिंह ने उठाया और इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल में जुडि ायरीद को अन्डरग्राउंड रखा है, मुझे यों लगता है कि मि0 सुरेन्द्र सिंह केवल इस बिल में एमरजैंसी और प्रिवेन्टिव डिटे ान दो भाब्दों को पढ़ कर आए हैं और इन धाराओं के तहत किए गए सं ोधनों को पढ़ने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि इस बिल में एमरजैंसी का प्रावधान है लेकिन भाायद उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि इतने सेफगार्डर्ज हमने एमरजैंसी और डिटे ज्ञन के लिये रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यूं कहूं कि घोशणा से लेकर समाप्ति तक कौन कौन से सेफगार्डज रखे हैं। धारा 312 और 352 में एक

सं ाोधन किया गया है कि कोई भी राश्ट्रपति एमरजैंसी की घोशणा तक तक नहीं कर सकता जब तक लिखित रूप में कैबिनेट का फैसला उसके पास नहीं जाता। इससे पहले केवल इतना प्रावधान था कि कोई प्रधानंत्री कैबिनेट की सलाह लिये बगैर जा करके अगर जबानी कह देता था कि मैंने कैबिनेट की सलाह ले ली है और ऐसी हालत दे ा में है कि आप आपात स्थिति की घोशणा कर दीजिये तो राश्ट्रपति घोशणा कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने घोशणा से पहले एक सेफगार्ड किया कि तमाम कैबिनेट का एक रिटन डिसीजन, कंसैंसस का डिसीजन राश्ट्रपति के पास जाएगा तभी राश्ट्रपति घोशणा कर सकता हैं उसके बाद एक प्रावधान कर दिया कि दोनों सदनों के लिये उस घोशणा के एक महीने के अन्दर अन्दर उसका अनुमोदन करना आव यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आनरेबल मैम्बर श्री मूल चन्द जी यह कह रहे थे कि हमने उसको दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन का प्रावधान किया है कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों की पूर्ण सदस्यता का एबसोल्यूट बहुमत और सदन में उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई बहुमत आव यक है। इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। केवल दो तिहाई बहुमत होता तो कोई सरकार यही नहीं कर सकती थी कि उस दिन सारे लोगों को हाजिर ही न होने देती, अपोजी ान के लोगों को कैद कर लेती, इपने कुछ लोगों को आने से मना कर देती और दो तिहाई बहुमत से पास करवा लेती लेकिन नहीं, हमने कहा कि जो उपस्थित सदस्य हैं, उनका दो

तिहाई बहुमत लेकिन इसके साथ साथ दोनों सदनों की सदस्यता का एबसोल्यूट बहुमत उसके साथ आव यक कर दिया, तब अनुमोदन हो सकता है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंकि कि पहले एमरजैंसी घोशणा के बाद भी आपात स्थिति कभी तक भी जारी रह सकती थी, एक समय के बाद उसकी दोबारा घोशणा हो सकती थी लेकिन हमने कहा कि अगर 6 महीने से ज्यादा आप आपात स्थिति को जारी रखना चाहते हैं तो पुनः इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा के सामने लाईये और दोनों सदन उसका दोबारा अनुमोदन करें तो फिर आपात स्थिति नहीं चलनी चाहिये, 6 महीने से पहले रिवोक होनी चाहिये –(ोर)– तो लोकसभा के सदस्य एक वि ोश अधिवे न बुलाकर, सै न बुलाकर अगर बेयर मैजोरिटी से, साधारण बहुमत से यह पास कर देते हैं कि दे में आपात स्थिति समाप्त करे। आप देखिये कि कितना बड़ा फर्क है कि हम जब आपातस्थिति की घोशणा करना चाहते हैं तो दो तिहाई बहुमत के साथ पूर्ण सदस्यता का साधारण बहुमत चाहते हैं। और जब हम रिवोक करने की बात करते हैं तो केवल मात्र लोकसभा का साधारण बहुमत एमरजैंसी को रिवोक कर सकता है। इसके बाद आप देखिये, सबसे पहले महत्त्वपूर्ण प्रावधान संविधान की धारा 359 में यह किया गया कि एमरजैंसी के रहते हुए जब मौलिक अधिकार स्थगित होंगे तो धारा 20 और 21 के अन्तर्गत आने वाले मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि दे में जब आपात

स्थिति लगती है तो किसी दूसरे राईट का उतना महत्त्व नहीं होता जितना कि जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार का जबकि आदमी का जीवन और स्वतन्त्रता का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तभी व्यक्ति को सब से बड़ी चोट पहुंचती है और पिछली बार धारा 20 और 21 के अन्तर्गत दिये हुए जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार समाप्त कर दिये थे। लेकिन हमने इस सं ाोधन में यह घोशणा कर दी है कि अगर आपात स्थिति को लागू करने की बदकिस्मती से घटना इस दे ा में हो जाए तो। 20 और 21 धारा के अन्तर्गत दिये जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार समाप्त नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भाई सुरेन्द्र जी, यहां पर प्रिवेनटिव डिटेन ान का जिकर कर रहे थे। भाायद उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि पहली बार प्रावधान किया गया है कि अगर प्रिवेनटिव डिटेन ान में किसी आदमी को बन्द किया जाता है तो दो महीने के अन्दर अन्दर उसका अपना केस एडवाइजरी बोर्ड को भेजना पड़ेगा और इस एडवाईजरी बोर्ड का चयन, राज्य सरकार नहीं, उस राज्य सरकार के नुमाइंदे नहीं बल्कि उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधी ा करेंगे और दो महीने के अन्दर अन्दर एडवाईजरी बोर्ड को केस भेजा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका के अधिकार उसमें बहाल किये गये और एक यह बात कही कि अगर किसी राज्य में राश्ट्रपति भाासन लागू होता है तो 3 वर्श की अवधि को घटाकर एक वर्श कर दिया कि राश्ट्रपति भाासन लागू होने के एक वर्श के अन्दर अन्दर सं ाोधन द्वारा उस राज्य में चुनाव कराने लाजमी करार दिये गये हैं

और आखिरी चीज जो उन्होंने कही, वह यह है कि उस 42वें सं ाोधन के अन्तर्गत लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर के 6 वर्श का कर दिया गया था। पांच वर्श के लिये लोग चुन कर भेजे गए थे लेकिन एक कलम के साथ यह कह दिया गया था कि यह लोकसभा 5 की बजाय 6 वर्श के लिये चलेगी और आज जब हम चुनकर के यहां पर आए हैं तो इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अवधि को पुनः6 वर्श से घटाकर 5 वर्श कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय के अभाव को देखती हुई और धाराओं के ऊपर ब्यानबाजी न करते हुए अपनी सरकार को इसके लिये बधाई देती हूं और इसका समर्थन करती हुई अपना स्थान लेती हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, यह इतना इम्पार्टेन्ट अमेन्डमैंट है, अगर इसको खुल तौर पर ब्यान किया जाए तो इसके ऊपर महीने ही लग जाएंगे। एक महीने में इस पर डिस्क ान पूरी नहीं हो सकती। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि एमरजैंसी के नाम से सारे दे ा का दिल धड़कता है। इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि इस हाऊस में जितने आनरेबल मैम्बर, मिनिस्टर्ज बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा जेल मैंने काटी है। बाकी मैम्बरों ने तो भाायद 19 महीने जेल काटी हो, पर मैंने 20 महीने काटी है। (ाोर)। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 16 जून को गिरफ्तार हुआ था और लोकसभा के इलैक ान पर मैं

करनाल जेल से रिहा हुआ था पर बाद में फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

डिप्टी स्पीकर साहब, एमरजैंसी इतनी बुरी चीज है कि सब घबरा जाते हैं। डाक्टर मंगल सैन जी जो कि हमारे साथ करनाल जेल में बंद थे, वे इतने घबरा गये थे कि जेल के सुप्रिटेंडैंट से कपड़े मांगने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। मैंने भाायद अकेल ने यह कहा था कि न मुझे रजाई चाहिये, न कोट चाहिये (ाोर)। पर डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा कि पुराने गुदड़े कपड़े ही दे दो (हंसी एवं भाोर) दूसरे सब मैम्बरों ने जो कि जेल में थे, पुराने कपड़े ले लिये लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं तीन बार बीमार हुआ, नये मिले नहीं और पुराने मैंने लिये नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी की मैं इज्जत करता हूं उन्होंने भी कुर्बानी देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी लेकिन एमरजैंसी के कारण दिल धड़क गया (ाोर एवं व्यवधान)।

श्री फतेह चन्द विजः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं भी पोहलू साहब के साथ करनाल जेल में था, मुझे पता है कि ये खुद इतने तंग थे बीमार हो गये थे कि इन्हें एक महीना तक पेचि ा हो गई थी। (ाोर एवं हंसी)।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः डिप्टी स्पीकर साहब, जिन्होंने एमरजैंसी लगाई थी कांग्रेस सरकार ने, उनको रोहतक के मैदान में बयाह के मन्त्र पढ़ने पड़े लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि

दे ा में एमरजैंसी लगाई गई, बहुत बुरा हुआ। दे ा का बहुत नुकसान हुआ, लोगों की स्वतन्त्रता छिन गई लेकिन अब भी अगर एमरजैंसी रखने का प्रोवीजन है तो यह बहुत माड़ी बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस को हमे ाा के लिये दे ा से हटाया जाए, क्योंकि हमारे पास पुलिस मजबूत है, हरेक कानून मजबूत है, हमारी फौज मजबूत है, दु मन का मुंह हम तोड़ सकते हैं, इसलिये मैं आप के द्वारा सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इस एमरजैंसी नाम की चीज को हमे ाा हमे ाा के लिये संविधान से निकाल देना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज आफ स्टेट पालिसी रखे गये हैं यह बड़ी अच्छी बात है। उसमें सब को राईट टू वर्क मिलना चाहिये पर राईट टू प्रापर्टी बिलकुल छीना जा रहा है यह माड़ी बात है, इससे सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, लोग गुलाम हो जाएंगे और आजादी के साथ वोट नहीं डाल सकेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आज किसानों की जमीन की हदूद केवल 16 करोड़ तक ही मुकरर्रर की गई है पर ाहरों में लोगों के कोल्ड स्टोरेज हैं, सिनेमा वगैरह हैं और भी कई तरह की काफी प्रोपर्टीज हैं, उनके ऊपर भी सरकार को सीलिंग लगानी चाहिए और यह सब कुछ डायरेक्टिव प्रिसीपल्ज में आना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, एमरजैंसी में खूब जुल्म हुए थे लेकिन आज की सरकार का रवैया भी वहीं है जो एमरजैंसी में था क्योंकि जनता सरकार में भी कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं जो उन दिनों जनता पर जुल्म किया करते

थे। जो मास्टर लोग गिरफ्तार हुए हैं .... (डाक्टर मंगल सैन की तरफ से विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा हूं कि पहली सरकार और आज की जनता सरकार मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है। (व्यवधान) इस कांस्टीच्यू ानल अमैंडमैंट को री–कंसिडर करने के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाए। (व्यवधान)

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने अपनी जवांमर्दी का जिक्र करते हुए कहा कि इनको जेल में कम्बल मिला करते थे और मैं फटे हुए कपड़े पहना करता था। (व्यवधान) यह झूठ है, इस तरह सदन में झूठ नहीं कहना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। जेल में इस भाई की मैं हर बात मे मदद करता रहा (व्यवधान) ये गलत बात कह रहे हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, आप रिकार्ड मंगवाकर देख लें, एक महीना दवाई मंगवाकर लेते रहे। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आज रैटिफिके ान के लिए यह अमैंडमैंट सदन में आई है। मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हम एमरजैंसी के दौरान जेल में थे और डा0 मंगल सैन जैसे बहुत से सदस्य रोहतक जेल में कैद थे। उस दौरान रक्षा बंधन का त्यौहार आया और आपको याद होगा, राखी बांधने के लिए हमारी बहिनें जेल के दरवाजे पर खड़ी रहीं लेकिन उस समय की जुल्मी इंदिरा सरकार के अधिकारियों ने बहिनों को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी। इससे बड़ा अत्याचार बहिनों के साथ और

कोई हो नहीं सकता। एमरजैंसी के इतने काले दिने थे कि बहिनों की इज्जत सड़कों पर ही नहीं बल्कि घरों में जा जा कर लूटी जाती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी, बहिन भाइयों की इज्जत सरेआम खराब की जाती थी। अगर बसों में सवारियां जा रही हों, कोई अपने रि तेदार के पास जा रहा हो, कोई अपने बीमार को लेकर हस्पताल जा रहा हो, बहिनको ले जा रहा हो तो इंदिरा सरकार के अधिकारियों द्वारा, इंदिरा के हुक्म का पालन करते हुए रास्तें में बसें रोककर बहिन और भाइयों को उतर लिया जाता था और हास्पिटल में ले जाया जाता था। इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए जनता सरकार ने लोगों के साथ जो वायदे किये थे, उन वायदों को संविधान में सं ाोधन करके पूरा किया है। इस सं ाोधन में दो तीन बातें आई हैं। सदन में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया। बहुत सारे कांग्रेसी भाइयों ने भाहरी प्रौपर्टी के बारे में अपने विचार रखें। डिप्टी स्पीकर साहब, भाहरी प्रौपर्टी के बारे में यह बात कहने में बुराई नहीं है कि इस सं ाोधन के साथ साथ यह भी भाामिल कर दिया जाता कि जिस तरीके से किसानों पर भूमि की सीमा लगाई गई है कि इतने स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा किसान के पास जमीन नहीं होगी, उसी तरह भाहरी सम्पत्ति के ऊपर भी सीमा लगाई जानी चाहिए। अगर इस सं ाोधन के साथ साथ यह भी होता तो इसकी और सरहाना हो सकती थी। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी बीरेन्द्र सिंह कांग्रेस (आई) के बहुत सियाने सदस्य हैं। पिछली रात को वे मेरे साथ थे। रात को साढ़े 10 बजे जब हम पढ़ रहे थे तो इन्होंने अचानक यह बात कही कि जेलों का सुधार होना चाहिए। 5 दिन ये

जेल में रहे और इन पांच दिनारें में इनको यह पता लग गया कि जेल के अन्दर जितने कैदी थे, चाहें 20 साल के थे, चाहे 10 साल से थे, अगर उन तमाम कैदियों से वोट डलवाई जाये तो तमाम वोटें जनता पार्टी के ढोल में डाली जाएंगी। यह बात चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने मुझसे कही। इन भाब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सं ाोधन का समर्थन करता हूं और आपने जो समय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

स्वामी अग्निवे ा(हथिन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संवैधानिक सं ाोधन का ह्रदय से स्वागत करता हूं। सदन में हमारे विरोधी पक्ष के साथी बैठकर इस तरह का राग अलाप रहे हैं जिससे लगता है कि प्रजातन्त्र के यही सबसे ज्यादा हिमायती हैं। इनके ऊपर यह कहावत लागू होती है –"सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को गई" 19 महीनों में इनको यह पता नहीं लगा कि आजादी क्या होती है, आजादी का अर्थ क्या है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जब ये 5 दिन जेल में रहे तब आजादी के वास्तविक अर्थ का पता चला। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जहाज का अपहरण किया, बम्बई में लाखों की सरकार सम्पत्ति को हानि पहुंचाई। अगर यह काम वे कुछ समय पहले करते और 42वां सं ाोधन इन पर लागू होता तो ये सारे के सार 'मीसा' के अन्दर जेल में डिटेन होते। आज वह स्थिति नहीं है। 45वें सं ाोधन का नतीजा है कि उनका सामान्य रूप से जेल में रखा गया। जनता सरकार जनतन्ात्मक ढंग से कार्य करती है। उपाध्यक्ष महोदय, उन दनों इन कांगेस महाप्रभुओं को

इतना अभिमान हो गया था कि ये कहने लगे थे कि दे ा में चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है। जनता पार्टी ने लोगों से यह वायदा किया था कि हम चुनाव जरूर करवायेंगे। लेकिन इन्होनें अभिमानव ा चुनाव की अवधि 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दी। जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद जनता के ऊपर एक महान कृपा की है। वास्तव में यह सं ाोधन लाकर बड़ा सराहनीय कार्य किया है और जनता को दिए गए वायदे पूरे कर रही है। कांग्रेस सरकार ने जनता के सारे हक छीन लिए थे और 42वें सं ाोधन के द्वारा जनता के अधिकारों का हनन किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहते हुए इस सं ाोधन की पुश्टि करता हूं और यह सोचता हूं कि 45वां सं ाोधन पास होने से कोई व्यक्ति ताना ााह नहीं होग सकेगा और चुनाव के अधिकारों को नहीं छीन सकेगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेंद्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता था कि यह सं ाोधन, जिसको संसद के दोनों सदनों ने पास किया, जिसमें सारी पार्टियों के सदस्यों ने भाग लिया, इस पर ज्यादा टाईम खर्च नहीं होगा। यह बात मैंने चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से लौबी में कही थी। उन्होंने फरमाया था कि हमने इसको पढ़ा नहीं और वे पूरी तैयारी करके आए हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर बोलने के लिए सबसे पहला मौका श्री बीरेन्द्र सिंह को दिया गया। इस समय वे सदन से गायब हो चुके हैं, उन्होंने जो तैयारी की थी उसका सबूत मैं उन्हें देना चाहता था। जो क्लाज इसमें भाामिल नहीं है उसके ऊपर उन्होंने भाशण दिया। कुछ लोगों

को बुर्जुवा कहने लगे, कुछ को साम्प्रदायिक तत्व बताने लगे। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा, जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद यह दे ा आजाद हुआ था। महात्मा गांधी जैसे महाने नेताओं की रहनुमाई में जिन्होंने इस दे ा को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थीं ....

17.00 बजे

चौधरी लाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे को बहुत टौरचर किया गया था लेकिन आपने भी मुझे बोलने का टाईम नहीं दिया। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः जब मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो आप सीट पर नहीं थे।

चौधरी लाल सिंहः मैं सीट पर कैसे बैठ सकता था ? मैं तो बहुत परे ाान था लेकिन आपने मुझे टाईम नहीं दिया। आप यह रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः मंत्री जी के बोलने से पहले आप अपनी सीट पर नहीं थे। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिहः मैंने बोलने से पहले सबसे पूछा था।

चौधरी लाल सिंहः मैं तो पे ााब करने गया था। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिहः आपकी बात तो सब जानते हैं।

चौधरी लाल सिंहः अगर जानते हैं तो आप ही बता दें, मैं चुप रहता हूं (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिहः तो, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि दे ा के स्वतंत्र होने के प चात उन वीर लोगों ने हमारे लिए एक विधान बनाया। डा0 बाबा साहब अम्बेड़कर ने कड़ी मेहनत की। 1950 में हमें जो विधान मिला वह हमारे दे ा के लिए, 60 करोड़ जनता के लिए, एक पवित्र ग्रंथ की तरह था। लोग उसे पूजते थे। इतना अच्छा विधान उन लोगों ने हमें दिया था जिसकी सरहाना दुनियां के कोने कोने में होती थी। परन्तु हमारे दे ा में एक ऐसा हुक्मरान आया, ऐसा प्रधान मंत्री आया जिसने उस मुकद्दस किताब की धज्जियां उड़ानी भाुरू कर दीं और जो फैडरल ढांचा हमें विधान के द्वारा मिला था उसे युनिटरी स्टेट में बदल दिया। हर प्रकार के सं ाोधन किए गए एक खानदान की हकूमत कायम करने के लिए, अपने आप को गद्दी पर कायम रखने के लिए। यही नहीं, पीपल्ज रिप्रैजैंटे ान एक्ट को भी अपना केस जीतने के लिए अमैंड किया गया और यहीं बस नहीं की गई बल्कि ि ाड्यूल 9 में इसे फैंक दिया गया ताकि कोई इसे चैलेन्ज भी न कर सके। हिन सुशमा स्वराज ने, चौधरी रिजक राम जी ने, बाबू मूलचन्द जैन जी ने तथा अन्या कई साथियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हां, मेरे कुछेक भाइयों ने कहा कि इसमें भी ऐमरजैंसी क्लाज रखी गई है लेकिन उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि यह क्लाज उन लोगों के लिए है जो स्मगलर हैं, गुंडे हैं, बदमा ा

हैं या गलत किस्म के लोग हैं। यही नहीं, हमने जो प्रिवैन्टिव डिटैन ान का कानून बनाया वह बड़ा लचकीला बनाया। दो महीने से फालतू किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता। इससे ज्यादा अर्से के लिए रखने के लिए ऐडवाइजरी बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी। एक्टिव जस्टिस उस बोर्ड का चेयरमैन होगा। चीफ जस्टिस की सलाह पर उस बोर्ड के मैम्बर नियुक्त किए जाएंगे। (विघ्न) ऐमरजैंसी की जो क्लाज रखी गई है उसके बारे में बहिन सुशमा जी बता चुकी हैं कि उसके साथ कितने सेफगार्डज प्रोवाइड किए गए हैं। एक किस्म से उस क्लाज को बिल्कुल इम्पोटैंट बना कर रख दिया है ताकि किसी को इसको मिसयूज या ऐब्जयूज करने का मौका न मिले। जब सारी कंडभ ांज पूरी होती होंगी तभी कोई ऐमरजैंसी लगा पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वह काला युग, यह 60 करोड़ जनता फिर नहीं आने देगी जिसे पिछले दिनों इसे देखना पड़ा, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मेरे भाई लाल सिंह जी जैसे परे ाान हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास टाईम नहीं है इस बेचारे की दुःख भरी कहानी बताने का लेकिन इस गरीब और इसके बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इन सारी बातों के बावजूद आज हमें ये कहते हैं कि हम उन्हीं बातों को संविधान के सं ाोधन के जरिए यहां लाये हैं। (विघ्न) ये लोग कहते थे कि समाजवाद लाएंगे लेकिन तीस साल तक करोड़ों लोगों की वोट इस बहाने से खींचते रहे कि उनको ऊपर उठाना है परन्तु अफसोस कि उकने लिए कुछ कर न सके। इसके बरक्स हमने एक बड़ा भाानदार नया डायरैक्टिव प्रिसिपल

संविधान में ऐड किया है जिसकी लैंगवेज मैं हाउस के सामने पढ़ना चाहता हूं। इसी लैंगवेज इस प्रकार है –

"The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in imcome, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amounst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations".

डिप्टी स्पीकर साहब, इतना सो ालिस्टिक डायरैक्टिव प्रिंसीपल जनता पार्टी के लोग ही ला सकते थे। इन लोगों में हिम्मत नहीं हुई। ये सो ालिज्म का नारा देने वाले लोग तीस साल तक प्रौपर्टी के फंडामैंटल राईट को नहीं हटा सके लेकिन जनता पार्टी की सरकार की एक ऐसी सरकार हो सकती थी जिसने उसको केवल लीगल राईट बना कर रख दिया। (प्र ांसा) हमारी नीयत है कि इस दे ा में गरीब और अमीर को जो फर्क है उसको मकम से कम किया जए। इस सरकार की नीयत है कि वाक्या ही समाजवाद इस दे ा के अन्दर कायम किया जाए इस तरह का रैवोल्यू ानरी स्टैप हम ही ले सकते थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोक सभा जो बातें इस सं ाोधन में रखना चाहती थी वे राज्य सभा के कुछेक लोगों की वजह से नहीं रख सकी क्योंकि राज्य सभाम ें इसी वृत्ति के लोगों की मैजोरिटी अभी बनी हुई है और जितने लोग हमें राज्य सभा में चाहिए थे वे हमारे पास मौजूद नहीं थे। फिर भी मुझे आ ाा है कि जब कभी समय मिलेगा उन सारी बातों को हमारी आज की जनता पार्टी को जो नतृत्व है दोबारा लोक सभा में लाकर राज्य सभा से

भी पास करवाएगा ताकि दे ा के निम्न तबके को ऊपर उठाने वाली बात भी इस संविधान में भाामिल हो सके। इन भाब्दों के साथ, सदन का अधिक समय न लेते हुए, मैं यह आ ाा करता हूं कि इस रैजोल्यू ान को यह सदन एक आवाज से पास करेगा। धन्यवाद।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That this House ratifies the amendments ot the Constitution of India falling within the pruview of the propviso to clause (2) of Article 366 thereof, proposed to be made by the constitution (Forty-fifth Amendment) Bill, 1978, as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into "The Constituions (Forty-fourth Amendment) Act, 1978".

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned Sine-die.

***17.08 hours**

(The Sabha then *adjourned Sine-die).